

00333



863

मध्यप्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2008-2009




राज्य विधान सभा के पटल पर
दि. 23 फरवरी 2010 को रखी गई।

मध्यप्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2008-2009

ਸਰਕਾਰ ਦਿ ਭਾਰਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ
। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸ



ਸਰਕਾਰ ਦਿ ਭਾਰਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ

ਉੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ

ਸਰਕਾਰ ਦਿ ਭਾਰਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ

विषय-सूची


	पृष्ठ
प्रस्तावना	(v)
विनियोग लेखे का सार	1-16 (ii)
विनियोग लेखे-	
अनुदान संख्या	
भारत विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	17-18
भारत विनियोग- लोक ऋण	19-20
01. सामान्य प्रशासन	21-25
02. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	26-27
03. पुलिस	28-31
04. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	32-33
05. जेल	34
06. वित्त	35-39
07. वाणिज्यिक कर	40-43
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	44-47
09. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	48-49
10. वन	50-52
11. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	53-55
12. ऊर्जा	56-59
13. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	60-62
14. पशुपालन	63-64
15. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	65-68
16. मछली पालन.	69-70
17. सहकारिता	71-72
18. श्रम	73-74
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	75-80
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	81-84
21. आवास एवं पर्यावरण	85-87
22. नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	88-90
23. जल संसाधन	91-99
24. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	100-103
25. खनिज साधन	104
26. संस्कृति	105-106
27. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	107-109
28. राज्य विधान मंडल	110
29. विधि और विधायी कार्य	111-113

30.	ग्रामीण विकास	114-115
31.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	116
32.	जनसंपर्क	117-118
33.	आदिम जाति कल्याण	119
34.	समाज कल्याण	120
35.	पुनर्वास	121
36.	परिवहन	122
37.	पर्यटन	123
38.	रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय	124
39.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	125-127
40.	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	128-130
41.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	131-146
42.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	147-148
43.	खेल और युवक कल्याण	149
44.	उच्च शिक्षा	150-152
45.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	153-155
46.	विज्ञान और टेक्नालाजी	156
47.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	157-159
48.	नर्मदा घाटी विकास	160-167
49.	अनुसूचित जाति कल्याण	168
50.	बीस सूत्र कार्यान्वयन	169
51.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	170
52.	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	171-176
53.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	177-178
54.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	179
55.	महिला एवं बाल विकास	180-182
56.	ग्रामोद्योग	183
57.	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	184-188
58.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	189-193
59.	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	194
60.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	195
61.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	196
62.	पंचायत	197
63.	अल्प संख्यक कल्याण	198
64.	अनुसूचित जाति उपयोजना	199-211
65.	विमानन	212
66.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	213-214
67.	लोक निर्माण कार्य-भवन	215-219

68.	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	220
69.	सूचना प्रौद्योगिकी	221
70.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	222
71.	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)	223
72.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	224-225
73.	त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय	226
74.	वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	227
75.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	228-230
76.	लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	231
77.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	232-235
78.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	236-237
79.	चिकित्सा शिक्षा	238-240
80.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	241-245

परिशिष्ट:

परिशिष्ट-I	वसूलियां जिनका लेखाओं में समायोजन व्यय में कमी के रूप में किया गया	249-250
परिशिष्ट-II	शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण	251-252





विनियोग लेखे का सार

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	बचत (4)	(5)
(हजार रुपये में)				
भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा राजस्व-				
प्रभारित	44,89,78,91	41,91,99,21	2,97,79,70	..
भारित विनियोग- लोक ऋण पूँजीगत-				
प्रभारित	38,36,56,23	19,61,01,46	18,75,54,77	..
01. सामान्य प्रशासन राजस्व-				
दत्तमत	1,28,29,72	1,06,73,55	21,56,17	..
प्रभारित	12,11,43	11,14,55	96,88	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	14,10,00	8,47,65	5,62,35	..
02. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व-				
दत्तमत	33,39,21	22,16,21	11,23,00	..
प्रभारित	2	..	2	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	5,00,00	..	5,00,00	..
03. पुलिस राजस्व-				
दत्तमत	13,89,33,37	13,57,33,14	32,00,23	..
प्रभारित	71,00	70,00	1,00	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	51,70,08	45,40,39	6,29,69	..
04. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व-				
दत्तमत	15,25,67	12,07,51	3,18,16	..
प्रभारित	5,01	1	5,00	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	2	..	2	..
05. जेल राजस्व-				
दत्तमत	1,01,43,92	98,72,57	2,71,35	..
प्रभारित	1,00	..	1,00	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
(1)	(2)	(3)	बचत	आधिक्य
(हजार रुपये में)				
06. वित्त				
राजस्व-				
दत्तमत	31,16,30,96	24,91,69,80	6,24,61,16	..
प्रभारित	12,73,34	2,03,63	10,69,71	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	3,88,32,48	73,71,77	3,14,60,71	..
07. वाणिज्यिक कर				
राजस्व-				
दत्तमत	7,48,99,89	6,74,25,31	74,74,58	..
प्रभारित	1,16,40,85	1,16,34,35	6,50	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	10,00	2,95	7,05	..
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
राजस्व-				
दत्तमत	4,75,71,05	4,09,01,98	66,69,07	..
प्रभारित	4,67,50	3,94,08	73,42	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	23,89,75	21,77,86	2,11,89	..
09. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	33,96,85	29,36,38	4,60,47	..
प्रभारित	3,00	..	3,00	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	21,00	..	21,00	..
10. वन				
राजस्व-				
दत्तमत	7,38,17,20	7,28,39,12	9,78,08	..
प्रभारित	9,28,00	13,58	9,14,42	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	27,63,01	24,51,00	3,12,01	..
11. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार				
राजस्व-				
दत्तमत	1,11,90,07	1,01,92,60	9,97,47	..
प्रभारित	4,50	1,04	3,46	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	8,56,10	8,53,20	2,90	..
प्रभारित	10,00	10,00

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	बचत (4)	(5)
(हजार रुपये में)				
12. ऊर्जा				
राजस्व-				
दत्तमत	17,66,71,33	13,80,36,16	3,86,35,17	..
प्रभारित	2,65,00,00	1,65,94,49	99,05,51	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	25,27,24,00	21,57,97,94	3,69,26,06	..
13. किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
राजस्व-				
दत्तमत	6,89,18,25	4,55,59,52	2,33,58,73	..
प्रभारित	13,00	3,71	9,29	..
14. पशुपालन				
राजस्व-				
दत्तमत	2,80,21,13	2,30,91,24	49,29,89	..
प्रभारित	3,00	1,31	1,69	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	60,00	59,90	10	..
15. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व-				
दत्तमत	6,67,76,06	5,57,25,91	1,10,50,15	..
16. मछली पालन				
राजस्व-				
दत्तमत	22,43,86	16,70,62	5,73,24	..
प्रभारित	3,00	21	2,79	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,55,00	19,94	2,35,06	..
17. सहकारिता				
राजस्व-				
दत्तमत	70,23,91	65,13,91	5,10,00	..
प्रभारित	1,25	..	1,25	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	9,06,31	6,15,00	2,91,31	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	बचत (4)	(5)
(हजार रुपये में)				
18. श्रम				
राजस्व-				
दत्तमत	55,88,73	48,69,57	7,19,16	..
प्रभारित	2,00	1,00	1,00	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	53,00	..	53,00	..
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	10,70,84,68	8,99,93,17	1,70,91,51	..
प्रभारित	55,00	24,11	30,89	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	64,22,42	28,19,32	36,03,10	..
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
राजस्व-				
दत्तमत	2,61,96,22	2,43,95,41	18,00,81	..
प्रभारित	30,00	22,74	7,26	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	4,73,19,86	3,39,27,03	1,33,92,83	..
21. आवास एवं पर्यावरण				
राजस्व-				
दत्तमत	2,14,48,54	1,99,93,62	14,54,92	..
प्रभारित	1,00	..	1,00	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	26,15,28	26,08,94	6,34	..
प्रभारित	2,00	..	2,00	..
22. नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय				
राजस्व-				
दत्तमत	64,92,66	28,16,27	36,76,39	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,75,48,87	1,50,26,59	1,25,22,28	..
23. जल संसाधन				
राजस्व-				
दत्तमत	4,04,39,93	3,70,27,85	34,12,08	..
प्रभारित	20,00	5,68	14,32	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	6,82,80,74	6,19,80,90	62,99,84	..
प्रभारित	1,00,00	38,51	61,49	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	बचत (4)	(5)
(हजार रुपये में)				
24. लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल				
राजस्व-				
दत्तमत	6,42,54,97	5,94,38,62	48,16,35	..
प्रभारित	50,00	71,00	..	21,00
				(21,00,000 रुपये)
पूँजीगत-				
दत्तमत	8,06,30,48	7,37,48,79	68,81,69	..
प्रभारित	32,34,14	32,63,14	..	29,00
				(29,00,000 रुपये)
25. खनिज साधन				
राजस्व-				
दत्तमत	12,81,98	10,50,46	2,31,52	..
प्रभारित	2,50	1,22	1,28	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	5,00	4,76	24	..
26. संस्कृति				
राजस्व-				
दत्तमत	39,23,49	36,51,85	2,71,64	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	4,00,00	4,00,00
27. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)				
राजस्व-				
दत्तमत	20,89,39,69	20,04,29,14	85,10,55	..
प्रभारित	22,15	99	21,16	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	46,45,00	46,45,00
28. राज्य विधान मंडल				
राजस्व-				
दत्तमत	33,01,47	26,88,30	6,13,17	..
प्रभारित	16,89	13,85	3,04	..
29. विधि और विधायी कार्य				
राजस्व-				
दत्तमत	3,02,53,72	2,34,03,38	68,50,34	..
प्रभारित	30,00,11	29,99,29	82	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	50,00	..	50,00	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार रुपये में)				
30. ग्रामीण विकास				
राजस्व-				
दत्तमत	6,27,61,85	6,15,59,08	12,02,77	..
प्रभारित	6,00	12	5,88	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,10,96,00	1,04,96,00	6,00,00	..
31. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी				
राजस्व-				
दत्तमत	33,80,66	28,34,70	5,45,96	..
32. जनसंपर्क				
राजस्व-				
दत्तमत	85,28,62	81,54,40	3,74,22	..
33. आदिम जाति कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	7,15,10,16	6,87,68,93	27,41,23	..
प्रभारित	18,00	4,91	13,09	..
34. समाज कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	67,33,37	50,58,62	16,74,75	..
प्रभारित	3,00	62	2,38	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	14,50	14,34	16	..
35. पुनर्वास				
राजस्व-				
दत्तमत	52,63	36,32	16,31	..
प्रभारित	50	..	50	..
36. परिवहन				
राजस्व-				
दत्तमत	37,24,44	31,67,80	5,56,64	..
प्रभारित	50	39	11	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिव्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार रुपये में)				
37. पर्यटन राजस्व-				
दत्तमत	18,10,76	17,63,44	47,32	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	71,61,00	51,32,23	20,28,77	..
38. रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	17	8	9	..
प्रभारित	25	..	25	..
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण				
राजस्व-				
दत्तमत	6,09,20,23	5,45,28,63	63,91,60	..
प्रभारित	1,50	72	78	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	22,42,52	13,72,13	8,70,39	..
40. जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट				
राजस्व-				
दत्तमत	4,10,06	1,19,50	2,90,56	..
प्रभारित	50	..	50	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	15,90,00	11,46,65	4,43,35	..
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
राजस्व-				
दत्तमत	14,13,38,96	11,36,20,32	2,77,18,64	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	10,07,44,43	9,03,75,05	1,03,69,38	..
प्रभारित	15,00	5,43	9,57	..
42. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल				
पूँजीगत-				
दत्तमत	3,93,27,37	3,43,86,00	49,41,37	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार रुपये में)				
43. खेल और युवक कल्याण राजस्व-				
दत्तमत	17,99,53	17,30,18	69,35	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	23,94,43	25,56,15	..	1,61,72
				(रुपये 1,61,71,581)
44. उच्च शिक्षा राजस्व-				
दत्तमत	4,33,13,10	4,17,25,56	15,87,54	..
प्रभारित	20,00	19,68	32	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	38,04,50	28,44,87	9,59,63	..
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य राजस्व-				
दत्तमत	62,85,05	60,69,92	2,15,13	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	3,42,72,88	2,82,31,49	60,41,39	..
प्रभारित	10,00	9,71	29	..
46. विज्ञान और टेक्नालाजी राजस्व-				
दत्तमत	9,58,50	9,58,50
पूँजीगत-				
दत्तमत	8,00,00	8,00,00
47. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राजस्व-				
दत्तमत	1,63,32,75	1,46,84,37	16,48,38	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	14,19,32	13,40,57	78,75	..
48. नर्मदा घाटी विकास राजस्व-				
दत्तमत	26,32,26	21,11,98	5,20,28	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	8,16,39,42	7,98,17,13	18,22,29	..
प्रभारित	40,00	28,26	11,74	..
49. अनुसूचित जाति कल्याण राजस्व-				
दत्तमत	57,72,88	54,62,09	3,10,79	..
प्रभारित	93	..	93	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	बचत (4)	(5)
(हजार रुपये में)				
50. बीस सूत्र कार्यान्वयन राजस्व-				
दत्तमत	2,81,03	2,61,82	19,21	..
51. धार्मिक न्यास और धर्मस्व राजस्व-				
दत्तमत	12,45,98	10,61,02	1,84,96	..
प्रभारित	50	..	50	..
52. आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता राजस्व-				
दत्तमत	8,98,43,36	7,55,10,23	1,43,33,13	..
53. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता राजस्व-				
दत्तमत	60,39,70	51,88,76	8,50,94	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	61,94,00	37,34,62	24,59,38	..
54. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा राजस्व-				
दत्तमत	51,69,64	51,69,64
55. महिला एवं बाल विकास राजस्व-				
दत्तमत	6,99,01,48	5,86,32,58	1,12,68,90	..
प्रभारित	20,00	5,75	14,25	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	28,00,00	27,76,35	23,65	..
56. ग्रामोद्योग राजस्व-				
दत्तमत	53,55,85	42,92,17	10,63,68	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,14,14	1,14,04	10	..
57. जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं पूँजीगत-				
दत्तमत	3,50,24,06	2,39,06,25	1,11,17,81	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार रुपये में)				
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	11,47,42,81	8,66,06,62	2,81,36,19	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,50,00	..	2,50,00	..
59. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
राजस्व-				
दत्तमत	44,80,00	30,50,00	14,30,00	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	56,00,00	23,82,00	32,18,00	..
60. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	6,93,00	6,76,66	16,34	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,70,41,94	1,59,82,74	10,59,20	..
61. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
राजस्व-				
दत्तमत	1	..	1	..
62. पंचायत				
राजस्व-				
दत्तमत	55,68,56	59,36,10	..	3,67,54
				(रुपये 3,67,54,192)
प्रभारित	2,00	..	2,00	..
63. अल्प संख्यक कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	14,53,26	7,41,80	7,11,46	..
64. अनुसूचित जाति उपयोजना				
राजस्व-				
दत्तमत	8,23,02,94	6,57,51,53	1,65,51,41	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	8,92,00,22	7,81,33,22	1,10,67,00	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार रुपये में)				
65. विमानन राजस्व-				
दत्तमत	15,05,85	14,42,20	63,65	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	10,00	..	10,00	..
66. पिछड़ा वर्ग कल्याण राजस्व-				
दत्तमत	2,15,52,71	2,03,14,91	12,37,80	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	7,90,10	6,08,16	1,81,94	..
67. लोक निर्माण कार्य- भवन राजस्व-				
दत्तमत	2,44,30,93	2,24,81,23	19,49,70	..
प्रभारित	1,00,00	66,89	33,11	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	88,57,31	67,90,56	20,66,75	..
68. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता राजस्व-				
दत्तमत	15,93,95	11,17,34	4,76,61	..
69. सूचना प्रौद्योगिकी राजस्व-				
दत्तमत	43,40,00	30,32,62	13,07,38	..
70. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं राजस्व-				
दत्तमत	4,00,00	86,74	3,13,26	..
71. जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी) राजस्व-				
दत्तमत	4,07,40	3,09,03	98,37	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	बचत (4)	(5)
(हजार रुपये में)				
72. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राजस्व-				
दत्तमत	42,55,33	34,59,72	7,95,61	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	4,94,00	2,26,64	2,67,36	..
73. त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय राजस्व-				
दत्तमत	48,40,00	..	48,40,00	..
74. वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं राजस्व-				
दत्तमत	1	..	1	..
75. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता राजस्व-				
दत्तमत	20,56,37,24	19,57,67,64	98,69,60	..
प्रभारित	65,74,30	64,00,37	1,73,93	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	17,81,25	17,81,25
76. लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं पूँजीगत-				
दत्तमत	2,57,27,00	2,57,27,00
77. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) राजस्व-				
दत्तमत	5,82,07,59	5,63,34,25	18,73,34	..
प्रभारित	90,00	4,90	85,10	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,64,18,00	74,18,00	90,00,00	..
78. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण राजस्व-				
दत्तमत	81,37,42	78,10,93	3,26,49	..
प्रभारित	10,21	6,04	4,17	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
(1)	(2)	(3)	बचत (4)	आधिक्य (5)
(हजार रुपये में)				
79. चिकित्सा शिक्षा				
राजस्व-				
दत्तमत	2,78,41,64	2,44,17,45	34,24,19	..
प्रभारित	1	..	1	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	5,50,00	4,05,04	1,44,96	..
80. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व-				
दत्तमत	23,62,75,65	17,53,52,73	6,09,22,92	..
प्रभारित	78,27	..	78,27	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	2,03,94	3,29	2,00,65	..
योग-				
राजस्व :				
दत्तमत	2,98,29,07,85	2,56,06,83,31	42,25,92,08	3,67,54
प्रभारित	50,12,31,03	45,88,80,44	4,23,71,59	21,00
पूंजीगत:				
दत्तमत	1,04,14,30,73	85,84,00,70	18,31,91,75	1,61,72
प्रभारित	38,70,67,37	19,94,56,51	18,76,39,86	29,00
महायोग-				
राजस्व	3,48,41,38,88	3,01,95,63,75	46,49,63,67	3,88,54
पूंजीगत	1,42,84,98,10	1,05,78,57,21	37,08,31,61	1,90,72

विनियोग लेखे का सार-समाप्त

निम्नलिखित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है:-

अनुदान - दत्तमत-

अनुदान संख्या और नाम	अनुभाग
43- खेल एवं युवा कल्याण	पूँजीगत
62- पंचायत	राजस्व

अनुदान - प्रभारित विनियोग-

अनुदान संख्या और नाम	अनुभाग
24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व
24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूँजीगत

विनियोग लेखे के सार में दिखाए गए व्यय में आकस्मिकता निधि से स्वीकृत पेशगियों से व्यय की गई कोई भी राशि शामिल नहीं है, जिसकी वर्ष की समाप्ति से पूर्व निधि को पूर्ति नहीं की गई।

विनियोग लेखे के सार में अनुदान संख्या -19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत राजस्व अनुभाग में स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शित व्यय में 17,40.60 लाख रुपये (दत्तमत) की राशि आहरित कर शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा में जमा कर दी गई है।

विनियोग लेखे के सार में राजस्व अनुभाग में स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शित व्यय में 1,80,94.57 लाख रुपये (दत्तमत) एवं पूँजीगत अनुभाग में 1,08,64.58 लाख रुपये (दत्तमत) कुल राशि 2,89,59.15 लाख रुपये वर्ष के दौरान विभिन्न अनुदानों से आहरित कर शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा कर दी गई है। इस प्रकार की निधियों के अंतरण का विवरण **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है।

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशि के लिए हैं जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2008-09 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दिया गया है।

	राजस्व		पूँजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(हजार रुपये में)			
विनियोग लेखे के अनुसार				
कुल व्यय	2,56,06,83,31	45,88,80,44	85,84,00,70	19,94,56,51
घटाइये-वसूलियों का जोड़	6,81,76,14	..	42,21,57	..
वित्त लेखे की विवरण संख्या-10 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	2,49,25,07,17	45,88,80,44	85,41,79,13	19,94,56,51

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट-I** में दर्शाया गया है।

प्रावधान से दस प्रतिशत अधिक व्यय मांग संख्या 24 राजस्व (प्रभारित) अनुभाग के अंतर्गत हुआ।

प्रावधान में दस प्रतिशत से अधिक बचत निम्नलिखित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अंतर्गत हुई :-

[क] दत्तमत अनुदान

- (i) राजस्व- अनुदान संख्या -1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80
- (ii) पूँजीगत- अनुदान संख्या- 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 29, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 53, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 72, 77, 79, 80

[ख] प्रभारित विनियोग

- (i) राजस्व- अनुदान संख्या - 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 49, 51, 55, 62, 66, 67, 77, 78, 79, 80
- (ii) पूँजीगत- अनुदान संख्या- लोक ऋण, 21, 23, 41, 48

लोक लेखा समिति द्वारा उपशीर्ष स्तर पर आधिक्य/बचत पर टिप्पणी हेतु निम्नतम सीमा 10.00 लाख रुपये निर्धारित की गई।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे इस वर्ष की प्राप्तियों और व्ययों के लेखे प्रस्तुत करते हैं, साथ ही ये राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणाम, लोक ऋण के लेखाओं और लेखाओं में दर्ज शेषों के आधार पर निकाली गई देयताओं और परिसम्पत्तियों को भी प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों, तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय, तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं संकलन, लेखाओं के अनुरक्षण, वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के संकलन, उनकी तैयारी तथा उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वाह महालेखाकार (ले एवं हक) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।



यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानदण्डों के अनुसार की गई थी। इन मानदण्डों में यह अपेक्षित है कि हम समुचित आश्वासन प्राप्त करने, कि लेखे सामग्री मिथ्याकथन से मुक्त हैं, के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा किए गए प्रकटनों से संगत साक्ष्य की नमूना आधार पर जांच शामिल है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यप्रदेश सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

Bani D. S.

(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक: 29 फरवरी 2010

स्थान: नई दिल्ली

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY

CHICAGO, ILLINOIS

RECEIVED

APR 15 1954

FROM

DR. ROBERT H. WOODWARD

CHICAGO, ILLINOIS

TO

DR. ROBERT H. WOODWARD

CHICAGO, ILLINOIS

RECEIVED

APR 15 1954

FROM

DR. ROBERT H. WOODWARD

CHICAGO, ILLINOIS

TO

DR. ROBERT H. WOODWARD

CHICAGO, ILLINOIS

RECEIVED

APR 15 1954

FROM

DR. ROBERT H. WOODWARD

CHICAGO, ILLINOIS

TO

DR. ROBERT H. WOODWARD

CHICAGO, ILLINOIS

RECEIVED

APR 15 1954

भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2048- ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन			
2049-ब्याज अदायगियां			
राजस्व:			
मूल	44,89,67,15		
पूरक	11,76	44,89,78,91	41,91,99,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-2,97,79,70 3,09

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जुलाई 2008 (सांकेतिक) एवं जनवरी 2009 (11.76 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 11.76 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,97,79.70 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 3.09 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2049-01-101-6763-नया बाजार ऋण-			
मूल	1,25,00.00		
पुनर्वि.	-57,73.00	67,27.00	28,70.24
बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			-38,56.76
(2) 2049-01-123-5042-राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	14,65,23.17	13,95,57.37	-69,65.80
(3) 2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और कैश बैलेन्स की कमी की पूर्ति हेतु लिये गए अग्रिमों पर ब्याज	10,00.00	0.80	-9,99.20
(4) 2049-01-200-6973-स्थानीय निधि निक्षेप खातों पर ब्याज	20,00.00	..	-20,00.00
(5) 2049-01-305-2205-नये ऋणों के प्रचालन संबंधी व्यय	2,00.00	46.50	-1,53.50
(6) 2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज	5,35,41.00	5,12,04.43	-23,36.57
(7) 2049-03-104-807-कामगार अंशदायक भविष्य निधि पर ब्याज	7,00.00	55.09	-6,44.91
(8) 2049-03-104-95-अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	5,69.00	3,54.61	-2,14.39
(9) 2049-03-108-3360-मध्य भारत जीवन बीमा निधि पर ब्याज	1,14.00	..	-1,14.00
(10) 2049-04-101-3707-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	7,25,79.97	6,68,57.46	-57,22.51

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा-समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(11) 2049-60-701-4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	15,36.00	..	-15,36.00
(12) 2049-60-701-6971-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 2003 (बचत निधि पर ब्याज)	23,67.24	..	-23,67.24
(13) 2049-60-701-6972-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985(बचत निधि पर ब्याज)	83,83.08	..	-83,83.08

उपरोक्त क्रम संख्या (2), (3), (5) से (8) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत बचत एवं क्रम संख्या (4), (9), (11) से (13) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (3), (6), (7) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2049-01-101-5519-8.40 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	63,00.00	1,02,48.00	+39,48.00
(2) 2049-01-101-6957-7.77 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2015	32,48.18	34,30.18	+1,82.00
(3) 2049-01-101-7235-12.15 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2008	13,54.96	15,40.43	+1,85.47
(4) 2049-01-101-7236-12.50 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2008	14,06.19	28,12.62	+14,06.43
(5) 2049-01-101-8683-12.25 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2009	33,21.56	36,96.12	+3,74.56

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(6) 2049-01-200-3732-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिए गये ऋणों पर ब्याज- मूल 1,50,00.00 पुनर्वि. 15,57.72	1,65,57.72	1,61,09.72	-4,48.00
(7) 2049-01-200-6816-पॉवर बाण्डस् -2 ब्याज भुगतान- मूल 92,43.36 पुनर्वि. 41,50.08	1,33,93.44	1,30,16.16	-3,77.28

उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा विनियोग में क्रमशः 15,57.72 लाख रुपये तथा 41,50.08 लाख रुपये की वृद्धि ब्याज के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(8) 2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज	19,25.64	21,37.39	+2,11.75
(9) 2049-04-103-925-केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	11,99.55	13,05.32	+1,05.77

इन शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

भारत विनियोग -लोक ऋण
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2049-ब्याज अदायगियां			
6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004- केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
राजस्व:			
पूरक	सांकेतिक	सांकेतिक	सांकेतिक
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			सांकेतिक
(30 जनवरी 2009)			
पूंजीगत:			
मूल	38,36,56,23		
पूरक	सांकेतिक	38,36,56,23	19,61,01,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-18,75,54,77
			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) जुलाई 2008 में प्रथम अनुपूरक अनुमान में मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियां के अंतर्गत गलती से सांकेतिक विनियोग किया गया था, जिसे वित्त विभाग द्वारा 30 जनवरी 2009 को अभ्यर्पित किया गया।

पूंजीगत:

(ii) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया "सांकेतिक" विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) 18,75,54.77 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iv) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 6003-108-3751-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	20,00.00	12,42.34	-7,57.66
(2) 6003-109-6236-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल से लिए गए कर्ज	9,36.00	..	-9,36.00
(3) 6003-110-637-अर्थोपाय अग्रिम	10,00,00.00	19,00.00	-9,81,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत/सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 तथा क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 6003-110-779-कमियों की पूर्ति के लिये अग्रिम-

मूल	10,00,00.00			
पुनर्वि.	-1,27,33.25	8,72,66.75	0.97	-8,72,65.78

1,27,33.25 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः अर्थोपाय अग्रिम की संभावना नहीं होने के कारण हुई (31,00.00 लाख रुपये)। 96,33.25 लाख रुपये की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

लोक ऋण-समाप्त

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 6003-101-7235-12.15 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण-2008-			
मूल	2,22,99.36		
पुनर्वि.	31,00.00	2,53,99.36	-42.41
		2,53,56.95	
31,00.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन ऋणों के पुनर्भुगतान के कारण होना बतलाया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(2) 6003-105-3731-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से कर्जे-			
मूल	1,82,71.75		
पुनर्वि.	49,17.25	2,31,89.00	-4,68.23
		2,27,20.77	
(3) 6003-106-6817-पाँवर वाण्डस-2 मूलधन भुगतान-			
मूल	94,32.00		
पुनर्वि.	47,16.00	1,41,48.00	..
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 49,17.25 लाख रुपये एवं 47,16.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन ऋणों के पुनर्भुगतान के कारण होना बतलाया गया। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।			
(4) 6003-111-6835-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	1,94,71.99	1,96,72.65	+2,00.66
(5) 6004-04-102-3128-भू एवं जल संरक्षण के लिये उधार	1,58.49	2,40.29	+81.80

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 01-सामान्य प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2012- राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
2013- मंत्रिपरिषद्			
2015- निर्वाचन			
2051- लोक सेवा आयोग			
2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2055- पुलिस			
2059- लोक निर्माण कार्य			
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	1,13,31,96		
पूरक	14,97,76	1,28,29,72	1,06,73,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (20 एवं 27 फरवरी तथा 31 मार्च 2009)			-21,56,17 16,00,63
प्रभारित-			
मूल	10,86,04		
पूरक	1,25,39	12,11,43	11,14,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-96,88 65,26
पूंजीगत:			
दत्तमत		14,10,00	8,47,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (19 फरवरी एवं 31 मार्च 2009)			-5,62,35 5,52,34

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत -

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (7,97.76 लाख रुपये) एवं जनवरी 2009 (7,00.00 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 14,97.76 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 21,56.17 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 20 एवं 27 फरवरी तथा 31 मार्च 2009 को केवल 16,00.63 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 01 -जारी

(iii) दोषपूर्ण प्रावधान:- इस अनुदान के राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में 1,13,31.96 लाख रुपये के मूल प्रावधान में 29.3.2008 को पारित विनियोग अधिनियम (क्र.2) 2008 के अनुसार योजना क्रमांक 2052-091-6711-मध्यप्रदेश स्थापना स्वर्ण जयंती महोत्सव (0.50 लाख रुपये) एवं 8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यों (0.50 लाख रुपये) के अंतर्गत डिफेंस धन भुगतान हेतु 1.00 लाख रुपये (प्रभारित) की राशि सम्मिलित है।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2013-105-9064-मंत्रियों द्वारा वैकेकिक अनुदान-			
मूल	5,40.00		
पूरक	14,50.00		
पुनर्वि.	-2,35.85	17,54.15	17,11.08
			-43.07
2,35.85 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कम संख्या एवं वर्ष के दौरान दो बार आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(2) 2013-800-3283-मंत्रियों के दौरे के समय			
पेट्रोल पर व्यय-			
मूल	2,90.50		
पुनर्वि.	-1,25.80	1,64.70	1,86.25
			+21.55
1,25.80 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,65.80 लाख रुपये की कमी एवं 40.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कम संख्या होने, एक वर्ष के दौरान दो बार आचार संहिता प्रभावशील होने, मितव्ययी उपायों एवं दूरभाष प्रभार में कमी के कारण हुई, जबकि वृद्धि पेट्रोल आदि के व्यय तथा बिजली की दरों में वृद्धि के कारण होना बतलाई गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2013-800-9939-मंत्रियों द्वारा सहायता अनुदान-			
मूल	6,32.50		
पुनर्वि.	-45.11	5,87.39	5,02.65
			-84.74
45.11 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कम संख्या होने एवं एक वर्ष के दौरान दो बार आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2015-101-6262-राज्य निर्वाचन आयोग-			
मूल	3,80.07		
पुनर्वि.	-64.90	3,15.17	3,22.84
			+7.67
64.90 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 69.90 लाख रुपये की कमी तथा 5.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2015-101-6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय-			
मूल	5,86.05		
पुनर्वि.	-1,47.12	4,38.93	62.82
			-3,76.11
1,47.12 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,50.12 लाख रुपये की कमी एवं 3.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मितव्ययी उपायों एवं कतिपय पंचायत/नगर पालिका निर्वाचन के स्थगन के कारण हुई। वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 01-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(6) 2052-090-0101-राज्य आयोजना(सामान्य)- 5163-सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल की स्थापना-			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	-4,00.00	1,00.00	1,00.00
4,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(7) 2052-090-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	-40.32	9.68	9.57
40.32 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत क्रय पर प्रतिबंध, वित्त विभाग द्वारा अधिरोपित पन्द्रह प्रतिशत आर्थिक कटौती एवं वेतन पुनरीक्षण के कारण बकाया राशि के भुगतान हेतु आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(8) 2052-091-458-आयुक्त मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली का कार्यालय-			
मूल	4,81.11		
पुनर्वि.	-48.84	4,32.27	4,32.13
48.84 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 86.65 लाख रुपये की कमी तथा 37.81 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी मुख्यतः मितव्ययी उपायों, आवास व्यवस्था पर कम व्यय, वकीलों की फीस में कमी, महंगाई भत्ते की किस्त जारी नहीं होने, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 6वें वेतन आयोग के लागू होने के कारण महंगाई वेतन पर कम व्यय, अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता नहीं होने, स्थानान्तरण एवं दौरो पर कम व्यय, विद्युत उपकरणों के प्रयोग पर प्रतिबंध के कारण कम व्यय, अतिथियों को होटल में कम ठहराने के कारण एवं वाहन क्रय की कीमत कम होने के कारण हुई (66.02 लाख रुपये), जबकि वृद्धि अंशतः नये वाहन क्रय हेतु, वाहन किराये में वृद्धि होने, लिफ्ट एवं अन्य मशीनों के रखरखाव हेतु तथा भवन के कमरों में लिनन तथा अन्य गृह सज्जा सामग्री बदले जाने के कारण राशि की आवश्यकता के कारण बतलाई गई (30.73 लाख रुपये)। शेष कमी (20.63 लाख रुपये) एवं वृद्धि (7.08 लाख रुपये) के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(9) 2055-101-4544-सी.आई.डी. (इकानामिक ऑफेंसेस)-			
मूल	4,94.34		
पुनर्वि.	-70.20	4,24.14	4,24.66
70.20 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 75.59 लाख रुपये की कमी एवं 5.39 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी मुख्यतः न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के कारण परीक्षकों की नियुक्ति नहीं होने, भोपाल इकाई के अतिरिक्त स्थान को अधिपत्य में नहीं लेने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, क्रय पर प्रतिबंध एवं कटौती राशि में छूट प्राप्त नहीं होने एवं एक कार्यालय भवन तथा एक अशासकीय भवन को अधिपत्य में नहीं लेने एवं दूरभाष व्यय के देयक प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (68.52 लाख रुपये), जबकि वृद्धि लेखन सामग्री क्रय हेतु, पेट्रोल एवं वाहन किराये की दरों में वृद्धि तथा अनुसंधान हेतु वाहनों की अधिक मांग होने से राशि की आवश्यकता होने के कारण बतलाई गई। शेष कमी (7.07 लाख रुपये) के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(10) 2059-80-001-3541-मुख्य तकनीकी परीक्षक का कार्यालय-			
मूल	1,69.10		
पुनर्वि.	-39.61	1,29.49	1,16.66
39.61 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 39.76 लाख रुपये की कमी तथा 0.15 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः पद रिक्त रहने के कारण, अनाज एवं त्यौहार अग्रिम के आवेदन प्राप्त नहीं होने से, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त नहीं होने से, यात्रा दावे प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपायों, फर्नीचर क्रय की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से, पुस्तकों की मांग कम होने से, वाहनों की संख्या कम होने से, प्रकाशन से दावे प्राप्त नहीं होने से, अकादमी में मुफ्त प्रशिक्षण एवं वाहनों के रख रखाव में कम व्यय होने के कारण हुई (13.16 लाख रुपये)। 26.60 लाख रुपये की अवशिष्ट कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

अनुदान संख्या 01-जारी

प्रभारित-

(v) 96.88 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 2.55 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोग अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 1,22.84 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) 96.88 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 65.26 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2012-03-103-9059-घरेलू कर्मचारी (भारित)-			
मूल	1,79.14		
पुनर्वि.	-16.56	1,62.58	1,60.33
			-2.25

16.56 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत विनियोग में 32.56 लाख रुपये की कमी एवं 16.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मितव्ययिता एवं पद रिक्त रहने के कारण हुई, जबकि वृद्धि अंशतः यात्रा व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण बतलाई गई (4.00 लाख रुपये)। शेष वृद्धि (12.00 लाख रुपये) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(2) 2051-102-3689-राज्य लोक सेवा आयोग-

मूल	6,96.31		
पूरक	1,18.73		
पुनर्वि.	-60.29	7,54.75	7,24.53
			-30.22

60.29 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत विनियोग में 61.67 लाख रुपये की कमी तथा 1.38 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः माननीय सदस्यों एवं अन्य पदों के रिक्त रहने, दूरभाष, डाक एवं तार प्रभार में कम व्यय, वाहनों के अपलेखन के कारण पेट्रोल व्यय में कमी, सुरक्षा एजेन्सी से दावे प्राप्त नहीं होने, अधिक राशि प्राप्त होने एवं रख रखाव कार्य में विवेकपूर्ण व्यय करने के कारण हुई (60.29 लाख रुपये)। शेष कमी (1.38 लाख रुपये) के साथ ही वृद्धि एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2012-03-101-3708-राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते (भारित)-			
मूल	9.00		
पूरक	2.01		
पुनर्वि.	22.54	33.55	31.54
			-2.01

22.54 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा विनियोग में वृद्धि राज्यपाल के वेतन पुनरीक्षण के कारण बतलाई गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 01-समाप्त

पूँजीगत:
दत्तमत-

(ix) 5,62.35 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 19 फरवरी एवं 31 मार्च 2009 को केवल 5,52.34 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(X) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6925-नई दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन का निर्माण-			
मूल	14,00.00		
पुनर्वि.	-5,52.34	8,47.66	8,47.65
			-0.01

5,52.34 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः दिनांक 12-02-2009 के उच्चाधिकार समिति के निर्णय अनुसार राशि समर्पित करने से हुई (3,00.00 लाख रुपये)। शेष प्रत्याशित बचत (2,52.34 लाख रुपये) के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053- जिला प्रशासन			
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075- विविध सामान्य सेवाएं			
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2250- अन्य सामाजिक सेवाएं			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
वत्तमत-			
मूल	18,13,46		
पूरक	15,25,75	33,39,21	22,16,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (20 फरवरी एवं 31 मार्च 2009)			-11,23,00 3,27,45
प्रभारित		2	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-2 2
पूंजीगत:			
वत्तमत-			
पूरक	5,00,00	5,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-5,00,00 5,00,00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
वत्तमत-			
(i) 11,23.00 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 5,10.75 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि जनवरी 2009 में प्राप्त किया गया 10,15.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 11,23.00 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 20 फरवरी एवं 31 मार्च 2009 को केवल 3,27.45 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2070-800-4678-स्वागत तथा सामपत्तिक पदाधिकारी का कार्यालय	2,68.86	1,37.54	-1,31.32
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 02-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2235-60-107-7512-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों हेतु बस पास-			
मूल	45.00		
पुनर्वि.	-40.50	4.50	-4.50
40.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत परिवहन विभाग से निधियों के आवंटन हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। शेष प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2235-60-200-5710-लोक नायक जय प्रकाश सम्मान निधि-			
पूरक	13,75.00		
पुनर्वि.	-40.00	13,35.00	-5,93.26
(4) 2235-60-800-1982-दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता-			
मूल	60.00		
पूरक	1,40.00		
पुनर्वि.	-1,25.13	74.87	+2.20

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 40.00 लाख रुपये एवं 1,25.13 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

पूँजीगत:

वत्तमत-

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
4059-01-051-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5668-राज्य सूचना आयोग का भवन निर्माण-			
पूरक	5,00.00		
पुनर्वि.	-5,00.00		

सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश एवं राज्य सरकार से राज्यांश की राशि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 03-पुलिस

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2055- पुलिस			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
6216- आवास के लिये कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	13,82,93,66		
पूरक	6,39,71	13,89,33,37	13,57,33,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-32,00,23 7,29,90
<i>प्रभारित</i>		71,00	70,00
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</i>			-1,00 1,00
पूंजीगत:			
दत्तमत		51,70,08	45,40,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-6,29,69 निरंक
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 6,39.71 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 32,00.23 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 7,29.90 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) यद्यपि 32,00.23 लाख रुपये की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप-शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुए हैं:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -

[अ]-बचत:-

(1) 2055-003-2632-पुलिस अकादमी सागर-

मूल	5,51.01		
पुनर्वि.	-1.05	5,49.96	4,47.34
			-1,02.62

1.05 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 03 -जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2055-101-270-अपराध अनुसंधान विभाग-			
मूल	47,57.66		
पूरक	16.49		
पुनर्वि.	-15.39	47,58.76	41,12.53
			-6,46.23
15.39 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 51.77 लाख रुपये की कमी तथा 36.38 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि विद्युत एवं जल प्रभार के लंबित देयकों के भुगतान तथा लंबित देयकों के निराकरण हेतु निधियों की आवश्यकता के कारण हुई (रुपये 16.38 लाख)। शेष 20.00 लाख रुपये की अवशिष्ट वृद्धि एवं 51.77 लाख रुपये की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2055-109-1816-डकैती रोधक अभियान-			
मूल	18,45.51		
पुनर्वि.	-18.00	18,27.51	14,62.07
			-3,65.44
18.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2055-114-4155-बेतार केन्द्र भोपाल/गवालियर-			
मूल	40,63.63		
पुनर्वि.	-1,05.50	39,58.13	33,83.68
			-5,74.45
1,05.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,17.35 लाख रुपये की कमी तथा 11.85 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि रेडियो जोन के लंबित विद्युत देयकों के भुगतान होने के कारण हुई (5.85 लाख रुपये)। 6.00 लाख रुपये की अवशिष्ट वृद्धि तथा 1,17.35 लाख रुपये की कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2055-115-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण			
	40,00.00	20,64.96	-19,35.04
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2070-107-2710-प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय-			
मूल	22,16.52		
पुनर्वि.	-3,08.14	19,08.38	19,05.92
			-2.46
3,08.14 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,53.69 लाख रुपये की कमी तथा 45.55 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी मुख्यतः मितव्ययिता, सरकार द्वारा जनवरी माह में क्रय पर प्रतिबंध, पुराने वाहनों के बदले नये वाहन क्रय करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं पद रिक्त रहने के कारण हुई। जबकि वृद्धि मुख्यतः न्यायालयीन प्रकरणों में भुगतान करने, अंतरिम राहत एवं जिलाध्यक्ष द्वारा मजदूरी की दरों में वृद्धि किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2070-107-4670-स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण-			
मूल	5,62.15		
पुनर्वि.	-1,31.60	4,30.55	4,32.16
			+1.61
1,31.60 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः मितव्ययिता, वर्षाकाल में बाढ़ राहत के लिये होमगार्ड को उनकी आव्हान सेवा के दौरान प्रशिक्षण सम्पन्न न करने, सड़क यात्रा हेतु जारी वारंट में मितव्ययिता तथा रेल्वे वारंट का महालेखाकार कार्यालय द्वारा समायोजन के कारण हुई (94.78 लाख रुपये)। शेष प्रत्याशित बचत (36.82 लाख रुपये) के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 03 -जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(8) 2070-107-7867-नगर सेना का आधुनिकीकरण-			
मूल	5,30.00		
पुनर्वि.	-5,30.00

5,30.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों, पन्द्रह प्रतिशत वित्तीय कटौती होने तथा सरकार से केन्द्रांश/राज्यांश की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

[ब]-आधिक्य:-

(1) 2055-001-1011-क्षेत्रीय महानिरीक्षक तथा संभागीय स्थापना-

मूल	4,59.16			
पुनर्वि.	17.50	4,76.66	5,30.78	+54.12

17.50 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन लंबित चिकित्सा देयकों के भुगतान के कारण हुआ (13.00 लाख रुपये)। शेष आवर्धन निधि (4.50 लाख रुपये) के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(2) 2055-109-194-अन्य पुलिस-

मूल	24,21.00			
पुनर्वि.	-6.00	24,15.00	25,60.29	+1,45.29

6.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 11.00 लाख रुपये की कमी एवं 5.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही इस शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(3) 2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)-

मूल	7,10,82.60			
पूरक	2,00.00			
पुनर्वि.	11,90.83	7,24,73.43	7,47,09.55	+22,36.12

11,90.83 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधि का आवर्धन प्रावधान में 28,74.79 लाख रुपये की वृद्धि तथा 16,83.96 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के भुगतान, एस.सी./एस.टी. आवेदकों को किराया, बिजली एवं जल प्रभार, कानून व्यवस्था बनाने हेतु नियुक्त सी.आर.पी.एफ. के देयकों का भुगतान, जिला इकाईयों के वाहन अनुरक्षण के लंबित दावों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(4) 2070-107-492-आव्हान पर होने वाला व्यय-

मूल	47,10.05			
पूरक	4,23.22			
पुनर्वि.	2,39.84	53,73.11	54,10.03	+36.92

2,39.84 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधि का आवर्धन प्रावधान में 3,09.50 लाख रुपये की वृद्धि तथा 69.66 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि होमगार्ड को मानदेय का भुगतान तथा भोजन की दरों में वृद्धि होने के कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान सख्या 03- समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iv) 6,29.69 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
4055-211-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	30,00.00	23,70.33	-6,29.67

अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2013-मंत्रीपरिषद्			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2216-आवास			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
6235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिये कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	12,98,30		
पूरक	2,27,37	15,25,67	12,07,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-3,18,16 8,10
प्रभारित		5,01	1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-5,00 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत		2	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-2 निरंक
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (1,37.37 लाख रुपये) तथा जनवरी 2009 (90.00 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 2,27.37 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 3,18.16 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 8.10 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2070-114-3598-मोटर गैरेज	3,63.06	3,10.20	-52.86
(2) 2070-114-4617-स्टेट गैरेज के पेट्रोल पम्प से अन्य विभागों को विक्रय किये जाने हेतु पी.ओ.एल. की खरीद	1,65.00	1,14.91	-50.09
(3) 2235-60-200-2653-पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान, सहायक अनुदान-			
मूल	20.00		
पूरक	2,27.37	2,47.37	1,49.82
			-97.55

अनुदान संख्या 04- समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(4) 2235-60-200-9262-जिला सैनिक बोर्ड	4,54.83	4,04.36	-50.47

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 तथा क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) 5.00 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 05- जेल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2056- जेल			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	94,07,22		
पूरक	7,36,70	1,01,43,92	-2,71,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			2,72,39
प्रभारित		1,00	-1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		..	निरंक

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:
दत्तमत-

(i) 2,71.35 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 1,50.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 5,86.70 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 31 मार्च 2009 को किया गया 2,72.39 लाख रुपये का अभ्यर्पण 2,71.35 लाख रुपये की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(iii) यद्यपि 2,71.35 लाख रुपये की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुए हैं:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	-------------------------------------	-------------------

बचत:-

(1) 2056-001-2304-निदेशन और प्रशासन-

मूल	2,04.81		
पुनर्वि.	-19.22	1,85.59	1,17.13
			-68.46

19.22 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 21.91 लाख रुपये की कमी तथा 2.69 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं मितव्ययिता के कारण थी तथा वृद्धि लंबित देयकों का भुगतान एवं आगामी माहों के व्यय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(2) 2056-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
5699-भारत सरकार की जेल सुधार योजना-

पूरक	1,50.00		
पुनर्वि.	-0.13	1,49.87	75.34
			-74.53

0.13 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(3) 2056-102-1524-जेल उत्पादन-

मूल	2,61.63		
पुनर्वि.	-4.25	2,57.38	1,59.95
			-97.43

4.25 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं मितव्ययिता के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 06-वित्त

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2054-खजाना एवं लेखा प्रशासन			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2071-पेंशन तथा सेवा निवृत्ति हित लाभ			
2075-विविध सामान्य सेवाएं			
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			
6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज			
7075-अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज			
7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
7810-अन्तर्राज्यीय परिशोधन			
7999-आकस्मिकता निधि को विनियोजन			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	31,00,96,30		
पूरक	15,34,66	31,16,30,96	24,91,69,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-6,24,61,16 25,14,73
प्रभारित		12,73,34	2,03,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-10,69,71 30
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	3,71,41,35		
पूरक	16,91,13	3,88,32,48	73,71,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-3,14,60,71 1,39,96

73,71.77 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 7075-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5632-जन निजी भागीदारी अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु अग्रिम के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 18,84.00 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (15,33.91 लाख रुपये) तथा जनवरी 2009 (0.75 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 15,34.66 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 6,24,61.16 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 25,14.73 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 06 -जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5247-आम आदमी बीमा योजना-			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	-5,00.00
(2) 2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5629-उच्च शिक्षा ऋण गारंटी कोष की स्थापना-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	-3,00.00
(3) 2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5630-अल्प आय वर्ग की अंशदायी पेंशन योजना हेतु प्रोत्साहन-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	-3,00.00
(4) 2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5631-वित्तीय समावेशन हेतु अधोसंरचना विकास-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	-2,99.58	0.42	0.42
(5) 2052-091-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं- 7315-शासकीय कार्य प्रबंधन का सुदृढीकरण-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	-3,00.00	7,00.00	7,00.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,99.58 लाख रुपये तथा 3,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत, क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 5,00.00 लाख रुपये तथा क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत 3,00.00 लाख रुपये प्रत्येक के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2054-095-4307-संभागीय स्थापना	4,29.99	3,26.09	-1,03.90
(7) 2054-095-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य-			
मूल	14,03.94		
पूरक	10,00.00	24,03.94	2,94.99
(8) 2054-098-4361-बीमा तथा स्थानीय निधि लेखा-			
मूल	23,41.49		
पूरक	0.01	23,41.50	17,90.49
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 2070-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 224-अन्य व्यय-			
मूल	7,10,00.00		
पुनर्वि.	-32.23	7,09,67.77	..
32.23 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही सम्पूर्ण अवशिष्ट प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 06-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(10) 2071-01-102-9998-मध्य प्रदेश-			
मूल	6,00.00		
पुनर्वि.	-4,00.00	2,00.00	67.83
(11) 2071-01-102-9999-एकीकृत मध्य प्रदेश-			
मूल	12,00.00		
पुनर्वि.	-11,00.00	1,00.00	2,87.04

इन शीर्षों के अंतर्गत 4,00.00 लाख रुपये तथा 11,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पेंशन सारांशीकरण का लाभ शासकीय सेवकों द्वारा कम संख्या में लेने के कारण हुई। अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(12) 2071-01-104-9998-मध्य प्रदेश	1,35,37.73	91,45.63	-43,92.10
(13) 2071-01-104-9999-एकीकृत मध्य प्रदेश	3,64,71.10	2,27,15.15	-1,37,55.95
(14) 2071-01-105-9998-मध्य प्रदेश	69,73.45	49,78.39	-19,95.06
(15) 2071-01-111-9999-एकीकृत मध्य प्रदेश	7,06.64	2,90.99	-4,15.65
(16) 2071-01-115-9998-मध्य प्रदेश	29,02.14	23,95.37	-5,06.77
(17) 2075-797-6857-प्रतिभूति रिडंमशन निधि मे हस्तांतरण	3,00.00	..	-3,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (16) के शीर्षान्तर्गत बचत एवं क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (12), (13) एवं (15) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 एवं क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(18) 2075-800-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य-			
मूल	5.00		
पूरक	5,00.00		
पुनर्वि.	-4,96.46	8.54	8.54

4,96.46 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,99.71 लाख रुपये की कमी तथा 3.25 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों के डाटा कलेक्शन एवं मैनेजमेण्ट एजेंसी हेतु आवेदित टेण्डर निरस्त किये जाने के कारण हुई, जबकि वृद्धि वित्त विभाग की स्वीकृति के अनुसरण में आकस्मिक व्ययों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2071-01-101-9998-मध्य प्रदेश	2,10,18.82	2,54,79.14	+44,60.32
(2) 2071-01-101-9999-एकीकृत मध्य प्रदेश	12,02,21.06	14,22,31.94	+2,20,10.88
(3) 2071-01-105-9999-एकीकृत मध्य प्रदेश	1,46,71.15	2,45,93.97	+99,22.82
(4) 2071-01-115-9999-एकीकृत मध्य प्रदेश	80,91.83	82,74.58	+1,82.75

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 06-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(5) 2071-01-117-6854-अंशदायी पेंशन योजना-			
मूल	10,80.00		
पुनर्वि.	15,00.00	25,80.00	15,90.88
			-9,89.12

15,00.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि कर्मचारी अंशदान के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होने के कारण होना बतलाया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

प्रभारित-

(v) 10,69.71 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 0.30 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2071-01-101-5158-सेवा निवृत्त न्यायिक सदस्यों को देय भत्ते	68.04	18.79	-49.25
(2) 2071-01-101-9999-एकीकृत मध्य प्रदेश	10,24.49	1,42.89	-8,81.60
(3) 2071-01-102-9999-एकीकृत मध्य प्रदेश	1,32.28	35.07	-97.21
(4) 2071-01-106-9998-मध्यप्रदेश	10.58	0.56	-10.02
(5) 2071-01-106-9999-एकीकृत मध्य प्रदेश	26.46	6.33	-20.13

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 तथा क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(vii) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 16,91.13 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(viii) 3,14,60.71 लाख रुपये की प्रचुर उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 1,39.96 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4885-01-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6782-म.प्र.वित्त निगम की अंशपूँजी में धनवेष्ठन-			
मूल	10,00.00		
पूरक	16,91.13	26,91.13	21,91.13
			-5,00.00
(2) 6075-800-6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	85,00.00	..	-85,00.00

अनुदान संख्या 06-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(3) 6075-800-6788-राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर.बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	5,00.00	..	-5,00.00
(4) 6075-800-6842-राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता	2,45,00.00	27,14.50	-2,17,85.50
(5) 7610-201-9084-अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को ऋण-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-22.75	77.25	9.75
			-67.50

उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 22.75 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत/अंतिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 तथा क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07-वाणिज्यिक कर

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2020-आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण			
2030-स्टाम्प पंजीकरण			
2039-राज्य उत्पाद शुल्क			
2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	7,35,74,89		
पूरक	13,25,00	7,48,99,89	6,74,25,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (06, 17 एवं 31 मार्च 2009)			-74,74,58 59,50,34
प्रभारित-			
मूल	1,05,06,50		
पूरक	11,34,35	1,16,40,85	1,16,34,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-6,50 4,31
पूंजीगत:			
दत्तमत		10,00	2,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (06 एवं 31 मार्च 2009)			-7,05 7,05
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (3,00.00 लाख रुपये) तथा जनवरी 2009 (10,25.00 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 13,25.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 74,74.58 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 6, 17 एवं 31 मार्च 2009 को केवल 59,50.34 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2030-01-001-3561-मुख्यालय स्थापना-			
मूल	2,69.47		
पुनर्वि.	-61.85	2,07.62	2,06.55
			-1.07

अनुदान संख्या 07- जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2030-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य-			
मूल	20,10.00		
पुनर्वि.	-16,56.50	53.36	-3,00.14
(3) 2030-02-101-2456-न्यायिकेतर स्टाम्प की लागत-			
मूल	8,00.00		
पुनर्वि.	-0.22	7,99.78	-1,67.46
(4) 2030-02-797-6001-म.प्र.उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण-			
मूल	45,00.00		
पुनर्वि.	-7,01.65	37,98.35	-40.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 61.85 लाख रुपये, 16,56.50 लाख रुपये, 0.22 लाख रुपये एवं 7,01.65 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2039-001-1470-जिला कार्यपालिक स्थापना-			
मूल	46,07.49		
पुनर्वि.	-6,96.95	39,10.54	-35.24
6,96.95 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पन्द्रह प्रतिशत की वित्तीय कटौती, मितव्ययी उपायों एवं निधि की कम आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(6) 2039-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य-			
मूल	14,00.00		
पुनर्वि.	-13,41.52	58.48	-14.05
13,41.52 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने, पन्द्रह प्रतिशत की बजट में कटौती एवं कम्प्यूटर प्रणाली के अंतर्गत साफ्टवेयर तैयार नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2039-104-4173-स्परिट की खरीद-			
मूल	60,00.00		
पूरक	10,00.00		
पुनर्वि.	-5,85.62	64,14.38	-1,94.19
5,85.62 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत संबंधित फर्म द्वारा माह मार्च के देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(8) 2039-800-4034-विभागीय मदिरा दुकानों का संचालन-			
मूल	77.95		
पुनर्वि.	-74.64	3.31	-2.04
74.64 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत विभागीय मदिरा दुकानों का संचालन नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 07- जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(9) 2040-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य-			
मूल	29,00.22		
पुनर्वि.	-1,57.10	27,43.12	22,19.79
			-5,23.33

1,57.10 लाख रुपये के एक भाग की प्रत्याशित बचत मुख्यतः टी.सी.एस. द्वारा नवीन कम्प्यूटरीकरण परियोजना के साफ्टवेयर से संबंधित देयक प्रस्तुत नहीं करने, मितव्ययिता एवं लंबित देयकों का अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान होने के कारण हुई (1,52.23 लाख रुपये)। 4.87 लाख रुपये की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) 2040-101-1509-जिला स्थापना-

मूल	66,91.71			
पूरक	2,00.00			
पुनर्वि.	-1,20.66	67,71.05	59,90.13	-7,80.92

1,20.66 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,05.66 लाख रुपये की कमी एवं 85.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी मुख्यतः मितव्ययिता, ई-मेल सर्विस के उपयोग में हुई वृद्धि से डाक एवं तार व्यय में कमी, दूरभाष में मितव्ययिता, पेट्रोल एवं तेल आदि व्यय में कमी, बिजली एवं जल प्रभार एवं वर्दियों के देयक प्राप्त नहीं होने, गोपनीय सेवा संबंधी नियम नहीं बनने, कोर्ट में सुनवाई नहीं होने तथा आडिट शाखा हेतु किराये के वाहन की शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा सुरक्षा व्यवस्था के कर्मचारियों के लंबित देयकों का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में करने के कारण हुई, जबकि वृद्धि प्रवेश कर की फीस के भुगतान हेतु अभिभाषक द्वारा न्यायालय में चुनौती देने के कारण अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने से सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2030-02-102-2455-न्यायिकेत्तर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय	17,00.00	18,36.80	+1,36.80

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(v) पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि-

मध्यप्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम, 1993 की धारा 74 एवं 75 के अंतर्गत पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि का गठन किया गया है। प्रत्येक भू-धारी तथा सरकारी भूमि का पट्टेदार से ग्राम पंचायत क्षेत्र में उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में उपकर ऐसी भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व या लगान के 50 पैसे प्रति रुपया या उसके किसी भाग पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये उद्ग्रहीत किया जाता है तथा उन लिखितों पर जो खंड के भीतर स्थावर संपत्ति के दान, विक्रय या बंधक से संबंधित हों, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क एक प्रतिशत की दर से ऐसी संपत्ति के मूल्य या बंधक की दशा में उस रकम पर जो लिखित द्वारा प्रतिभूति की गई है, उद्ग्रहीत कर राज्य की संचित निधि के अंतर्गत शासन की प्राप्ति में जमा की जाती है। जनपद, ग्राम तथा जिला पंचायतों के कार्यालय व्यय तथा कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु इस निधि का उपयोग किया जाता है। उपकर तथा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मुख्य शीर्ष 0030-स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस-01-स्टाम्प-न्यायिक एवं 02-स्टाम्प-न्यायिकेत्तर-800-अन्य प्राप्ति-0035-मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत स्टाम्प शुल्क के अंतर्गत राजस्व में जमा किया जाता है तथा इस अनुदान में उपकर के आगम तथा गत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा उगाही गई उपकर एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के समतुल्य राशि मुख्य शीर्ष 2030-स्टाम्प एवं पंजीकरण- स्टाम्प-न्यायिक एवं 02-स्टाम्प-न्यायिकेत्तर-797-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं को/से अंतरण-6002-मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क का पंचायत भू-राजस्व तथा स्टाम्प शुल्क में अंतरण के अंतर्गत राज्य की संचित निधि पर प्रभारित किया जाकर मुख्य शीर्ष 8229-विकास एवं कल्याण निधि-200-अन्य विकास एवं कल्याण निधियां-पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि में जमा किया जाता है।

अनुदान संख्या 07- समाप्त

1 अप्रैल 2008 को निधि का प्रारंभिक शेष 3,65,09.11 लाख रुपये था। वर्ष के दौरान इस निधि में 1,16,34.35 लाख रुपये की राशि जमा की गई। वर्ष के दौरान निधि को कोई राशि नामे नहीं की गई। 31 मार्च 2009 को निधि में जमा शेष 4,81,43.46 लाख रुपये था।

निधि के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2008-09 के विवरण संख्या-16 में सम्मिलित है।

प्रभारित-

(vi) 6.50 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 4.31 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक		आधिक्य +	
	व्यय (हजार रुपये में)		बचत -	
मुख्य शीर्ष-				
2029-भू राजस्व				
2052-सचिवालय -सामान्य सेवाएं				
2053-जिला प्रशासन				
2075-विविध सामान्य सेवाएं				
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन				
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
6401-फसल कृषि कर्म के लिये कर्ज				
राजस्व:				
दत्तमत-				
मूल	4,32,51,05			
पूरक	43,20,00	4,75,71,05	4,09,01,98	-66,69,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				40,15,24

4,09,01.98 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-5917-भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 3,00.13 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित-

मूल	4,65,66			
पूरक	1,84	4,67,50	3,94,08	-73,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				11,01

पूंजीगत:

दत्तमत-

मूल	12,83,25			
पूरक	11,06,50	23,89,75	21,77,86	-2,11,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				2,01,88

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (8,83.48 लाख रुपये), जनवरी 2009 (22,67.53 लाख रुपये) तथा मार्च 2009 (11,68.99 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 43,20.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 66,69.07 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 40,15.24 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 08-जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2029-001-6846-भू-प्रबंधन-			
मूल	28,91.69		
पूरक	21.49		
पुनर्वि.	-2,92.35	26,20.83	24,84.17
			-1,36.66
2,92.35 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,67.35 लाख रुपये की कमी तथा 75.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः सरकार द्वारा पन्द्रह प्रतिशत रोकी गई राशि विमुक्त नहीं करने के कारण हुई (2,72.85 लाख रुपये), जबकि वृद्धि लेखन सामग्री एवं पेट्रोल तेल आदि व्यय, शासकीय मुद्रणालय को मुद्रण प्रभार, मजदूरी शीर्ष में कम राशि उपलब्ध होने तथा मजदूरी का बढ़ी हुई दर से भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होना बतलाई गई। 94.50 लाख रुपये की अवशिष्ट कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2029-102-2193-नजूल स्थापना-			
मूल	12,45.05		
पुनर्वि.	-41.05	12,04.00	10,65.77
			-1,38.23
41.05 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत सरकार द्वारा पन्द्रह प्रतिशत रोकी गई राशि विमुक्त नहीं करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2029-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
5162-नगरीय क्षेत्रों में भूमि का अभिलेखीकरण-			
मूल	1,90.00		
पुनर्वि.	-1,90.00
			..
1,90.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत एल.एल.आर.एम.पी. योजनान्तर्गत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2029-103-1472-जिला खर्च-			
मूल	1,49,65.00		
पूरक	11,47.50		
पुनर्वि.	-2,86.56	1,58,25.94	1,51,27.97
			-6,97.97
2,86.56 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,07.56 लाख रुपये की कमी तथा 21.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी के एक भाग की मुख्यतः शासन द्वारा पन्द्रह प्रतिशत रोकी गई राशि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई (3,06.06 लाख रुपये), जबकि वृद्धि प्रोफार्मा बी-1 के मुद्रण के बकाया देयकों, कार्यालय व्यय तथा जिला एवं तहसील स्तर पर लंबित चिकित्सा देयकों के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होना बतलाया गया। शेष कमी (1.50 लाख रुपये) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 तथा 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2029-103-6155 -अनुसूचित जाति, अनुसूचित			
जनजाति कृषकों के अधिकार अभिलेख तथा			
ऋण पुस्तिकाओं का निःशुल्क प्रदाय-			
पूरक	10,23.00		
पुनर्वि.	-10,23.00
			..
सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान की प्रत्याशित बचत कोषालय सर्वर द्वारा देयक जनरेट नहीं होने के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 08-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(6) 2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 5917-भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार-			
पूरक	8,83.48		
पुनर्वि.	-5,19.35	3,64.13	3,64.13
3,64.13 लाख रुपये का व्यय 3,00.13 लाख रुपये से इस शीर्ष को नामें तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा - 800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत नहीं दर्शायी गई, जिसके कारणों के साथ ही 5,19.35 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(7) 2029-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6337-भू-अभिलेख का अद्यतीकरण-			
मूल	1,04.00		
पूरक	12,36.28		
पुनर्वि.	-13,40.28
13,40.28 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(8) 2029-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5045-केडेस्ट्रल सर्वे नक्शों का डिजिटिजेशन-			
मूल	1,50.00		
पुनर्वि.	-1,50.00
1,50.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान के एक भाग की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से एल.एल.आर.एम.पी. योजनान्तर्गत राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (1,34.66 लाख रुपये)। 15.34 लाख रुपये की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 2053-093-1509-जिला स्थापना-			
मूल	74,50.13		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	-16.00	74,34.13	68,74.96
16.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आर्थिक उपायों तथा पेट्रोल तेल आदि, फर्नीचर तथा कार्यालय उपकरण में अतिरिक्त मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(10) 2053-094-441-आदेशिका वाहक स्थापना	57,18.30	46,28.21	-10,90.09
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

प्रभारित-

(iv) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 1.84 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोग
अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) 73.42 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 11.01 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 08-समाप्त

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2052-099-3657-राजस्व बोर्ड-			
मूल	54.47		
पूरक	1.84	56.31	35.39
			-20.92

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 तथा 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 3604-200-6111-नजूल लगान में से नगर पालिकाओं को 4/5 अनुदान-

मूल	3,86.19			
पुनर्वि.	-1.01	3,85.18	3,52.05	-33.13

1.01 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

पूंजीगत :

दत्तमत-

(vii) 2,11.89 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 11,06.50 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(viii) 2,11.89 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 2,01.88 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
6401-800-862-कृषक ऋण विधान-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	-1,96.89	3.11	3.11
			..

1,96.89 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 09-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2075-विविध सामान्य सेवाएं			
4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	33,96,85	29,36,38	-4,60,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			4,57,50
प्रभारित	3,00	..	-3,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			3,00

पूंजीगत:

दत्तमत	21,00	..	-21,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			21,00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) 4,60.47 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 4,57.50 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2058-101-3842-लेखन सामग्री तथा स्टोर्स के शाखा कार्यालय-			
मूल	3,15.11		
पुनर्वि.	-77.63	2,37.48	-5.91

77.63 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने, परीक्षा सम्पन्न नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2058-103-4202-शासकीय केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्रणालय-

मूल	27,65.30		
पुनर्वि.	-3,23.07	24,42.23	+3.03

3,23.07 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,65.27 लाख रुपये की कमी तथा 42.20 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। एक भाग की कमी मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, मितव्ययी उपायों, प्रशिक्षु उपलब्ध नहीं होने एवं केपेसिटल लगाने के कारण हुई (3,28.97 लाख रुपये), जबकि वृद्धि अंशतः प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में वृद्धि होने एवं चुनाव कार्य की वजह से ओव्हर टाइम के भुगतान के कारण होना बतलाई गई (40.90 लाख रुपये)। अवशिष्ट कमी (36.30 लाख रुपये) एवं वृद्धि (1.30 लाख रुपये) के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूर्वगत :

वसत-

(iii) प्राधान में वसत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष

कल

वार्ताविक

आवृत्त +

वसत =

(लाख रुपये में)

4058-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

3427-मशीनों और उपकरण, छपाई की

मशीनों की खरीद-

मूल

21.00

पुनर्व.

-21.00

21.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्राधान की प्रत्याशित वसत कम पर प्रतिबंध के कारण हुई।

अनुदान संख्या 10-वन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2055-पुलिस			
2216-आवास			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2402-मृदा तथा जल संरक्षण			
2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी			
3054-सड़क तथा पुल			
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
6401-फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज			
7610-शासकीय सेवकों आदि को कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	6,98,30,19		
पूरक	39,87,01	7,38,17,20	7,28,39,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-9,78,08 6,31,04
प्रभारित		9,28,00	13,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-9,14,42 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	27,63,01	24,51,00	-3,12,01 निरंक
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत -			

(i) 9,78.08 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2009 में प्राप्त किया गया 'सांकेतिक' अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 39,87.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 9,78.08 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को 6,31.04 लाख रुपये की प्रचुर राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 10-जारी

(iii) यद्यपि 9,78.08 लाख रुपये की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुए हैं:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
[अ]-बचत:-			
(1) 2406-01-101-3836-उत्पादन वन मण्डल राजकीय व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, खैर एवं बांस-			
मूल	98,47.00		
पुनर्वि.	-5,47.88	92,99.12	93,99.78
			+1,00.66

5,47.88 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। आधिक्य छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को 01-01-2006 से बीस प्रतिशत अंतरिम राहत एवं चालीस प्रतिशत बकाया भुगतान करने के कारण हुआ।

(2) 2406-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-5317-वनों में आधुनिक अग्नि सुरक्षा योजना-				
मूल	10,59.00			
पुनर्वि.	-1,53.18	9,05.82	4,53.26	-4,52.56

1,53.18 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत क्रय सामग्री की निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिये जाने तथा दिसम्बर 2008 में सम्पन्न विधान सभा निर्वाचन के कारण क्रय पर प्रतिबंध होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(3) 2406-01-203-535-इमारती लकड़ी-				
मूल	76,33.92			
पुनर्वि.	1,50.00	77,83.92	64,99.03	-12,84.89

1,50.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन परिवहन (हॉलेज) दरों में वृद्धि होना बतलाया गया। अंतिम बचत कटाई की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने एवं 51-अन्य प्रभार के अंतर्गत भुगतान पर प्रतिबंध होने के कारण हुई।

[ब]-आधिक्य:-

(1) 2406-01-001-3555-मुख्यालय-				
मूल	13,52.20			
पुनर्वि.	1.50	13,53.70	15,73.16	+2,19.46

1.50 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन मुख्य वन संरक्षक (वित्त एवं बजट) के अवकाश यात्रा रियायत अग्रिम के भुगतान के कारण होना बतलाया गया। अंतिम आधिक्य छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को 01-01-2006 से बीस प्रतिशत अंतरिम राहत एवं चालीस प्रतिशत बकाया भुगतान करने के कारण हुआ।

(2) 2406-01-101-3877-क्षेत्रीय वन मण्डल-				
मूल	2,30,70.19			
पुनर्वि.	2,22.65	2,32,92.84	2,42,82.55	+9,89.71

2,22.65 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 3,74.65 लाख रुपये की वृद्धि तथा 1,52.00 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी तथा वन रक्षकों की नियुक्ति के कारण होना बतलाया गया। अंतिम आधिक्य छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को 01-01-2006 से बीस प्रतिशत अंतरिम राहत एवं चालीस प्रतिशत बकाया भुगतान, मजदूरी दर में वृद्धि, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विशेष वेतन एवं वाणिज्यिक विभाग को इमारती लकड़ी के विक्रय पर कर एवं रायल्टी के भुगतान होने के कारण हुआ। 1,52.00 लाख रुपये की कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 10-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2406-01-204-2901-बांस-			
मूल	15,60.00		
पुनर्वि.	-40.00	15,20.00	+3,01.46

40.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। अंतिम आधिक्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बजट की अनुपलब्धता के बावजूद भी मजदूरी एवं परिवहन प्रभारों के भुगतान के कारण हुआ।

प्रभारित-

(iv) 9,14.42 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2406-01-797-3885-वन विकास निधि में अंतरण (भारत)	9,03.00	..	-9,03.00
(2) 2406-01-800-190-अन्य निर्माण कार्य	25.00	13.58	-11.42

आरक्षित निधि शीर्ष "8229-विकास तथा कल्याण निधि" में राशि अंतरण करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार डिक्री धन के भुगतान होने के कारण इन शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग की बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) 3,12.01 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4406-01-070-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4342- सड़क, भवन एवं चौकी निर्माण कार्य	24,63.00	23,47.12	-1,15.88
(2) 4406-01-101-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 5651-वनों का विकास	3,00.00	1,03.88	-1,96.12

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2230-श्रम तथा रोजगार			
2851-ग्राम तथा लघु उद्योग			
2852-उद्योग			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6851-ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज			
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	98,12,48		
पूरक	13,77,59	1,11,90,07	1,01,92,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (02 दिसम्बर 2008 एवं 31 मार्च 2009)			-9,97,47 4,34,80
<i>प्रभारित</i>		4,50	1,04
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			-3,46 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	7,65,10		
पूरक	91,00	8,56,10	8,53,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-2,90 83
<i>प्रभारित</i>		10,00	10,00
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			.. निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:
दत्तमत-

(i) 9,97.47 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2008 एवं जनवरी 2009 में प्राप्त किया गया क्रमशः सांकेतिक एवं 68.56 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 13,09.03 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 9,97.47 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 02 दिसम्बर 2008 एवं 31 मार्च 2009 को केवल 4,34.80 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 11-जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2230-02-101-7878-दीनदयाल स्वरोजगार योजना-			
मूल	3,31.50		
पुनर्वि.	-1,14.55	2,16.95	1,94.22
			-22.73
1,14.55 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत वित्तीय संस्थाओं को आवश्यक संख्या में ऋण वितरित नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2230-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य-			
मूल	97.25		
पुनर्वि.	-46.60	50.65	48.42
			-2.23
46.60 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत शासन से क्रय की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(3) 2851-101-725-औद्योगिक संस्थानों का संधारण -			
मूल	4,67.50		
पुनर्वि.	-2.00	4,65.50	3,95.38
			-70.12
(4) 2851-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6927-बीमार लघु उद्योगों के पुनर्जीवन की योजना-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-1,00.00		
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2.00 लाख रुपये एवं 1,00.00 लाख रुपये (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2851-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-			
8325-प्रधानमंत्री रोजगार योजना-			
मूल	3,50.00		
पुनर्वि.	-3,40.00	10.00	9.98
			-0.02
3,40.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत योजना चालू नहीं रहने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2852-80-001-3370-मध्यवर्ती कार्यालय-			
मूल	5,15.39		
पुनर्वि.	21.00	5,36.39	4,55.36
			-81.03
21.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 31.00 लाख रुपये की वृद्धि तथा 10.00 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अंतरिम राहत के भुगतान एवं जिला कार्यालयों के लिए ई.पी.बी. एक्स मशीन क्रय करने हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी वित्त विभाग से वाहन क्रय की अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण बतलाई गई। अंतिम बचत ए.सी.पी. के लंबित भुगतान का आहरण नहीं होने के कारण हुआ। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 11-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(7) 2852-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6819-विद्युत देयक प्रतिपूर्ति-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-1,00.00		

1,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) 2852-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7433-गुणवत्ता प्रमाणीकरण व्यय प्रतिपूर्ति-			
मूल	70.00		
पुनर्वि.	-38.90	31.10	25.81
			-5.29

38.90 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(9) 3475-200-6408-अन्य व्यवसायिक उपक्रमों के विनियमन, भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन-			
मूल	1,92.30		
पुनर्वि.	-50.16	1,42.14	1,46.43
			+4.29

50.16 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2070-800-2497-पब्लिक काल, टेलीफोन तथा टेलीग्राफ कार्यालयों की प्रतिपूर्ति-			
मूल	0.01		
पुनर्वि.	72.00	72.01	72.00
			-0.01

72.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि केन्द्रीय डाक विभाग को डाकघरों के संचालन व्यय में हुई हानि की प्रतिपूर्ति के कारण बतलाई गई।

(2) 2852-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9068-औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान-			
मूल	5,73.50		
पुनर्वि.	2,00.00	7,73.50	7,67.31
			-6.19

2,00.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 2,05.00 लाख रुपये की वृद्धि एवं 5.00 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अधीनस्थ कार्यालयों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुई, जबकि कमी मांग प्राप्त न होने के कारण बतलाई गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 तथा 2006-07 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 12-ऊर्जा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2045 - वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2501 - ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम			
2801 - बिजली			
2810 - अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत			
4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6801 - बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत -			
मूल	17,65,87,18		
पूरक	84,15	17,66,71,33	13,80,36,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 फरवरी एवं 31 मार्च 2009)			-3,86,35,17 3,86,29,77
प्रभारित		2,65,00,00	1,65,94,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-99,05,51 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	16,68,24,00		
पूरक	8,59,00,00	25,27,24,00	21,57,97,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-3,69,26,06 3,53,26,07
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

दत्तमत -

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 को प्राप्त किया गया 84.15 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 3,86,35.17 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 28 फरवरी एवं 31 मार्च 2009 को केवल 3,86,29.77 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2045-103-4281-संग्रह सुधार बिजली शुल्क-			
मूल	9,16.93		
पुनर्वि.	-1,31.60	7,85.33	7,74.60
			-10.73

1,31.60 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भुगतान पर प्रतिबन्ध, पन्द्रह प्रतिशत की वित्तीय कटौती एवं वित्त विभाग से स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 12 -जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2045-103-5666-विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत विशेष अदालतों का गठन -			
पूरक	84.15		
पुनर्वि.	-84.15
84.15 लाख रुपये के सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान की प्रत्याशित बचत विशेष अदालतों के गठन न होने के कारण हुई ।			
(3) 2501-04-101-0410-ऊर्जा विकास निधि- 3220-म.प्र.ऊर्जा विकास निगम को सहायक अनुदान-			
मूल	3,25.00		
पुनर्वि.	-3,25.00
3,25.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा एकीकृत ग्रामीण विद्युत योजना/कार्यक्रम बन्द करने के कारण हुई । इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी ।			
(4) 2801-80-101-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 5114-विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (द्वितीय चरण) के अंतर्गत डी.एफ.आई.डी. से अनुदान-			
मूल	20,00.00		
पुनर्वि.	-18,08.69	1,91.31	1,91.31
18,08.69 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुई । इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी ।			
(5) 2801-80-101-7861-गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली की व्हीलिंग हेतु म.प्र.रा.वि.मं./उत्तरवर्ती कम्पनियों को अनुदान-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-1,00.00
1,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत बजट में पन्द्रह प्रतिशत की वित्तीय कटौती एवं स्वीकृति आदेश में वर्णित कोड का कोषालय के कम्प्यूटर में दर्शित कोड से मिलान न होने के कारण हुई ।			
(6) 2801-80-800-5521-कृषकों के बकाया देयकों के निपटारे के लिये प्रोत्साहन अनुदान-			
मूल	7,00,00.00		
पुनर्वि.	-5,07,81.78	1,92,18.22	1,92,18.22
5,07,81.78 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित व्यय से कम व्यय करने तथा इस योजना के अंतर्गत किसानों से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई (3,57,81.78 लाख रुपये) । 1,50,00.00 लाख रुपये की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009) ।			
(7) 2810-60-800-0410-ऊर्जा विकास निधि- 3220-म.प्र.ऊर्जा विकास निगम को सहायक अनुदान-			
मूल	6,23.25		
पुनर्वि.	-2,87.25	3,36.00	3,36.00
2,87.25 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अन्य योजनाओं में निविदाओं को अंतिम रूप न देने एवं ब्रायो-मास परियोजना के लिये कृषि विभाग से टॉप-अप अनुदान देने के कारण हुई । इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी ।			

अनुदान संख्या 12 -जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2801-80-800-7313-टैरिफ अनुदान-			
मूल	9,00,00.00		
पुनर्वि.	1,50,00.00	10,50,00.00	10,50,00.00 ..

पुनर्विनियोग द्वारा 1,50,00.00 लाख रुपये की निधि का आवर्धन टैरिफ अनुदान में कम प्रावधान करने एवं वर्ष 2009-10 के लिये अग्रिम भुगतान के कारण किया जाना सूचित किया गया।

प्रभारित-

(v) 99,05.51 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) विनियोजन में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2045-103-3218-म.प्र.उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत			
ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण	2,65,00.00	1,65,94.49	-99,05.51
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

(vii) विद्युत्/ऊर्जा विकास निधि:-

ऊर्जा विकास निधि का गठन उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिए विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत् ऊर्जा यूनिट पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से सरकार द्वारा अधिरोपित ऊर्जा विकास उपकर से किया गया, जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), अनुसंधान एवं विकास योजनाओं में विद्युत् की उत्पादन क्षमता, पारेषण, वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वेक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर राजस्व शीर्ष "0043-विद्युत् पर कर एवं शुल्क-800-अन्य प्राप्तियों" में जमा किया जाता है तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के मुख्य शीर्ष "2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103-संग्रहण प्रभार-विद्युत् शुल्क - 3218-मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2008 को 4,23,00.55 लाख रुपये का प्रारंभिक शेष था। वर्ष के दौरान 1,65,94.49 लाख रुपये की राशि निधि में जमा " मुख्य शीर्ष 2045-103-3218-मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण" को नामे कर किया गया। वर्ष के दौरान निधि से कोई भी व्यय नहीं किया गया। 31 मार्च 2009 को निधि में अंतशेष 5,88,95.04 लाख रुपये था।

इस निधि के लेन-देन मुख्य शीर्ष "8229-विकास एवं कल्याण निधि-110-ऊर्जा विकास निधि" के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जिसका लेखा वित्त लेखे 2008-09 के विवरण संख्या -16 में दिया गया है।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(viii) 3,69,26.06 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 2,00,00.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि जनवरी 2009 में प्राप्त किया गया 4,93,00.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान आधिक्य सिद्ध हुआ जबकि मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 1,66,00.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था।

(ix) 3,69,26.06 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 3,53,26.07 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 12 -समाप्त

(X) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4801-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6844-अमर कंटक ताप विद्युत गृह विस्तार इकाई क्रमांक-5 हेतु धनवेष्ठन-			
मूल	40.00		
पुनर्वि.	-40.00
40.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से सहमति प्राप्त न होने के कारण हुई ।			
(2) 4801-02-190-0410-ऊर्जा विकास निधि- 9250-सतपुड़ा ताप विद्युत विस्तार इकाई हेतु धनवेष्ठन-			
मूल	35,00.00		
पुनर्वि.	-35,00.00
35,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत एम.ओ.ई.एफ. के निराकरण में विलम्ब होने के कारण कोषालय से राशि आहरित न करने से हुई । इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी ।			
(3) 4801-06-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6869-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना-			
पूरक	16,00.00	16,00.00	..
सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009) ।			
(4) 6801-190-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण-			
मूल	3,33,03.00		
पुनर्वि.	-2,83,14.15	49,88.85	49,88.85
2,83,14.15 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत सी.पी.आर.आई/ई.आर.डी.ए. द्वारा विलम्ब से सामग्री का प्रदाय एवं निरीक्षण, अनुमान से कम कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं काउन्टर पार्ट निधि का प्रबन्धन न होने के कारण हुई । इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी ।			
(5) 6801-800-0410-ऊर्जा विकास निधि- 2967-बिजली बोर्ड को अन्य उधार-			
मूल	12,74.00		
पुनर्वि.	-12,74.00
12,74.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत 12,74.00 लाख रुपये के अनुमानित कार्य के विरुद्ध 2 से 3 करोड़ रुपये के कार्य सम्पादित करने एवं आन्तरिक स्रोत से भुगतान करने के कारण हुई । इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी ।			

अनुदान संख्या 13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2401-फसल कृषि कर्म			
2402-मृदा तथा जल संरक्षण			
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
2705-कमान क्षेत्र विकास			
4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	5,89,96,84		
पूरक	99,21,41	6,89,18,25	4,55,59,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (21 जनवरी एवं 31 मार्च 2009)			-2,33,58,73
			2,27,91,66
प्रभारित		13,00	3,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-9,29
			7,38

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:**दत्तमत-**

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (9,21.41 लाख रुपये) तथा मार्च 2009 (90,00.00 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 99,21.41 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,33,58.73 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 21 जनवरी एवं 31 मार्च 2009 को केवल 2,27,91.66 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6430-एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम-			
मूल	3,68.16		
पुनर्वि.	-2,95.12	73.04	70.06
			-2.98
(2) 2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 921-केन्द्र प्रवर्तित योजना-दलहन फसलों का उत्पादन-			
मूल	7,14.34		
पुनर्वि.	-4,63.62	2,50.72	2,50.76
			+0.04
(3) 2401-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 9185-बीज ग्राम योजना-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	-7,21.81	2,78.19	2,74.38
			-3.81

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(4) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 4325-सघन जिला कपास विकास कार्यक्रम की केन्द्र प्रवर्तित योजना-			
मूल	2,31.92		
पुनर्वि.	-83.09	1,48.83	1,48.83
(5) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 927-राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना-			
मूल	22,08.76		
पुनर्वि.	-5,70.00	16,38.76	16,72.68
			+33.92
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,95.12 लाख रुपये, 4,63.62 लाख रुपये, 7,21.81 लाख रुपये, 83.09 लाख रुपये तथा 5,70.00 लाख रुपये (योग 21,33.64 लाख रुपये) की प्रत्याशित बचत अंशतः केन्द्र सरकार से मांग अनुसार राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (17,96.90 लाख रुपये)। 3,36.74 लाख रुपये की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (1), (3) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 तथा क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2401-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5359-बलराम तालाब-			
मूल	32,87.17		
पुनर्वि.	-7,21.59	25,65.58	25,63.88
			-1.70
(7) 2401-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9187-राज्य कृषक आयोग-			
मूल	1,06.03		
पुनर्वि.	-61.92	44.11	44.11
			..
(8) 2401-113-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1580-मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना-			
मूल	3,75.90		
पुनर्वि.	-1,09.65	2,66.25	2,59.87
			-6.38
(9) 2401-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5442-मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, 2007			
	5,40.00	..	-5,40.00
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 7,21.59 लाख रुपये, 61.92 लाख रुपये तथा 1,09.65 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही क्रम संख्या (6) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत तथा क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 एवं क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(10) 2401-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-			
मूल	2,30,00.00		
पुनर्वि.	-1,95,48.00	34,52.00	34,52.00
			..
1,95,48.00 लाख रुपये के एक भाग की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से कर्म राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई (80,48.00 लाख रुपये)। 1,15,00.00 लाख रुपये की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

अनुदान संख्या 13-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(11) 2402-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3142-भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधन की योजना-			
मूल	31,94.62		
पुनर्वि.	-3,35.30	28,59.32	28,56.89
			-2.43

3,35.30 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,72.47 लाख रुपये की कमी तथा 37.17 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी जिसके पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2401-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8768-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (कार्पस आफ फण्ड)-			
मूल	9,29.11		
पूरक	50,00.00		
पुनर्वि.	9,20.25	68,49.36	68,49.36
			..

9,20.25 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 9,36.74 लाख रुपये की वृद्धि तथा 16.49 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (कार्पस आफ फण्ड) के बीमा दावों के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

प्रभारित-

(v) 9.29 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 7.38 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2401-001-119-अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)-			
मूल	10.00		
पुनर्वि.	-4.38	5.62	3.71
			-1.91

4.38 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 14-पशुपालन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2216-आवास			
2403-पशु पालन			
4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	2,71,37,42		
पूरक	8,83,71	2,80,21,13	2,30,91,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-49,29,89 निरंक
<i>प्रभारित</i>		3,00	1,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-1,69 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत		60,00	59,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-10 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 8,83.71 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 49,29.89 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2403-001-4297-संचालनालय स्तर	3,95.55	3,24.34	-71.21
(2) 2403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2549-पशु चिकित्सालय	63,77.09	54,02.36	-9,74.73
(3) 2403-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 3786-माता महामारी उन्मूलन	6,27.02	5,32.96	-94.06
(4) 2403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5085-पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन	2,75.79	1,42.13	-1,33.66
(5) 2403-101-6998-पशुओं के रोगों की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय	5,35.85	4,26.73	-1,09.12

अनुदान संख्या 14- समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(6) 2403-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1108-गहन पशु विकास परियोजना	68,22.90	53,14.93	-15,07.97
(7) 2403-102-2567-पशु प्रजनन प्रक्षेत्र	5,89.85	4,41.83	-1,48.02
(8) 2403-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 6625-पशु संगणना की योजना-			
मूल	4,00.00		
पूरक	7,06.71	6,34.33	-4,72.38
(9) 2403-103-3578-मुर्गी पालन विकास प्रक्षेत्र	6,81.83	5,34.41	-1,47.42
(10) 2403-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7742-ग्रामीण परिवेश में मुक्त परिसर अंतर्गत कुक्कुट पालन परिक्षेत्र	65.00	..	-65.00
(11) 2403-104-4509-भेड़ प्रक्षेत्र	2,86.83	1,96.04	-90.79

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (11) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06, क्रम संख्या (5) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 तथा क्रम संख्या (2), (3), (6), (7) तथा (9) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(12) 2403-107-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 6995-चारागाह विकास एवं चारा बीज का वितरण-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	-43.50	1,56.50	1,10.00
			-46.50

43.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि जारी नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(13) 2403-113-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1458-महत्वपूर्ण पशु रोगों की विधिवत रोकथाम	6,78.70	4,31.48	-2,47.22
(14) 2403-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) - 8703-दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना	7,48.73	5,05.66	-2,43.07

उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 तथा क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2403-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7436-गुणवत्ता एवं स्वच्छ उत्पादन हेतु अधोसंरचना सुदृढीकरण-			
मूल	0.01		
पुनर्वि.	43.50	43.51	..

43.50 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि भारत सरकार द्वारा राशि जारी होने के कारण होना बतलाई गई।

प्रभारित-

(v) 1.69 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 15-अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय
पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2215-जल पूर्ति तथा सफाई			
2216-आवास			
2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2401-फसल कृषि कर्म			
2405-मछली पालन			
2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम			
2505-ग्रामीण रोजगार			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2702-लघु सिंचाई			
2851-ग्राम तथा लघु उद्योग			
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
राजस्व:			
मूल	6,59,10,80		
पूरक	8,65,26	6,67,76,06	5,57,25,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-1,10,50,15 80,81,24

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (1,53.50 लाख रुपये) तथा मार्च 2009 (7,11.76 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 8,65.26 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,10,50.15 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 80,81.24 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	-------------------------------------	-------------------

14-किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

(1) 2401-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना-

अनुसूचित जाति उपयोजना-

1580-मेक्रो मेनेजमेन्ट योजना-

मूल 1,85.92

पुनर्वि. -1,77.67

8.25

8.25

1,77.67 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के निश्चित कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2401-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जाति उपयोजना- 1918-दलहन फसलों का उत्पादन-			
मूल	2,35.59		
पुनर्वि.	-1,46.54	89.05	89.05
(3) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जाति उपयोजना- 1107-गहन तिलहन विकास कार्यक्रम-			
मूल	4,97.45		
पुनर्वि.	-2,66.11	2,31.34	2,37.86

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,46.54 लाख रुपये तथा 2,66.11 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से मांग अनुसार राशियां प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 तथा क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

20-स्कूल शिक्षा विभाग

(4) 2202-02-789-191-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5276-अध्यापक/संविदाशाला शिक्षक के वेतन के लिए अनुदान-				
मूल	7,76.15			
पुनर्वि.	-20.00	7,56.15	6,75.08	-81.07

20.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत संविदा आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

22-पंचायत

(5) 2515-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 2725-प्रशिक्षण		66.66	..	-66.66
(6) 2515-789-101-1303-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 1559-पंचायतों के लेखों के रख-रखाव		1,52.98	76.50	-76.48
(7) 2515-789-101-1303-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6905-स्थानीय निकायों का वित्त पोषण		97.40	48.71	-48.69
(8) 2515-789-101-1303-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6906-जलपूर्ति तथा स्वच्छता के संदर्भ में श्रोतों का सुधार		25,35.60	12,67.80	-12,67.80
(9) 2515-789-101-1303-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6907-ग्राम पंचायतों को न्यूनतम मौलिक आवश्यकता हेतु		25,35.62	12,67.81	-12,67.81

उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
26-समाज कल्याण विभाग			
(10) 2225-02-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 75-अंध, मूक बधिरों को वृत्तियां- पूरक	1,50.00	1,50.00	50.95 -99.05
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

52-ग्रामोद्योग

(11) 2851-789-110-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 9902-संरचना उत्पादन एवं प्रक्रिया के लिये सहायता (औद्योगिक सहकारिता)- मूल	48.30			
पुनर्वि.	-48.30
48.30 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत इस वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के जारी नहीं रहने के कारण हुई।				

55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

(12) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5133-अन्य छात्रवृत्तियां- मूल	30,58.18			
पुनर्वि.	-3,94.33	26,63.85	26,48.01	-15.84
3,94.33 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः जिला अधिकारियों द्वारा राशि आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई (1,54.33 लाख रुपये)। 2,40.00 लाख रुपये की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।				

(13) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 8805-प्राथमिक स्तर में बालिकाओं एवं बालकों को छात्रवृत्ति- मूल	16,28.64			
पुनर्वि.	-2,69.86	13,58.78	13,62.48	+3.70
2,69.86 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः जिला अधिकारियों से आवंटन की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (89.86 लाख रुपये)। 1,80.00 लाख रुपये की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।				

58-ग्रामीण विकास विभाग

(14) 2501-06-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 9249-बैंकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना- मूल	1,29,15.30			
पुनर्वि.	-58,64.87	70,50.43	70,25.18	-25.25
(15) 2501-06-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना- 8701-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- मूल	9,40.00			
पुनर्वि.	-1,65.47	7,74.53	7,74.70	+0.17

अनुदान संख्या 15- समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(16) 2501-06-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना- 8775-प्रशासन योजना जिला स्तर-			
मूल	2,08.00		
पुनर्वि.	-46.96	1,61.04	1,56.64
			-4.40

उपरोक्त क्रम संख्या (14) से (16) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 58,64.87 लाख रुपये, 1,65.47 लाख रुपये तथा 46.96 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की कम राशि प्राप्त होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत /आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(17) 2515-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-

6931-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम-

मूल 22,20.00

पुनर्वि. -3,11.88

19,08.12

19,08.12

..

3,11.88 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	-------------------------------------	-------------------

55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

(1) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-

4691-कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं
(कक्षा छठी)-

मूल 5,30.00

पुनर्वि. 1,03.95

6,33.95

6,54.49

+20.54

1,03.95 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 1,40.00 लाख रुपये की वृद्धि तथा 36.05 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि जिलों से आवंटन की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण होना बतलाई गई, जबकि कमी जिलों द्वारा निधियों का आहरण नहीं होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(2) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-

8844-कन्याओं के शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं
(कक्षा नवमी तथा ग्यारहवीं)-

मूल 8,50.00

पुनर्वि. 2,28.74

10,78.74

10,60.06

-18.68

2,28.74 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 2,80.00 लाख रुपये की वृद्धि तथा 51.26 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि जिलों से आवंटन की मांग प्राप्त होने के कारण होना बतलाई गई, जबकि कमी जिला अधिकारियों द्वारा निधियों का आहरण नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 16-मछली पालन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2405-मछली पालन			
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	22,43,86	16,70,62	-5,73,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
प्रभारित	3,00	21	-2,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत	2,55,00	19,94	-2,35,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 5,73.24 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2405-001-2304-निदेशन और प्रशासन-			
मूल	2,11.52		
पुनर्वि.	20.00	2,31.52	1,88.59
20.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 23.00 लाख रुपये की वृद्धि एवं 3.00 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि बीस प्रतिशत अन्तरिम राहत के भुगतान एवं कर्मचारियों के लम्बित चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी एवं अंतिम बचत के निश्चित कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2405-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
162-अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला-			
मूल	16,13.08		
पुनर्वि.	-22.77	15,90.31	11,59.41
22.77 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 92.77 लाख रुपये की कमी एवं 70.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि कर्मचारियों को बीस प्रतिशत अंतर्निमित्त राहत के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 92.77 लाख रुपये की कमी के साथ ही अंतिम बचत के निश्चित कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			

22.77 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 92.77 लाख रुपये की कमी एवं 70.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि कर्मचारियों को बीस प्रतिशत अंतर्निमित्त राहत के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 92.77 लाख रुपये की कमी के साथ ही अंतिम बचत के निश्चित कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 16-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2405-120-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8269-मछुआरों की राष्ट्रीय कल्याण निधि अंतर्गत आवास गृहों का निर्माण	23.52	..	-23.52
23.52 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

(4) 2405-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3321-मत्स्यालय-			
मूल	63.54		
पुनर्वि.	-1.85	61.69	36.40
1.85 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मत्स्यालय के स्थान पर परम्परागत केन्द्र के निर्माण के कारण हुई।			

प्रभारित-

(iii) 2.79 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

वत्तमत-

(iv) 2,35.06 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4405-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2304-निर्देशन एवं प्रशासन	35.00	..	-35.00
(2) 4405-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3321-मत्स्यालय	2,00.00	..	-2,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 35.00 लाख रुपये एवं 2,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान की बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 17-सहकारिता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2425-सहकारिता			
4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6425-सहकारिता के लिये कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	66,23,91		
पूरक	4,00,00	70,23,91	65,13,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-5,10,00 निरंक
प्रभारित		1,25	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-1,25 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत		9,06,31	6,15,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-2,91,31 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2009 में प्राप्त किया गया 4,00.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 5,10.00 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2425-101-359-आडिट बोर्ड-			
मूल	22,10.99		
पुनर्वि.	-1.50	22,09.49	18,62.41
			-3,47.08
1.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के वास्तविक कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2425-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6243-ग्रिड गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	1,49.71	1,09.51	-40.20
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

प्रभारित-

(iv) 1.25 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 17-समाप्त

पूँजीगत:
दत्तमत-

(v) 2,91.31 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4425-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2753-प्राथमिक कृषि साख/कृषक सेवा/ बड़े पैमाने पर बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की अंश पूँजी में धनवेष्ठन	91.29	..	-91.29
(2) 4425-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2759-प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की अंशपूँजी में धनवेष्ठन	2,00.00	..	-2,00.00

इन शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान तथा क्रम संख्या (2) के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 18-श्रम

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230-श्रम तथा रोजगार			
4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	55,88,73	48,69,57	-7,19,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			37,94
प्रभारित	2,00	1,00	-1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत	53,00	..	-53,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 7,19.16 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 37.94 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-01-102-791-कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय	22,44.83	19,39.54	-3,05.29
(2) 2210-01-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7646-नवीन औषधालयों की स्थापना (पीथमपुर सेक्टर 3 एवं 4, रीवा एवं बिरगोद)- मूल 1,20.93 पुनर्वि. -37.94	82.99	70.32	-12.67
(3) 2230-01-101-4272-श्रम न्यायालय	2,73.10	2,28.38	-44.72
(4) 2230-01-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8352-प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिये आवास गृहों का निर्माण	60.00	..	-60.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 37.94 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत/अंतिम बचत तथा क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 18-समाप्त

प्रभारित-

(iii) 1.00 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iv) 53.00 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
4250-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5032-राज्य स्तरीय श्रम संसाधन केन्द्र की स्थापना	53.00	..	-53.00

सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ			
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211-परिवार कल्याण			
2216-आवास			
3606-सहायता सामग्री तथा उपस्कर			
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	10,25,84,68		
पूरक	45,00,00	10,70,84,68	8,99,93,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (26 फरवरी, 9 एवं 31 मार्च 2009)			-1,70,91,51 26,25,69

8,99,93.17 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा (25,09.34 लाख रुपये) एवं 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा (17,40.60 लाख रुपये) में जमा की गई 42,49.94 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित	55,00	24,11	-30,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (09 मार्च 2009)			11,09

पूंजीगत:			
दत्तमत	64,22,42	28,19,32	-36,03,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (सांकेतिक) एवं जनवरी 2009 (45,00.00 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 45,00.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,70,91.51 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 26 फरवरी, 09 एवं 31 मार्च 2009 को केवल 26,25.69 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-01-110-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5613-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	39,00.00	..	-39,00.00
(2) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8798-चिकित्सालयों का उन्नयन	5,43.34	2,46.70	-2,96.64

अनुदान संख्या 19- जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2210-01-110-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 993-क्षय चिकित्सालय	70.00	15.66	-54.34
उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2,46.70 लाख रुपये का व्यय 19.50 लाख रुपये से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणाम स्वरुप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने/बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(4) 2210-01-110-993-क्षय चिकित्सालय -			
मूल	21,75.74		
पुनर्वि.	-1,39.09	20,36.65	18,75.11
			-1,61.54
18,75.11 लाख रुपये का व्यय 1,05.20 लाख रुपये से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणाम स्वरुप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके कारणों के साथ ही 1,39.09 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2210-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7317-ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	5,77.68	4,24.60	-1,53.08
4,24.60 लाख रुपये का व्यय 1,47.00 लाख रुपये से इस शीर्ष के नामे तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणाम स्वरुप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके कारणों के साथ ही बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(6) 2210-03-103-9360-चलित जीवन ज्योति औषधालय-			
मूल	1,55.07		
पुनर्वि.	-30.05	1,25.02	82.53
			-42.49
(7) 2210-03-103-9812-उप स्वास्थ्य केन्द्र -			
मूल	8,84.01		
पुनर्वि.	-80.00	8,04.01	5,53.81
			-2,50.20
(8) 2210-05-105-2502-परिचारिकाओं का प्रशिक्षण-			
मूल	5,86.71		
पुनर्वि.	-68.81	5,17.90	3,86.45
			-1,31.45
(9) 2210-06-003-3463-महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण-			
मूल	3,33.09		
पुनर्वि.	-2,00.47	1,32.62	1,06.27
			-26.35
(10) 2210-06-003-5989-राज्य स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र-			
मूल	2,65.09		
पुनर्वि.	-23.18	2,41.91	1,34.27
			-1,07.64

अनुदान संख्या 19- जारी

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(11) 2210-06-101-2818-फाइलेरिया-			
मूल	3,51.68		
पुनर्वि.	-46.75	3,04.93	1,68.41
			-1,36.52
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत 82.53 लाख रुपये, 5,53.81 लाख रुपये, 3,86.45 लाख रुपये, 1,06.27 लाख रुपये, 1,34.27 लाख रुपये एवं 1,68.41 लाख रुपये का व्यय क्रमशः 57.50 लाख रुपये, 21.25 लाख रुपये, 3.40 लाख रुपये, 0.85 लाख रुपये, 5.00 लाख रुपये एवं 9.70 लाख रुपये से उक्त शीर्षों को नामे तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके कारणों के साथ ही इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत एवं उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (11) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 30.05 लाख रुपये, 80.00 लाख रुपये, 68.81 लाख रुपये, 2,00.47 लाख रुपये, 23.18 लाख रुपये एवं 46.75 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 तथा क्रम संख्या (9) एवं (11) के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी			
(12) 2210-06-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 4245-शीत ज्वर	6,32.00	1,11.91	-5,20.09
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(13) 2210-06-101-8150-बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना-			
मूल	47,30.01		
पुनर्वि.	-12.51	47,17.50	36,99.67
			-10,17.83
(14) 2210-06-101-859-कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम-			
मूल	28,42.21		
पुनर्वि.	-3,14.10	25,28.11	21,93.03
			-3,35.08
(15) 2210-06-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1070-खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशाला सहित)-			
मूल	5,95.30		
पुनर्वि.	-1,40.05	4,55.25	3,00.57
			-1,54.68
(16) 2210-06-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 750-औषध नियंत्रण-			
मूल	5,40.00		
पुनर्वि.	-1,39.56	4,00.44	2,66.51
			-1,33.93

उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत 36,99.67 लाख रुपये एवं 21,93.03 लाख रुपये का व्यय क्रमशः 42.00 लाख रुपये एवं 95.40 लाख रुपये से उक्त शीर्षों को नामे तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (13) से (16) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 12.51 लाख रुपये, 3,14.10 लाख रुपये, 1,40.05 लाख रुपये एवं 1,39.56 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों में हुई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 तथा क्रम संख्या (14) के अंतर्गत 2007-08 तथा क्रम संख्या (15) के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19- जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(17) 2211-001-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 1508-जिला स्तरीय अमला-			
मूल	28,01.50		
पुनर्वि.	-1,18.40	26,83.10	22,03.16
(18) 2211-003-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 1007-क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र-			
मूल	1,97.00		
पुनर्वि.	-13.30	1,83.70	1,27.54
(19) 2211-003-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 2880-बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना-			
मूल	3,66.25		
पुनर्वि.	-29.63	3,36.62	-3,09.98
(20) 2211-003-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 336-ऑक्जीलियरी नर्स, मिडवाइफ एवं हैल्थ विजीटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण-			
मूल	10,11.50		
पुनर्वि.	-51.43	9,60.07	8,03.90
उपरोक्त क्रम संख्या (17) से (20) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,18.40 लाख रुपये, 13.30 लाख रुपये, 29.63 लाख रुपये एवं 51.43 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(21) 2211-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 621-अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र-			
मूल	1,36,55.00		
पुनर्वि.	-20,92.25	1,15,62.75	1,11,58.34
20,92.25 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने एवं भारत सरकार द्वारा गारंटी नहीं दिये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(22) 2211-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 2703-प्रत्यक्ष व्यय-			
मूल	13,29.50		
पुनर्वि.	-36.46	12,93.04	10,69.24
36.46 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 42.76 लाख रुपये की कमी तथा 6.30 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पदों के रिक्त रहने के कारण हुई जबकि वृद्धि वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण बतलाई गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(23) 2211-106-4602-स्टरलाइजेशन-			
मूल	2,50.00		
पुनर्वि.	-4.32	2,45.68	1,11.16
4.32 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पन्द्रह प्रतिशत आर्थिक कटौती एवं जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(24) 2211-106-6096-आई.ई.सी.प्रशिक्षण योजना	1,55.90	1,00.99	-54.91

अनुदान संख्या 19- जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(25) 2216-05-053-1171-ग्रामीण (क्षेत्रों) परिवार कल्याण केन्द्रों का विस्तार	2,00.00	73.25	-1,26.75
(26) 3606-237-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 2498-परम्परागत गर्भ निरोधक का प्रदाय	10,00.00	..	-10,00.00
(27) 3606-237-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 4245-शीत ज्वर	10,00.00	..	-10,00.00
(28) 3606-237-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 4510-सामूहिक शिक्षा	50.00	..	-50.00
(29) 3606-237-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 6106-यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन	15,00.00	..	-15,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (24) से (29) तक के शीर्षान्तर्गत बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (25) एवं (27) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं क्रम संख्या (26) एवं (29) के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-01-110-7892-चिकित्सा गारंटी योजना-			
मूल	22,85.00		
पुनर्वि.	4,37.00	27,22.00	27,23.42
			+1.42
(2) 2210-03-103-5868-राज्य स्तरीय रोगी सहायता कोष-			
मूल	10,63.50		
पुनर्वि.	5,00.00	15,63.50	15,63.50
			..

4,37.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 5,00.00 लाख रुपये की वृद्धि तथा 63.00 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि दवाइयों क्रय करने हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 27,23.42 लाख रुपये का व्यय 7.44 लाख रुपये से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा से जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सीमा तक व्यय में वृद्धि हुई, जिसके कारणों के साथ ही 63.00 लाख रुपये की कमी एवं अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

5,00.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि हितग्राहियों की संख्या में लगातार वृद्धि के कारण राशि की आवश्यकता के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 19- समाप्त

प्रभारित-

(v) 30.89 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 09 मार्च 2009 को केवल 11.09 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-01-110-1473-जिला चिकित्सालय	40.00	21.32	-18.68

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2211-001-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-
1508-जिला स्तरीय अमला-

मूल	15.00			
पुनर्वि.	-11.09	3.91	2.79	-1.12

11.09 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के निश्चित कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत :

दत्तमत-

(vii) 36,03.10 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(viii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	15,00.00	8,02.67	-6,97.33
(2) 4210-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6920-नाबार्ड की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण	6,90.00	4,50.90	-2,39.10
(3) 4210-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7871-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप-स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण-मूलभूत सेवाओं के लिये	42,32.41	15,65.75	-26,66.66

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) तक के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2215-जल पूर्ति तथा सफाई			
4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
6215-जलपूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	2,43,96,22		
पूरक	18,00,00	2,61,96,22	2,43,95,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-18,00,81 निरंक
प्रभारित	30,00	22,74	-7,26 निरंक
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	2,79,41,28		
पूरक	1,93,78,58	4,73,19,86	3,39,27,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-1,33,92,83 1,00,50,00
(26 एवं 30 मार्च 2009)			

3,39,27.03 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना (6,16.00 लाख रुपये) एवं 4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-4867-प्रदेश में खारे पानी से प्रभावित ग्रामों के लिये पेयजल व्यवस्था (1,37.00 लाख रुपये) के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 7,53.00 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत -

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (सांकेतिक) तथा मार्च 2009 (18,00.00 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 18,00.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 18,00.81 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2215-01-001-1854-ड्रिलिंग रिंग्स का आपरेशन/ वर्कशाप/एअर कम्प्रेसन	5,48.30	4,58.32	-89.98
(2) 2215-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2294-निर्देशन	13,40.38	12,22.21	-1,18.17
(3) 2215-01-001-2714-प्रशासन	57,02.68	52,03.04	-4,99.64
(4) 2215-01-101-5300-स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण-			
मूल	16,90.00		
पूरक	18,00.00	34,90.00	33,32.15
			-1,57.85

अनुदान संख्या 20-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(5) 2215-01-101-545-प्रदेश के जल प्रदाय गृह की स्थापना एवं संधारण	43,75.18	40,73.60	-3,01.58
(6) 2215-01-102-1202-ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं का अनुक्षण	7,75.00	6,98.31	-76.69
(7) 2215-01-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-8219-कम्प्यूटरों की स्थापना	1,50.00	..	-1,50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (7) तक के शीर्षान्तर्गत बचत /सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 तथा क्रम संख्या (7) के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) 2215-01-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7447-18 पुन. जल प्रदाय योजना-				
मूल	5,71.00			
पुनर्वि.	-80.37	4,90.63	4,69.44	-21.19

80.37 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(9) 2215-02-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-2294-निर्देशन	56.47	10.71	-45.76
--	-------	-------	--------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के व्यय में "2215-जल पूर्ति तथा सफाई - 01 - जल प्रदाय - 799 - उचंत" के अंतर्गत लेखांकित निरंक रुपये का व्यय सम्मिलित है। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थाई प्रकृति के लेन-देन दर्ज किये जाते हैं, जो कि न तो अंतिम रूप से संबंधित निर्माण कार्य को समायोजित होते हैं, और न ही उनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है, तो उन्हें वर्ष प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है।

"उचंत" शीर्ष में चार उपभाग हैं, यथा:-

(i) क्रय (ii) भण्डार (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम (iv) कार्यशाला उचंत।

प्रत्येक उपभाग के अंतर्गत लेन-देनों का प्रकार और लेखा कार्य-विधि जो अपनाई जाती है, निम्नानुसार स्पष्ट की गई है:-

(1) क्रय- राज्य में 1983-84 से प्रवर्तित नई लेखा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में यह उपशीर्ष अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रणीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

(2) भण्डार- इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिये नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिये प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिये यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।

(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम - इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य, प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष, वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(4) कार्यशाला उचंत - किये गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण विभाग की कार्यशालाओं में अन्य परिचालन संबंधी प्रभार, वसूली या समायोजन पर्यन्त इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

अनुदान संख्या 20-जारी

वर्ष 2008-09 के दौरान अनुदान के अंतर्गत लेखाबद्ध किये गए विभिन्न उच्चत उप शीर्षों में उच्चत लेन-देनों का विश्लेषण नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2008 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा -	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2009 को अंत शेष नामे + जमा -
2215-जल पूर्ति तथा सफाई (लाख रुपये में)				
(i) क्रय	-44,10.17	-44,10.17
(ii) भण्डार	+9,43.73	+9,43.73
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+2,03,09.20	+2,03,09.20
योग	+1,68,42.76	+1,68,42.76

प्रभारित-

(v) 7.26 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) 1,33,92.83 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2009 में प्राप्त किया गया 79,46.76 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 1,14,31.82 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) 1,33,92.83 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 26 एवं 30 मार्च 2009 को केवल 1,00,50.00 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4215-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2658-पेचव्हेली जल प्रदाय योजना	2,00.00	1,48.70	-51.30
(2) 4215-01-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 1095-गतिबद्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना- पूरक 10,00.00	10,00.00	8,89.15	-1,10.85

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(3) 4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना- मूल 70,19.80 पूरक 52,45.78	1,22.65.58	1,18,13.09	-4,52.49
---	------------	------------	----------

1,18,13.09 लाख रुपये का व्यय 6,16.00 लाख रुपये से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 20-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(4) 4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 4379-समस्या मूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना- मूल 66,34.70 पूरक 81,32.80 पुनर्वि. -50,00.00	97,67.50	94,65.59	-3,01.91
(5) 4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5842-बड़े ग्रामों की नल जलप्रदाय योजना- पूरक 50,00.00 पुनर्वि. -50,00.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत प्रत्येक में 50,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के निश्चित कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(6) 4215-01-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 9245-जल गुणवत्ता से संबंधित कार्य (एच.आर.डी.कार्यक्रम)	21,46.00	2,83.63	-18,62.37
(7) 6215-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2182-नगरीय जल प्रदाय योजनाएं	6,84.02	4,07.52	-2,76.50
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(8) 6215-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7447-18-पुन. जल प्रदाय योजनाएं- मूल 3,00.00 पुनर्वि. -1,08.07	1,91.93	1,49.27	-42.66
(9) 6215-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4368-सफाई सेवाएं- मूल 50.00 पुनर्वि. -50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,08.07 लाख रुपये एवं 50.00 लाख रुपये (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 21-आवास एवं पर्यावरण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2215-जल पूर्ति तथा सफाई			
2216-आवास			
2217-शहरी विकास			
3054-सड़क तथा सेतु			
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217-शहरी विकास के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	1,15,80,77		
पूरक	98,67,77	2,14,48,54	1,99,93,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-14,54,92 3,32,25

1,99,93.62 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 2217-01-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6706-लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना हेतु म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ को अनुदान (94,56.77 लाख रुपये) एवं शीर्ष 2217-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6706-लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना हेतु म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ को अनुदान (12,51.68 लाख रुपये) के अंतर्गत आहरित कर 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा -800-अन्य जमा में जमा की गई 1,07,08.45 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित	1,00	..	-1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			1,00

पूंजीगत:			
दत्तमत	26,15,28	26,08,94	-6,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
प्रभारित	2,00	..	-2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 14,54.92 लाख रुपये की बचत के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 98,67.77 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान आधिक्य सिद्ध हुआ।

(ii) 14,54.92 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 3,32.25 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 21-जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2059-80-001-1899-तीन निर्माण उप संभाग की स्थापना	1,98.40	1,38.28	-60.12
(2) 2217-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6706-लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना हेतु म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ को अनुदान	54,00.00	46,16.16	-7,83.84
(3) 2217-05-001-2020-नगर और ग्राम निवेश-			
मूल	7,75.31		
पूरक	11.00	7,86.31	-82.47

उपरोक्त क्रम संख्या (2) के अंतर्गत 46,16.16 लाख रुपये का व्यय, 12,51.68 लाख रुपये इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च को शीर्ष 8443-सिविल जमा -800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2217-05-191-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-

5240-झील संरक्षण योजना-

मूल 5,09.30

पुनर्वि. -3,37.74

1,71.56

1,71.56

..

3,37.74 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत निविदा प्रक्रिया में विलम्ब एवं शिवपुरी तालाब (पोंड) योजना देर से प्रारंभ होने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2059-80-001-3296-मण्डल की स्थापना का व्यय (रा.आ.वा.सा.परि.)	3,37.90	4,06.35	+68.45

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) 6.34 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 21-समाप्त

(vi) यद्यपि 6.34 लाख रुपये की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुए हैं:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
[अ]-बचत:-			
(1) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1555-विधान सभा तथा विधायक विश्राम गृह-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-1,00.00
1,00.00 लाख रुपये की सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 284-अरिहायशी भवन-			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	-1,35.90	2,64.10	2,62.67
			-1.43
1,35.90 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
[ब]-आधिक्य:-			
(1) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4339-सड़कें और पुल-			
मूल	18,55.82		
पुनर्वि.	1,43.15	19,98.97	19,99.34
			+0.37
(2) 4217-01-052-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1021-क्षेत्रों का सौन्दर्यकरण आदि			
मूल	1,06.46		
पुनर्वि.	1,00.00	2,06.46	2,06.23
			-0.23
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में क्रमशः 1,43.15 लाख रुपये एवं 1,00.00 लाख रुपये की वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।			

अनुदान संख्या 22-नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2217-शहरी विकास			
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217-शहरी विकास के लिए कर्ज			
राजस्व:			
मूल	64,92,64		
पूरक	2	64,92,66	28,16,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (6 फरवरी एवं 31 मार्च 2009)			-36,76,39 36,76,77
पूंजीगत	2,75,48,87	1,50,26,59	-1,25,22,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (6 फरवरी एवं 31 मार्च 2009)			1,25,22,28

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2009 में प्राप्त किया गया (0.02 लाख रुपये) अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 6 फरवरी एवं 31 मार्च 2009 को किया गया 36,76.77 लाख रुपये का अभ्यर्पण 36,76.39 लाख रुपये की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2217-05-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7321-गरीबों के लिये शहरी सेवा कार्यक्रम-			
मूल	49,00.00		
पुनर्वि.	-28,14.00	20,86.00	20,86.00

28,14.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 28,39.00 लाख रुपये की कमी तथा 25.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, अनुबंध नहीं देने, सामग्री की पूर्ति नहीं होने तथा सिविल एवं कन्सलटेंट्स कार्य प्राथमिक चरण में होने के कारण हुई (28,28.00 लाख रुपये)। वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अवशिष्ट प्रत्याशित बचत (11.00 लाख रुपये) के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 22-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2217-05-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7905-नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास-			
मूल	5,01.13		
पुनर्वि.	-2,31.59	2,69.54	2,69.54 ..

2,31.59 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,36.09 लाख रुपये की कमी तथा 4.50 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। एक भाग की कमी मुख्यतः परियोजनान्तर्गत पदों के रिक्त रहने, परीक्षा एवं प्रशिक्षण, सेमीनार, कार्यशाला एवं सम्मेलन तथा लघु निर्माण कार्यों की कार्य योजना निश्चित नहीं किये जाने, कार्य योजना अनुसार सलाहकारों का मोवीलाइजेशन न होने, मंहगाई वेतन में कम व्यय, निविदाओं को अंतिम रूप न देने, वाहन की अनुपलब्धता तथा परियोजना में आकस्मिक श्रमिकों को परियोजना कार्य पर नहीं रखने के कारण हुई (1,35.35 लाख रुपये) जबकि वृद्धि छठे वेतन आयोग के चालीस प्रतिशत बकाया राशि के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होने के कारण होना बतलाया गया। 1,00.74 लाख रुपये की अवशिष्ट कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5522-राज्य शहरी स्वच्छता मिशन-			
मूल	6,50.00		
पुनर्वि.	-6,00.13	49.87	49.87 ..

6,00.13 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने तथा आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण हुई।

पूँजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4217-01-051-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7986-राजधानी में मूलभूत सुविधाओं का विकास-			
मूल	2,10.00		
पुनर्वि.	-53.87	1,56.13	1,56.13 ..
(2) 4217-60-051-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7905-नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास-			
मूल	15,45.00		
पुनर्वि.	-4,42.68	11,02.32	11,02.32 ..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 53.87 लाख रुपये तथा 4,42.68 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः दो नगरों की निविदाएं निरस्त होने, स्टील की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण ठेकेदारों द्वारा स्टील की प्लेटों एवं डी.आई.पाइप की खरीदी में विलम्ब होने, दो शहरों के मलजल योजना में विलम्ब होने तथा वृहद निर्माण कार्यों में प्रगति अनुसार भुगतान करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 22-समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(3) 6217-01-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7986-राजधानी में मूलभूत सुविधाओं का विकास-				
मूल	35,00.00			
पुनर्वि.	-22,77.93	12,22.07	12,22.07	..
(4) 6217-60-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7905-नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास-				
मूल	2,21,43.37			
पुनर्वि.	-97,47.30	1,23,96.07	1,23,96.07	..

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 22,77.93 लाख रुपये तथा 97,47.30 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति अनुसार भुगतान करने तथा कार्य निष्पादन की निविदाएं प्रक्रियाधीन होने के कारण हुईं। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 तथा 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23-जल संसाधन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2700-मुख्य सिंचाई			
2701-मध्यम सिंचाई			
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	4,04,39,93	3,70,27,85	-34,12,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			1,71,47
<i>प्रभारित</i>	<i>20,00</i>	<i>5,68</i>	<i>-14,32</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</i>			<i>14,32</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	3,22,80,73		
पूरक	3,60,00,01	6,82,80,74	-62,99,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			6,16,31
<i>प्रभारित</i>	<i>1,00,00</i>	<i>38,51</i>	<i>-61,49</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</i>			<i>54,00</i>
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) 34,12.08 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 1,71.47 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।			

अनुदान संख्या 23-जारी

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2700-11-101-2894-बांध तथा नहरें-			
मूल	29,35.00		
पुनर्वि.	-65.50	28,69.50	28,66.11
			-3.39
65.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,65.50 लाख रुपये की कमी तथा 3,00.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि वेतन मद में कम प्रावधान होने के कारण आकस्मिक एवं कार्यभारित कर्मचारियों के अंतरिम राहत एवं बढ़ी दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु राशि के आवश्यकता के कारण हुई। 3,65.50 लाख रुपये की कमी के निश्चित कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2700-80-005-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9957-कार्यपालिक स्थापना (सर्वेक्षण एवं अन्वेषण)	6,82.43	5,70.25	-1,12.18
(3) 2700-80-800-5422-बांध सुरक्षा कार्य-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	-2,00.00
(4) 2700-80-800-6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था-			
मूल	7,50.00		
पुनर्वि.	-1,15.00	6,35.00	6,22.34
			-12.66
(5) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3300-मण्डल स्थापना	15,17.53	11,46.38	-3,71.15
(6) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3556-मुख्यालय स्थापना यूनिट एक	30,27.88	22,56.91	-7,70.97
(7) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 814-कार्यपालिक स्थापना (विद्युत यांत्रिकी)-			
मूल	8,61.60		
पुनर्वि.	-97.87	7,63.73	6,92.59
			-71.14
(8) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 815-कार्यपालिक स्थापना	1,78,47.04	1,63,08.77	-15,38.27
उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान 2,00.00 लाख रुपये तथा क्रम संख्या (4) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,15.00 लाख रुपये तथा 97.87 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही क्रम संख्या (2) एवं (4) से (8) तक के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06, क्रम संख्या (3) से (5) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 तथा क्रम संख्या (2) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 2701-80-052-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 693-औजार और संयंत्र-			
मूल	22,46.00		
पुनर्वि.	91.09	23,37.09	20,83.97
			-2,53.12
91.09 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 1,38.00 लाख रुपये की वृद्धि एवं 46.91 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि आकस्मिक एवं कार्यभारित कर्मचारियों के अंतरिम राहत एवं बढ़ी दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु वेतन मद में कम प्रावधान होने के कारण राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 46.91 लाख रुपये की कमी के निश्चित कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

अनुदान संख्या 23-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(10) 2701-80-800-6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	-1,20.00	1,80.00	1,56.05
			-23.95

1,20.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2701-80-799-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1051-स्टॉक	4,70.00	7,92.21	+3,22.21

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(iv) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2701-80-800-5837-भवनों का अनुरक्षण-			
मूल	20.00		
पुनर्वि.	-14.32	5.68	5.68

14.32 लाख रुपये के प्रत्याशित बचत के निश्चित कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(v) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में 'उचंत' शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित किये गए 7,92.21 लाख रुपये सम्मिलित हैं। 'उचंत' के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (iv) में की गई है।

वर्ष 2008-09 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप शीर्षों के अन्तर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2008 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा -	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2009 को अंत शेष नामे + जमा -
2701-मध्यम सिंचाई	(लाख रुपये में)			
(i) क्रय	-23,09.78	-23,09.78
(ii) भण्डार	+2,32.85	3,80.21	2,43.28	+3,69.78
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+61,49.89	3,58.24	95.01	+64,13.12
(iv) कार्यशाला उचंत	+4,62.33	53.76	56.48	+4,59.61
योग	+45,35.29	7,92.21	3,94.77	+49,32.73

अनुदान संख्या 23-जारी

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) 62,99.84 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 80,00.01 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि जनवरी 2009 में प्राप्त किया गया 2,80,00.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vii) 62,99.84 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 6,16.31 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4700-12-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट-एक एवं यूनिट-दो)	14,50.00	7,90.33	-6,59.67
(2) 4700-12-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3556-मुख्यालय स्थापना-यूनिट-एक	2,71.61	1,39.80	-1,31.81
(3) 4700-12-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2897-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	15,00.00		
पूरक	61,00.00		
पुनर्वि.	-16,70.00	59,30.00	57,83.81
			-1,46.19

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत/अंतिम बचत के कारण तथा क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 16,70.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के निश्चित कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 तथा 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 4700-13-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	61,54.76		
पूरक	98,00.00		
पुनर्वि.	-31,33.00	1,28,21.76	1,28,14.11
			-7.65

31,33.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा रोकी गई राशि के अभ्यर्पण के कारण हुई (50.00 लाख रुपये)। शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(5) 4700-21-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2304-निदेशन और प्रशासन	11,35.22	7,04.57	-4,30.65
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

(6) 4700-22-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	15,46.38		
पूरक	22,00.00		
पुनर्वि.	-11,55.00	25,91.38	28,25.13
			+2,33.75

11,55.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 13,55.00 लाख रुपये की कमी तथा 2,00.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वित्त विभाग द्वारा रोकी गई राशि के समर्पण के कारण हुई (5,50.00 लाख रुपये), जबकि वृद्धि निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होना बतलाई गई। 8,05.00 लाख रुपये की शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 23-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(7) 4700-24-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	23,46.69		
पूरक	1,00.00		
पुनर्वि.	-7,15.00	17,31.69	17,46.17
			+14.48
7,15.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 9,65.00 लाख रुपये की कमी तथा 2,50.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई। 9,65.00 लाख रुपये की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के निश्चित कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(8) 4700-61-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	40.00		
पूरक	15,00.00		
पुनर्वि.	-10,36.08	5,03.92	5,03.83
			-0.09
(9) 4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2304-निदेशन और प्रशासन	7,62.72	..	-7,62.72
(10) 4701-44-800-1401-नाबार्ड (सामान्य)- 2897-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	-1,32.00	2,68.00	2,77.50
			+9.50
(11) 4701-80-001-1401-नाबार्ड (सामान्य)- 2304-निदेशन और प्रशासन	15,91.00	..	-15,91.00
(12) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2304-निदेशन और प्रशासन	16,38.00	..	-16,38.00
(13) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5584-सिंहपुर बैराज	3,00.00	..	-3,00.00
(14) 4701-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5595-अपर ककेटो बांध परियोजना-			
पूरक	8,00.00		
पुनर्वि.	-7,00.00	1,00.00	..
			-1,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (8), (10) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 10,36.08 लाख रुपये, 1,32.00 लाख रुपये तथा 7,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के निश्चित कारण तथा क्रम संख्या (9), (11) से (13) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 7,62.72 लाख रुपये, 15,91.00 लाख रुपये, 16,38.00 लाख रुपये तथा 3,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारणों के साथ ही क्रम संख्या (8), (10) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 तथा क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23-जारी

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4700-21-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	25.00		
पुनर्वि.	1,00.00	1,27.87	+2.87
(2) 4700-26-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	24,67.39		
पूरक	1,37,00.00		
पुनर्वि.	9,00.00	1,70,19.75	-47.64
(3) 4700-61-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5581-कोलार परियोजना नहर प्रणाली का सुदृढीकरण-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	3,00.00	4,85.81	-14.19
(4) 4700-61-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5582-तवा परियोजना की हंडिया शाखा नहर प्रणाली का सुदृढीकरण-			
मूल	40.00		
पुनर्वि.	1,00.00	1,40.00	..
(5) 4700-63-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2897-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	4,94.00		
पूरक	10,00.00		
पुनर्वि.	3,55.00	18,48.98	-0.02
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,00.00 लाख रुपये, 9,00.00 लाख रुपये, 3,00.00 लाख रुपये, 1,00.00 लाख रुपये तथा 3,55.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि निर्माण एवं भू-अर्जन कार्य के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।			
(6) 4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4146-वृहद परियोजनाओं का सर्वेक्षण-			
मूल	1,50.00		
पुनर्वि.	1,33.00	2,83.00	+56.79
1,33.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि सर्वेक्षण कार्य के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।			
(7) 4700-80-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 9243-सोन नदी पर आंतरिक जलीय परिवहन व्यवस्था-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	1,50.00	3,49.96	-0.04

अनुदान संख्या 23-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(8) 4701-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2923-बारना परियोजना-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	8,00.00	10,00.00	9,98.47
			-1.53
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,50.00 लाख रुपये एवं 8,00.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि निर्माण कार्य एवं बारना परियोजना के सुदृढीकरण के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(9) 4701-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9244-होशंगाबाद जिले की तवा दांयी नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण/सुदृढीकरण-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	1,50.00	3,50.00	3,49.98
			-0.02
(10) 4701-43-800-1401-नाबार्ड (सामान्य)- 2897-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	13,19.29	16,19.29	15,86.32
			-32.97
उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,50.00 लाख रुपये एवं 13,19.29 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि निर्माण एवं सर्वेक्षण कार्य के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।			
(11) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3368-मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य-			
मूल	10,73.25		
पुनर्वि.	11,63.00	22,36.25	23,72.69
			+1,36.44
11,63.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 11,70.00 लाख रुपये की वृद्धि तथा 7.00 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई। 7.00 लाख रुपये की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।			
(12) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5586-बनेठा मध्यम परियोजना-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	9,00.00	10,00.00	10,23.29
			+23.29
9,00.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 11,00.00 लाख रुपये की वृद्धि तथा 2,00.00 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि भू-अर्जन प्रभारों एवं निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता के कारण हुई। 2,00.00 लाख रुपये की कमी के निश्चित कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(13) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5587-घोघरा मध्यम परियोजना-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	2,00.00	3,00.00	2,82.49
			-17.51

अनुदान संख्या 23-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(14) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5588-बघरु मध्यम परियोजना-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	1,33.37	2,33.37	-0.04
उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,00.00 लाख रुपये तथा 1,33.37 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि भू-अर्जन प्रभारों एवं निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(15) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5589-रेहटी मध्यम परियोजना-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	3,60.00	4,60.00	-4.03
3,60.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 7,00.00 लाख रुपये की वृद्धि एवं 3,40.00 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि भू-अर्जन प्रभारों तथा निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई। 3,40.00 लाख रुपये की कमी के निश्चित कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(16) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5590-खर सानिया उपनहर योजना-			
मूल	20.00		
पुनर्वि.	3,00.00	3,20.00	-2.41
(17) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5591-मरदानपुर उद्वहन सिंचाई योजना-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	2,90.90	3,40.90	-18.34
उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 3,00.00 लाख रुपये तथा 2,90.90 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि भू-अर्जन प्रभारों तथा निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(18) 4711-01-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5711-बाढ़ नियंत्रण योजना-			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	3,02.00	3,02.00	-28.76
(19) 4711-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6359-स्वर्ण रेखा बाढ़ नियंत्रण योजना चरण-2-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	2,00.00	4,00.00	-0.79
उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 3,02.00 लाख रुपये तथा 2,00.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि बाढ़ नियंत्रण उपायों तथा किनारों के निर्माण के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

अनुदान संख्या 23-समाप्त

(X) उचंत लेन देन-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में 'उचंत' शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित 86.38 लाख रुपये सम्मिलित हैं। 'उचंत' के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति तथा लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (iv) में की गई है।

वर्ष 2008-09 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक तथा अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2008 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा -	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2009 को अंत शेष नामे + जमा -
4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-		(लाख रुपये में)		
(i) क्रय	-22,89.29	-22,89.29
(ii) भण्डार	+39,90.27	33.27	30.31	+39,93.23
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+11,55.73	53.11	33.15	+11,75.69
(iv) कार्यशाला उचंत	-2,11.06	-2,11.06
योग	+26,45.65	86.38	63.46	+26,68.57
4801-विद्युत् परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
(i) क्रय	-12.92	-12.92
(ii) भण्डार	+62.67	+62.67
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+12.74	+12.74
(iv) कार्यशाला उचंत	+2.22	+2.22
योग	+64.71	+64.71

प्रभारित-

(xi) 61.49 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 54.00 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(xii) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
4701-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1833-डिक्री धन का भुगतान (भारित)- मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-54.00	46.00	38.51
			-7.49

54.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के निश्चित कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 24 - लोक निर्माण कार्य- सड़कों और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
3053-नागर विमानन			
3054-सड़क तथा सेतु			
5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
5054-सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	6,04,40,97		
पूरक	38,14,00	6,42,54,97	5,94,38,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-48,16,35 निरंक
<i>प्रभारित</i>		50,00	71,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			+21,00 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	7,19,30,36		
पूरक	87,00,12	8,06,30,48	7,37,48,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-68,81,69 निरंक
<i>प्रभारित-</i>			
मूल	5,00,00		
पूरक	27,34,14	32,34,14	32,63,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			+29,00 निरंक
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 38,14.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 48,16.35 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत-
(1) 3054-01-337-134-अनुसूचना और मरम्मत-साधारण मरम्मत	18,35.00	14,63.52	-3,71.48
(2) 3054-03-337-134-अनुसूचना और मरम्मत-साधारण मरम्मत	35,50.00	34,14.37	-1,35.63
(3) 3054-04-337-4557-सुदृढ़ीकरण	80,00.00	74,19.20	-5,80.80

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(4) 3054-04-800-7081-राजमार्गों/मुख्य जिला मार्गों का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण- मूल 3,20,00.00 पुनर्वि. -25,00.00	2,95,00.00	2,77,89.28	-17,10.72
25,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

(5) 3054-80-001-3561-मुख्यालय स्थापना	15,43.65	12,50.01	-2,93.64
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 3054-04-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत-साधारण मरम्मत- मूल 1,07,00.00 पूरक 38,14.00 पुनर्वि. 25,00.00	1,70,14.00	1,53,29.55	-16,84.45

25,00.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन श्रमायुक्त द्वारा मजदूरी की दरों में वृद्धि होने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(2) 3054-80-001-2418-निष्पादन	18,62.25	18,73.87	+11.62
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

(v) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता :-

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिड पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के अंतर्गत जमा की जाती है और उसके समतुल्य राशि "3054-सड़कें तथा पुल - 800- अन्य व्यय", जिसके लिए अनुदान संख्या 24-"लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल" में प्रावधान किया गया है, के नामे डालकर जमा लेखा "8449-अन्य जमा-केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अंतरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अंतर्गत प्रारंभिक तौर पर लेखांकित किया जाता है और बाद में जमा लेखा "8449-अन्य जमा-केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अंतरित कर दिया जाता है। चालू वर्ष के दौरान कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा कोई व्यय नहीं किया गया।

31 मार्च 2009 को जमा लेखे में 2,39.75 लाख रुपये का शेष था। निधि का लेखा वित्त लेखे 2008-09 के विवरण संख्या-16 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 24-जारी

प्रभारित-

(vi) भारत विनियोग के अंतर्गत 21,00,000 रुपये के आधिक्य का नियमितीकरण आवश्यक है।

(vii) विनियोग में आधिक्य निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
3054-80-800-3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा (भारित)	50.00	71.00	+21.00

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

पूँजीगत:

वत्तमत-

(viii) 68,81.69 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 0.10 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 87,00.02 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 5053-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	17,50.00	11,63.77	-5,86.23
(2) 5053-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4149-वृहद पुलों का निर्माण-			
मूल	30,00.00		
पूरक	10,00.01	40,00.01	35,16.67
			-4,83.34
(3) 5054-03-101-1401-नाबार्ड (सामान्य)- 6589-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत वृहद पुलों का निर्माण-			
मूल	33,00.00		
पूरक	15,00.01	48,00.01	42,42.66
			-5,57.35
(4) 5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6651-रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण-			
मूल	29,90.00		
पूरक	2,00.00	31,90.00	27,43.74
			-4,46.26
(5) 5054-03-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 948-केन्द्रीय सड़क निधि-			
मूल	90,85.00		
पूरक	10,00.01	1,00,85.01	86,98.67
			-13,86.34
(6) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1222-मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण-			
पूरक	10,00.00	10,00.00	..
			-10,00.00

अनुदान संख्या 24-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(7) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)- पूरक	10,00.00	10,00.00	4,54.53 -5,45.47
(8) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6991-12वें वित्त आयोग की राशि से आधारभूत सड़को का विकास	52,00.00	41,33.55	-10,66.45
(9) 5054-05-337-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6331-अंतर्राज्यीय/आर्थिक महत्त्व की सड़कों का निर्माण	20,00.00	16,16.67	-3,83.33

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (9) के शीर्षान्तर्गत बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (1),(3) से (7) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(X) उपरोक्त टिप्पणी (ix) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
5054-03-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4336-राज्यों में सड़कों का निर्माण-राज्य मार्ग	1,15.00	2,51.32	+1,36.32

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(xi) भारत विनियोग से आधिक्य व्यय 29,00,000 रुपये का नियमितीकरण आवश्यक है।

अनुदान संख्या 25-खनिज साधन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	12,81,98	10,50,46	-2,31,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			1,64,13
प्रभारित	2,50	1,22	-1,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			1,28
पूंजीगत:			
दत्तमत	5,00	4,76	-24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 2,31.52 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 1,64.13 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2853-02-101-1010-मेसर्स कोल इण्डिया लिमिटेड- 3595-मेसर्स कोल इण्डिया लिमिटेड के लिए कोल पूर्वेक्षण-			
मूल	1,58.99		
पुनर्वि.	-73.57	85.42	-6.67
(2) 2853-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 182-अन्य खनिजों का सर्वेक्षण-			
मूल	4,36.22		
पुनर्वि.	-56.10	3,80.12	-39.01

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 73.57 लाख रुपये एवं 56.10 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वाहन क्रय हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने, अमले की सेवानिवृत्ति, रिक्त पदों की पूर्ति न होने, मजदूरी, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, वाहनों का रखरखाव तथा मशीन एवं उपकरण आदि के अंतर्गत भुगतान हेतु कम मांग के कारण हुई। उपरोक्त शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 तथा क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26-संस्कृति
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2205-कला एवं संस्कृति			
2217-शहरी विकास			
3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

मूल	34,88,49			
पूरक	4,35,00	39,23,49	36,51,85	-2,71,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				2,32,19

पूंजीगत:

मूल	32,50			
पूरक	3,67,50	4,00,00	4,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 2,71.64 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 4,05.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 30.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,71.64 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 2,32.19 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2205-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6368-अशासकीय संस्थाओं को पोषण अनुदान	87.50	16.82	-70.68
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

अनुदान संख्या 26-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2205-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2304-निदेशन और प्रशासन-			
मूल	4,57.18		
पुनर्वि.	-90.47	3,66.71	3,64.90
			-1.81

90.47 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 90.55 लाख रुपये की कमी तथा 0.08 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पदों के रिक्त रहने, पन्द्रह प्रतिशत आर्थिक कटौती एवं मितव्ययिता के कारण हुई (86.26 लाख रुपये), जबकि वृद्धि अवकाश यात्रा सुविधा के देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण होना बतलाई गई। 4.29 लाख रुपये की शेष प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2205-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4283-संग्रहालय-			
मूल	4,29.86		
पुनर्वि.	-1,04.17	3,25.69	3,30.30
			+4.61

1,04.17 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, पन्द्रह प्रतिशत आर्थिक कटौती एवं मितव्ययिता के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2205-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5753-समारोह के आयोजन हेतु			
अनुदान	1,60.00	2,13.45	+53.45
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

अनुदान संख्या 27-स्कूल शिक्षा
(प्रारंभिक शिक्षा)

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	20,84,40,14		
पूरक	4,99,55	20,89,39,69	20,04,29,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-85,10,55 65,24,05

20,04,29.14 लाख रुपये के सम्पूर्ण व्यय में शीर्ष 2202-01-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-6344-मदरसा आधुनिकीकरण के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 4,99.55 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित-

मूल	2,15			
पूरक	20,00	22,15	99	-21,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

पूंजीगत:

दत्तमत-

मूल	35,20,00			
पूरक	11,25,00	46,45,00	46,45,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (सांकेतिक) तथा मार्च 2009 (4,99.55 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 4,99.55 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 85,10.55 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 65,24.05 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) यद्यपि 85,10.55 लाख रुपये की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उपशीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुए:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	-------------------------------------	-------------------

[अ]-बचत:-

(1) 2202-01-101-4396-सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	10,17,37.00	10,03,49.84	-13,87.16
--	-------------	-------------	-----------

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2202-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	36,72.51	21,43.66	-15,28.85
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2202-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8810-सर्वशिक्षा अभियान-			
मूल	3,59,04.00		
पुनर्वि.	-89,75.79	2,69,28.21	2,69,28.21
89,75.79 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2202-01-102-9948-प्राथमिक शालायें-			
मूल	10,50.00		
पुनर्वि.	-3,48.00	7,02.00	6,88.72
(5) 2202-01-102-9949-माध्यमिक शालाओं को सहायक अनुदान-			
मूल	5,75.53		
पुनर्वि.	-2,70.00	3,05.53	3,14.05
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 3,48.00 लाख रुपये एवं 2,70.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत ब्लाक ग्रांट के भीतर पदों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 तथा क्रम संख्या (5) के अंतर्गत 2007-08 तथा 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2202-02-105-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 3504-आईड	19,77.75	5,60.52	-14,17.23
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2202-02-110-3491-माध्यमिक शालायें-			
मूल	18,31.95		
पुनर्वि.	-6,95.90	11,36.05	9,39.95
6,95.90 लाख रुपये की प्रत्याशित ब्लाक ग्रांट के भीतर पदों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(8) 2202-03-103-4402-सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	8,11.81	6,22.55	-1,89.26
(9) 2202-04-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 4402-सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	80.00	29.90	-50.10
उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 27-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
[ब]-आधिक्य:-			
(1) 2202-01-101-3491-माध्यमिक शालाएँ	5,03,48.02	5,31,86.86	+28,38.84
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(2) 2202-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5627-निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 8,16.00	8,16.00	8,16.00	..
(3) 2202-01-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6717-छात्राओं के निशुल्क साईकल का प्रदाय - पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 29,70.00	29,70.00	29,70.00	..
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 8,16.00 लाख रुपये एवं 29,70.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

प्रभारित-

(iv) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 20.00 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) 21.16 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2202-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षा संस्था- मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए- पूरक 20.00	20.00	..	-20.00
सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

अनुदान संख्या 28-राज्य विधान मंडल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष:-			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल			
राजस्व:			
दत्तमत	33,01,47	26,88,30	-6,13,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (06 एवं 31 मार्च 2009)			1,48,37
प्रभारित	16,89	13,85	-3,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (06 मार्च 2009)			10

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत-

(i) 6,13.17 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 06 एवं 31 मार्च 2009 को केवल 1,48.37 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2011-02-101-4007-विधान सभा -			
मूल	20,97.51		
पुनर्वि.	-82.74	20,14.77	-3,64.48
		16,50.29	

82.74 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत सचिवालय में कुछ पदों के नियमितीकरण किये जाने के कारण मजदूरी में कम व्यय होने, रेलवे बोर्ड द्वारा कूपन समय पर मुद्रित नहीं किये जाने, मितव्ययिता, माननीय विधान सभा सदस्यों के लिये वाहन क्रय हेतु स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने एवं परिवहन निगम से अन्य प्रभार के देयक प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2011-02-103-4009-विधान सभा सचिवालय-

मूल	10,83.93		
पुनर्वि.	-33.83	10,50.10	-1,00.21
		9,49.89	

33.83 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत यात्रा में मितव्ययिता कमेटी द्वारा दौरा कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाने, मितव्ययी उपायों, भारतीय संसदीय संघ को वार्षिक चंदे के विनियमन की दरों में कमी होने तथा वित्तीय वर्ष में संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह आयोजित नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29-विधि और विधायी कार्य

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2014-न्याय प्रशासन			
2015-निर्वाचन			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
7610-शासकीय सेवकों आदि को कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	2,73,25,00		
पूरक	29,28,72	3,02,53,72	2,34,03,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-68,50,34 65,42,04
प्रभारित-			
मूल	29,28,83		
पूरक	71,28	30,00,11	29,99,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-82 1,79,86
पूंजीगत:			
दत्तमत		50,00	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-50,00 50,00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (10,00.00 लाख रुपये) तथा जनवरी 2009 (19,28.72 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 29,28.72 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 68,50.34 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 65,42.04 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 29-जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2014-102-573-उच्च न्यायालय-			
मूल	1,74.10		
पुनर्वि.	-70.26	1,03.84	99.48
			-4.36
70.26 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,26.00 लाख रुपये की कमी एवं 3,55.74 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अतिरिक्त राशि की मांग नहीं होने एवं एन.जे.ए. से प्राप्त देयकों को आगामी वर्ष तक लम्बित रखने के कारण हुई, जबकि वृद्धि वेतन भत्तों को पुनरीक्षण के फलस्वरूप माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों के बकाया देयकों के भुगतान हेतु एवं आगामी माहों की मांग सुनिश्चित करने हेतु राशि की आवश्यकता के कारण बतलाई गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2014-105-2410-निर्वाह पत्र तामिल स्थापना-			
मूल	12,21.53		
पुनर्वि.	-1,77.22	10,44.31	9,99.02
			-45.29
(3) 2014-105-6775-फास्ट ट्रेक योजना-			
मूल	11,16.05		
पूरक	10.00		
पुनर्वि.	-5,08.65	6,17.40	4,31.37
			-1,86.03
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,77.22 लाख रुपये एवं 5,08.65 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2014-114-3428-महाधिवक्ता-			
मूल	4,94.31		
पुनर्वि.	-98.91	3,95.40	3,70.39
			-25.01
98.91 लाख रुपये के एक भाग की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पन्द्रह प्रतिशत आर्थिक कटौती एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण हुई (91.80 लाख रुपये)। 7.11 लाख रुपये की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2014-114-3572-मुफसिल स्थापना एवं ग्राम न्यायालय-			
मूल	18,44.66		
पुनर्वि.	-7,44.26	11,00.40	10,29.76
			-70.64
7,44.26 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पन्द्रह प्रतिशत आर्थिक कटौती, आहरण पर प्रतिबंध एवं वित्त विभाग द्वारा ग्राम न्यायालयों के सदस्यों की नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2015-103-3307-मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण-			
मूल	17,39.75		
पूरक	8,00.00		
पुनर्वि.	-3,37.77	22,01.98	19,53.99
			-2,47.99
3,37.77 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 29- समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(7) 2015-105-4311-संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार-			
मूल	8,22.25		
पुनर्वि.	-6,28.17	1,94.08	1,73.94
			-20.14
6,28.17 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,88.49 लाख रुपये की कमी एवं 60.32 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वर्ष के दौरान एक ही संसदीय क्षेत्र बैतूल का उप चुनाव होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि 2009 के आम चुनाव में उपयोगी मेसर्स मैसूर पेन्ट एवं वार्निश लिमिटेड, मैसूर से अमिट स्याही क्रय करने के देयको के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण बतलाई गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(8) 2015-106-4006-राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार-			
मूल	35,25.75		
पूरक	16,50.00		
पुनर्वि.	-22,70.17	29,05.58	25,82.56
			-3,23.02
22,70.17 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत चुनाव गणना कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों के मानदेय की दरों में वृद्धि नहीं होने तथा वर्ष के दौरान राज्य के विधान मण्डल से संबंधित दायित्वों का निर्वहन नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 2015-108-9503-मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना-			
मूल	16,52.00		
पूरक	4,00.00		
पुनर्वि.	-4,73.42	15,78.58	13,81.84
			-1,96.74
4,73.42 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के निश्चित कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(10) 2052-090-9057-विधि एवं विधायी कार्य-			
मूल	5,36.26		
पुनर्वि.	-67.70	4,68.56	4,60.99
			-7.57
67.70 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों के नहीं भरे जाने, आर्थिक कटौती एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण प्रतिबंधित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

प्रभारित-

(iv) 31 मार्च 2009 को किया गया 1,79.86 लाख रुपये का अभ्यर्पण 0.82 लाख रुपये की उपलब्ध बचत से अधिक था।

पूँजीगत:-

दत्तमत-

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
7610-202-9246-न्यायिक सेवा के अधिकारियों को ऋण-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	-50.00

50.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के निश्चित कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30-ग्रामीण विकास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2215-जल पूर्ति तथा सफाई			
2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505-ग्रामीण रोजगार			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	5,64,47,11		
पूरक	63,14,74	6,27,61,85	6,15,59,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-12,02,77 12,47,43
प्रभारित		6,00	12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-5,88 5,87
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	82,30,00		
पूरक	28,66,00	1,10,96,00	1,04,96,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-6,00,00 6,00,00

1,04,96.00 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 4515-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-5727-स्वजलधारा के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा -800-अन्य जमा में जमा की गई 28,66.00 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 12,02.77 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2009 में प्राप्त किया गया 63,14.74 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 31 मार्च 2009 को किया गया 12,47.43 लाख रुपये का अभ्यर्पण 12,02.77 लाख रुपये की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(iii) यद्यपि 12,02.77 लाख रुपये की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उप शीर्षों के अंतर्गत उल्लेखनीय अंतर परिलक्षित हुए हैं:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	-------------------------------------	-------------------

[अ]-बचत:-

2515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

6931-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम-

मूल 45,00.00

पुनर्वि. -6,32.05

38,67.95

38,67.95

..

6,32.05 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई

थी।

अनुदान संख्या 30-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
[ब]-आधिक्य:-			
2215-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
5565-राज्य जल स्वच्छता मिशन-			
मूल	1.00		
पुनर्वि.	1,00.00	1,01.00	1,01.00 ..

1,00.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि राज्य जल स्वच्छता मिशन के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना होने के कारण निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

पूँजीगत:

दत्तमत-
(iv) 6,00.00 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2009 में प्राप्त किया गया 28,66.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
4515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
5853-डी.पी.आई.पी.योजनायें-			
मूल	6,00.00		
पुनर्वि.	-6,00.00

6,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत डी.पी.आई.पी.योजना से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी
(सभी वत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं			
3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
राजस्व	33,80,66	28,34,70	-5,45,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			2,46,22

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 5,45.96 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 2,46.22 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 3451-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5569-सूचना प्रौद्योगिकी एवं राज्य योजना आयोग का सुदृढीकरण-			
मूल	2,00.00
पुनर्वि.	-2,00.00
2,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत सुदृढीकरण प्रकरण विचाराधीन होने के कारण हुई।			
(2) 3454-02-001-8048-आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	18,45.75	16,84.01	-1,61.74
(3) 3454-02-111-1430-जन्म-मृत्यु संबंधी आंकड़ों का संकलन	1,92.98	1,40.86	-52.12
(4) 3454-02-201-512-इण्डियन एकानामिक एसोसिएशन	1,43.95	75.24	-68.71

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) तक के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 तथा क्रम संख्या (3) के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 32-जनसंपर्क
(सभी दत्तमत)

मुख्य शीर्ष -

- 2013-मंत्रीपरिषद
 2015-निर्वाचन
 2029-भू-राजस्व
 2039-राज्य उत्पाद शुल्क
 2040-बिजली, व्यापार आदि पर कर
 2041-वाहन कर
 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क
 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं
 2051-लोक सेवा आयोग
 2052-सचिवालय- सामान्य सेवाएं
 2053-जिला प्रशासन
 2054-खजाना और लेखा प्रशासन
 2055-पुलिस
 2056-जेल
 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण
 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं
 2075-विविध सामान्य सेवाएं
 2202-सामान्य शिक्षा
 2203-तकनीकी शिक्षा
 2205-कला एवं संस्कृति
 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2215-जल पूर्ति तथा सफाई
 2217-शहरी विकास
 2220-सूचना तथा प्रचार
 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा
 अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2230-श्रम तथा रोजगार
 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं
 2401-फसल कृषि कर्म
 2403-पशु पालन
 2405-मछली पालन
 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी
 2425-सहकारिता
 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
 2701-मध्यम सिंचाई
 2702-लघु सिंचाई
 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852-उद्योग
 3054-सड़क तथा सेतु
 3452-पर्यटन
 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 32-समाप्त

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व:				
मूल	61,50,12			
पूरक	23,78,50	85,28,62	81,54,40	-3,74,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				1,98,53

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 3,74.22 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 6,30.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 17,48.50 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 3,74.22 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 1,98.53 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2220-01-001-2304-निवेशन और प्रशासन-				
मूल	31,84.50.			
पूरक	8,00.00			
पुनर्वि.	-14.32	39,70.18	38,50.65	-1,19.53

14.32 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 87.88 लाख रुपये की कमी तथा 73.56 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः जन सम्पर्क नीति के अनुसरण तथा वेतन एवं भत्तों की दरों में वृद्धि के कारण होना बतलाया गया (43.56 लाख रुपये)। 30.00 लाख रुपये की अवशिष्ट वृद्धि तथा 87.88 लाख रुपये की कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(2) 2220-01-001-5667-जनसम्पर्क नीति के अनुसरण में प्रोत्साहन योजना-

पूरक	1,50.00			
पुनर्वि.	-1,50.00			

1,50.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान की प्रत्याशित बचत अंशतः शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (1,19.00 लाख रुपये)। 31.00 लाख रुपये की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के निश्चित कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 33-आदिम जाति कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2202-सामान्य शिक्षा			
2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	6,26,10,15		
पूरक	89,00,01	7,15,10,16	6,87,68,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-27,41,23 18,59,58

प्रभारित-

मूल	8,00			
पूरक	10,00	18,00	4,91	-13,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				4,85

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:**दत्तमत-**

(i) 27,41.23 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 (89,00.00 लाख रुपये) तथा जनवरी 2009 (0.01 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 89,00.01 लाख रुपये का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 27,41.23 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 18,59.58 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

प्रभारित-

(iii) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जनवरी 2009 में प्राप्त किया गया 10.00 लाख रुपये का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iv) 13.09 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 4.85 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2225-02-001-6130-संचालनालय-			
मूल	8.00		
पूरक	10.00		
पुनर्वि.	-4.85	13.15	4.91
			-8.24

4.85 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 34-समाज कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	49,18,37		
पूरक	18,15,00	67,33,37	50,58,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-16,74,75 निरंक
प्रभारित		3,00	62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-2,38 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	14,50	14,34	-16 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 16,74.75 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 5,75.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि जनवरी 2009 एवं मार्च 2009 में प्राप्त किया गया क्रमशः 5,40.00 लाख रुपये एवं 7,00.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 16,74.75 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2235-02-001-2304-निदेशन और प्रशासन	15,37.42	11,70.90	-3,66.52
(2) 2235-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3923-विकलांगों तथा अपंगों की सहायता के लिए योजना-			
मूल	2,70.53		
पूरक	2,95.00	5,65.53	2,69.87
			-2,95.66
(3) 2235-02-101-6864-विवेकानंद बीमा योजना	5,00.00	..	-5,00.00
(4) 2235-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 79-अंधे, बहरे तथा गूंगों के लिए शालाएं तथा संस्थाएं-			
पूरक	2,40.00	2,40.00	2.47
			-2,37.53

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) तक के शीर्षान्तर्गत बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 तथा क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 35-पुनर्वास

मुख्य शीर्ष-	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	52,63	36,32	-16,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
प्रभारित	50	..	-50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 16.31 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2235-01-001-2709-प्रधान कार्यालय के कर्मचारीवृद्ध पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए (नये)	44.41	31.58	-12.83
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

अनुदान संख्या 36-परिवहन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2041-वाहन कर			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	37,24,44	31,67,80	-5,56,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
प्रभारित	50	39	-11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 5,56.64 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2041-001-3561-मुख्यालय स्थापना	2,61.78	2,11.87	-49.91
(2) 2041-101-4280-संग्रह प्रभार	13,72.49	9,20.30	-4,52.19

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2041-102-679-उड़नदस्ता एवं चेक पोस्ट की स्थापना	5,24.01	5,88.97	+64.96

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

प्रभारित-

(iv) 0.11 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
3452-पर्यटन			
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	18,10,76	17,63,44	-47,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			46,69
पूंजीगत:			
मूल	68,76,00		
पूरक	2,85,00	71,61,00	51,32,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-20,28,77
			20,28,77

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 47.32 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 46.69 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूंजीगत:

(ii) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 2,85.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 5452-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7630-पर्यटन अधोसंरचना का निर्माण (केन्द्रांश)-			
मूल	50,00.00		
पुनर्वि.	-19,99.32	30,00.68	30,00.68
			..
(2) 5452-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 944-केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में राज्य शासन का अंशदान-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	-28.45	1,71.55	1,71.55
			..

19,99.32 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा चित्रकूट को मेगा डेस्टीनेशन योजना के अंतर्गत स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

28.45 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 38-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2230-श्रम तथा रोजगार			
राजस्व:			
दत्तमत	17	8	-9
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
प्रभारित	25	..	-25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

अनुदान संख्या 39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4408-खाद्य, भंडारण एवं भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	3,12,82,33		
पूरक	2,96,37,90	6,09,20,23	5,45,28,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-63,91,60 37,42,69

5,45,28.63 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 2408-01-001-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-7314-उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का सुदृढीकरण के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 18.00 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित	1,50	72	-78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			28

पूंजीगत:			
दत्तमत			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)	22,42,52	13,72,13	-8,70,39 2,78,67

13,72.13 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 4408-01-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-7316-राज्य उपभोक्ता आयोग एवं फोरमों का अधोसंरचना विकास के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 70.76 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 63,91.60 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 1,25,57.30 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि जनवरी 2009 में प्राप्त किया गया 1,57,85.60 लाख रुपये अत्यधिक था एवं मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 12,95.00 लाख रुपये अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 63,91.60 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 37,42.69 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत-
(1) 2408-01-001-1471-जिला कार्यालय-			
मूल	12,11.64		
पुनर्वि.	-1,48.97	10,62.67	10,05.87
			-56.80

1,48.97 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने, जिलों द्वारा राशि समर्पित करने एवं शासकीय मुद्रणालय से दावे प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत-
(2) 2408-01-001-629-उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ-			
मूल	6,96.85		
पुनर्वि.	-1,57.60	5,39.25	5,48.32
			+9.07
1,57.60 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,60.45 लाख रुपये की कमी तथा 2.85 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि चिकित्सा दावों के भुगतान एवं प्रावधान में अपर्याप्त प्रावधान के कारण राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 1,60.45 लाख रुपये की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2408-01-102-3229-मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति			
निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति-			
मूल	9,00.00		
पूरक	9,25.00		
पुनर्वि.	-9,72.94	8,52.06	9,25.00
			+72.94
(4) 2408-01-102-3248-मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ			
को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति -			
मूल	10.00		
पूरक	3,70.00		
पुनर्वि.	-1,15.06	2,64.94	2,64.94
			..
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 9,72.94 लाख रुपये एवं 1,15.06 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही क्रम संख्या (3) के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं क्रम संख्या (4) के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2408-01-102-5623-गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए अन्न योजना-			
मूल	1,60,00.00		
पूरक	1,63,00.00		
पुनर्वि.	-73,40.52	2,49,59.48	2,33,59.48
			-16,00.00
73,40.52 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा अनिवार्य आर्थिक कटौती के कारण हुई (13,40.52 लाख रुपये)। शेष प्रत्याशित बचत (60,00.00 लाख रुपये) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(6) 2408-01-102-570-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत			
सहकारी समितियों को खाद्यान्न की बिक्री से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति-			
मूल	20,00.00		
पुनर्वि.	-8,92.95	11,07.05	2,02.18
			-9,04.87
8,92.95 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2408-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6242-मिट्टी तेल के सार्वजनिक वितरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-			
मूल	2,20.00		
पुनर्वि.	-79.46	1,40.54	1,56.00
			+15.46
79.46 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत नोडल एजेन्सी 'नागरिक आपूर्ति निगम' से मांग विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

अनुदान संख्या 39-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत-
(8) 2408-01-102-6645-अन्त्योदय अन्न योजना-			
मूल	55,00.00		
पूरक	25,00.00		
पुनर्वि.	-39,09.30	40,90.70	40,06.84
			-83.86

39,09.30 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत क्रमशः वित्त विभाग द्वारा अनिवार्य आर्थिक कटौती के कारण हुई (9,09.30 लाख रुपये)। शेष प्रत्याशित बचत (30,00.00 लाख रुपये) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत-
2408-01-102-5624-सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत खाद्यान्न उपार्जन हेतु प्रोत्साहन-			
मूल	40,00.00		
पूरक	94,85.60		
पुनर्वि.	99,00.00	2,33,85.60	2,33,34.83
			-50.77

99,00.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

प्रभारित-

(v) 0.78 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 0.28 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) 8,70.39 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 2,78.67 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत-
(1) 4408-01-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7316-राज्य उपभोक्ता आयोग एवं फोरमों का अधोसंरचना विकास			
	2,02.52	70.76	-1,31.76

70.76 लाख रुपये का व्यय समान राशि से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(2) 4408-02-190-173-अन्न का क्रय-

मूल	20,40.00		
पुनर्वि.	-2,78.67	17,61.33	13,01.37
			-4,59.96

2,78.67 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40 - जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2705-कमान क्षेत्र विकास			
4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	4,10,06	1,19,50	-2,90,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			2,89,11
प्रभारित	50	..	-50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			50
पूंजीगत:			
दत्तमत	15,90,00	11,46,65	-4,43,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			4,35,97
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 2,90.56 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 2,89.11 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2705-203-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 3041-बैन गंगा, बाबनथड़ी एवं बांध कमान विकास प्राधिकरण-			
मूल	33.43		
पुनर्वि.	-22.56	10.87	-0.56
22.56 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 23.31 लाख रुपये की कमी तथा 0.75 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी पद रिक्त रहने के कारण हुई। वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2705-205-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6545-ग्वालियर सहभागिता प्रबंध समितियों को अनुदान-			
मूल	20.00		
पुनर्वि.	-20.00

अनुदान संख्या 40-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2705-207-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6305-सिंचाई सहभागिता प्रबंध समितियों को अनुदान-			
मूल	10.00		
पुनर्वि.	-10.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 20.00 लाख रुपये एवं 10.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत किसानों द्वारा सहभागिता के लिए अंशदान जमा नहीं किये जाने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2705-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 3701-राज्य स्तर पर आयाकट सेल-				
मूल	2,52.85			
पुनर्वि.	-2,12.12	40.73	40.68	-0.05
2,12.12 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत नई परियोजनाओं में प्रशासकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई।				

पूँजीगत:
वत्तमत-

(iii) 4,43.35 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 4,35.97 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -	
(1) 4705-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2823-फील्ड चैनल्स का निर्माण-				
मूल	55.00			
पुनर्वि.	-16.31	38.69	33.69	-5.00

16.31 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत खेतों में फसल खड़ी होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं होने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 4705-203-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6852-करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेन्सी-				
मूल	4,00.00			
पुनर्वि.	-4,00.00
4,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राक्कलन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने/देरी से प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।				

(3) 4705-205-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2823-फील्ड चैनल्स का निर्माण-				
मूल	2,50.00			
पुनर्वि.	-50.00	2,00.00	1,99.47	-0.53
50.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत किसानों द्वारा अंशदान जमा नहीं किये जाने के कारण हुई।				

अनुदान संख्या 40-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(4) 4705-205-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6852-करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेन्सी-			
मूल	50.00
पुनर्वि.	-50.00

50.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 4705-207-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2823-फील्ड चैनल्स का निर्माण-				
मूल	2,10.00			
पुनर्वि.	-1,94.66	15.34	15.33	-0.01

1,94.66 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत किसानों द्वारा अंशदान जमा नहीं किये जाने से कार्य नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 4705-207-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6852-करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेन्सी-				
मूल	1,25.00
पुनर्वि.	-1,25.00

1,25.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
4705-203-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2823-फील्ड चैनल्स का निर्माण-			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	4,00.00	9,00.00	8,98.17

4,00.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि स्वीकृत कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता एवं पिछले वर्ष के बकाया देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(vi) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) के अंतर्गत "उचंत" शीर्ष में वर्ष 2008-09 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेख की अनुदान संख्या 20 -लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के नीचे टिप्पणी (iv) में दी गई है। वर्ष 2008-09 तक इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है :-

विवरण	1 अप्रैल 2008 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा -	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2009 को अंत शेष नामे + जमा -
(लाख रुपये में)				
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(1) क्रय	-13.05	-13.05
(2) भंडार	-0.08	-0.08
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+41.49	+41.49
योग	+28.36	+28.36

अनुदान संख्या 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

मुख्य शीर्ष-

- 2029-भू-राजस्व
 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं
 2202-सामान्य शिक्षा
 2203-तकनीकी शिक्षा
 2204-खेल तथा युवा सेवार्यें
 2205-कला एवं संस्कृति
 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2215-जल पूर्ति तथा सफाई
 2217-शहरी विकास
 2220-सूचना तथा प्रचार
 2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2230-श्रम तथा रोजगार
 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 2236-पोषण
 2401-फसल कृषि कर्म
 2402-मृदा तथा जल संरक्षण
 2403-पशु पालन
 2405-मछली पालन
 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी
 2408-खाद्य, भंडारण और भांडागार
 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
 2425-सहकारिता
 2501-ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम
 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
 2801-बिजली
 2810-अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत
 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग
 3053-नागर विमानन
 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान
 3452-पर्यटन
 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय
 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
 4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय
 4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय
 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 41-जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6425-सहकारिता के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	11,73,59,67		
पूरक	2,39,79,29	14,13,38,96	11,36,20,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (20 अगस्त 2008, 21 जनवरी, 25 एवं 31 मार्च 2009)			-2,77,18,64 2,06,34,34

11,36,20.32 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 2215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उप-योजना)-1201-ग्रामीण पाइप जलपूर्ति योजना के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 77.00 लाख रुपये की राशि सम्मिलित हैं।

पूंजीगत:

दत्तमत-

मूल	8,77,40,41			
पूरक	1,30,04,02	10,07,44,43	9,03,75,05	-1,03,69,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (25 एवं 31 मार्च 2009)				62,03,33

9,03,75.05 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 4215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उप योजना) - 9207-खारे पानी से प्रभावित ग्रामों के लिये पेयजल व्यवस्था (3,40.00 लाख रुपये), 4225-02-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उप योजना) -6521-आदिवासी संग्रहालय भवन (6,22.44 लाख रुपये) एवं 4235-02-796-102-0102-आदिवासी क्षेत्र उप योजना-5360-आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवनों का निर्माण (32.80 लाख रुपये) के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 9,95.24 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित	15,00	5,43	-9,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			4,57

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (1,42,59.86 लाख रुपये), जनवरी 2009 (84,75.08 लाख रुपये) एवं मार्च 2009 (12,44.35 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 2,39,79.29 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,77,18.64 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान को केवल 2,06,34.34 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 41-जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
04-वित्त विभाग			
(1) 2052-796-091-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5247-आम आदमी बीमा योजना- मूल 5,00.00 पुनर्वि. -5,00.00
(2) 2052-796-091-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5629-उच्च शिक्षा ऋण गारंटी कोष की स्थापना	1,25.00	..	-1,25.00
(3) 2052-796-091-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5630-अल्प आय वर्ग को अंशदायी पेंशन योजना हेतु प्रोत्साहन	1,25.00	..	-1,25.00
(4) 2052-796-091-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5631-वित्तीय समावेशन हेतु अधोसंरचना विकास	1,25.00	..	-1,25.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) के अंतर्गत 5,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

07-राजस्व विभाग

(5) 2029-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5045-कैडस्ट्रल सर्वे नक्शों का डिजिटल इजेशन- मूल 1,00.00 पुनर्वि. -1,00.00
--	----	----	----

1,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत राज्यांश के उपयोग न होने के कारण हुई, चूंकि केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजना एल.एल.आर.एम.पी. के अंतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से निधि प्राप्त हुई थी।

10-वन विभाग

(6) 2406-01-794-101-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3874-वन ग्रामों का विकास- पूरक 65,81.24	65,81.24	59,20.56	-6,60.68
(7) 2406-02-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3730-प्रोजेक्ट टाइगर	8,29.60	5,42.21	-2,87.39

उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

13-ऊर्जा विभाग

(8) 2501-04-796-101-0410-ऊर्जा विकास निधि- 4988-एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम- मूल 1,60.00 पुनर्वि. -1,60.00
--	----	----	----

1,60.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम बन्द किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान की बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
14-किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग			
(9) 2401-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 1918-दलहन फसलों का उत्पादन- मूल 2,38.53 पुनर्वि. -1,16.28	1,22.25	1,08.11	-14.14
(10) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 1896-तिलहन विकास योजना- मूल 5,29.44 पुनर्वि. -2,02.72	3,26.72	3,14.73	-11.99
उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,16.28 लाख रुपये एवं 2,02.72 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से मांग अनुसार निधियां प्राप्त न होने के कारण हुई (93.43 लाख रुपये एवं 1,66.21 लाख रुपये)। उक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः 22.85 लाख रुपये एवं 36.51 लाख रुपये की शेष प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(11) 2401-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5442-मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, 2007 सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।	3,60.00	..	-3,60.00
(12) 2401-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- मूल 1,10,00.00 पुनर्वि. -93,49.00	16,51.00	16,51.00	..
(13) 2401-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 1580-मेक्रोमेनेजमेंट योजना- मूल 16,74.00 पुनर्वि. -3,26.68	13,47.32	14,06.80	+59.48
उपरोक्त क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत 93,49.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से कम राशि का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के कारण हुई (35,99.54 लाख रुपये)। इस शीर्ष के अंतर्गत 57,49.46 लाख रुपये की शेष प्रत्याशित बचत एवं उपरोक्त क्रम संख्या (13) के अंतर्गत 3,26.68 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
(14) 2210-01-796-110-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 8798-चिकित्सालयों का उन्नयन- मूल 5,01.00 पुनर्वि. -3,96.03	1,04.97	1,15.32	+10.35

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(15) 2210-03-796-103-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 7317-ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन-			
मूल	8,19.62		
पुनर्वि.	-3,99.14	4,20.48	-1,34.68
उपरोक्त क्रम संख्या (14) एवं (15) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 3,96.03 लाख रुपये एवं 3,99.14 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त शीर्ष क्रमांक (14) के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(16) 2210-80-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5613-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना-			
मूल	12,00.00		
पुनर्वि.	-3,00.00	9,00.00	-9,00.00
3,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
20-स्कूल शिक्षा विभाग			
(17) 2202-01-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 8810-सर्वशिक्षा अभियान-			
मूल	1,41,71.60		
पुनर्वि.	-35,42.90	1,06,28.70	1,06,28.70
35,42.90 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
25-आदिम जाति कल्याण विभाग			
(18) 2225-02-794-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित- 5211-एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम-			
मूल	58,82.46		
पूरक	30,58.76		
पुनर्वि.	-12,93.33	76,47.89	76,65.84
12,93.33 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि जारी न होने तथा कोषालय द्वारा राशि आहरित न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(19) 2225-02-794-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित- 5212-माड़ा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम-			
मूल	8,26.10		
पूरक	81.45		
पुनर्वि.	-1,21.66	7,85.89	6,92.99
-92.90			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
(20) 2225-02-794-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित- 9819-विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण-			
मूल	12,00.00		
पूरक	1,99.90		
पुनर्वि.	-93.70	13,06.20	12,29.63
			-76.57

उपरोक्त क्रम संख्या (19) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,21.66 लाख रुपये एवं 93.70 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कोषालय द्वारा राशि आहरित न करने एवं भारत सरकार से राशि जारी न होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (19) के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(21) 2225-02-796-001-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 5155-योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275 (1)-			
मूल	1,20.00		
पुनर्वि.	-1,20.00

1,20.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान की बचत हुई थी।

(22) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 671-एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान	5,23.85	3,89.64	-1,34.21
--	---------	---------	----------

(23) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 7562-उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना-			
मूल	7,71.70		
पुनर्वि.	-1,26.67	6,45.03	5,18.64
			-1,26.39

(24) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 8842-विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति	1,50.00	18.24	-1,31.76
---	---------	-------	----------

उपरोक्त क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत 1,26.67 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ क्रम संख्या (22) से (24) के शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2008)। क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(25) 2225-02-796-277-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 5232-म.प्र.आवासीय विद्यालय समिति को अनुदान अनुच्छेद 275 (1)-			
मूल	7,00.00		
पुनर्वि.	-7,00.00

7,00.00 लाख रुपये की सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत भारत सरकार से आदिवासी क्षेत्र विकास योजना के लिए प्राप्त निधि से आवासीय विद्यालयों को निधि उपलब्ध न कराने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(26) 2225-02-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 5526-वन अधिकार अधिनियम-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	-5,63.88	4,36.12	2,93.63
			-1,42.49

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(27) 2225-02-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 8849-आदिवासी क्षेत्रों की योजना के लिए एक मुश्त प्रावधान- मूल 21,87.00 पुनर्वि. -11,49.17	10,37.83	10,45.13	+7.30
(28) 2225-02-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 5191-अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत सहायता/पुनर्वास सहायता	4,20.00	2,63.01	-1,56.99
(29) 2225-02-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 5526-वन अधिकार अधिनियम- पूरक 3,68.80	3,68.80	..	-3,68.80
(30) 2225-02-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 8004-एकीकृत डेयरी विकास परियोजना अनुच्छेद 275 (1)- पूरक 7,31.25	7,31.25	..	-7,31.25

उपरोक्त क्रम संख्या (26) एवं (27) के शीर्षान्तर्गत 5,63.88 लाख रुपये एवं 11,49.17 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही क्रम संख्या (26) एवं (28) के अंतर्गत अंतिम बचत/बचत के कारण, क्रम संख्या (29) एवं (30) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान की बचत एवं क्रम संख्या (27) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान तथा क्रम संख्या (30) के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

26-समाज कल्याण विभाग

(31) 2235-60-796-102-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 7084-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	13,68.91	9,88.66	-3,80.25
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

29-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

(32) 2408-01-796-190-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 9214-आयोडीन युक्त नमक का वितरण	6,58.00	..	-6,58.00
सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

38-उच्च शिक्षा विभाग

(33) 2202-03-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 5552-पिछड़े जिलों में आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना- मूल 3,39.00 पुनर्वि. -3,39.00
--	----	----	----

3,39.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(34) 2202-03-796-103-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 4401-सरकारी महाविद्यालय-			
मूल	7,20.00		
पुनर्वि.	-1,02.33	6,17.67	-7.94

1,02.33 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

42-जन शक्ति नियोजन विभाग

(35) 2203-796-105-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 9236-एकलव्य पोलीटेक्निक संस्थाएं	5,00.78	3,65.06	-1,35.72
---	---------	---------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

50-महिला एवं बाल विकास विभाग

(36) 2210-80-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5447-आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य सेवाओं हेतु प्रोत्साहन राशि-			
मूल	8,88.23		
पुनर्वि.	-68.35	8,19.88	-1,54.68
(37) 2236-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5548-शक्तिमान परियोजना-			
मूल	16,41.28		
पुनर्वि.	-10,44.86	5,96.42	+20.56
(38) 2236-02-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम- विशेष पोषण आहार योजना-			
मूल	39,32.66		
पुनर्वि.	-5,22.79	34,09.87	-20.11

उपरोक्त क्रम संख्या (36) से (38) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 68.35 लाख रुपये, 10,44.86 लाख रुपये एवं 5,22.79 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (36) एवं (38) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

52-ग्रामोद्योग विभाग

(39) 2851-796-107-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6328-उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम-			
मूल	3,83.35		
पुनर्वि.	-3,20.59	62.76	-0.01

3,20.59 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत विभागीय निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा लक्ष्य कम करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	-------------------------------------	-------------------

58-ग्रामीण विकास विभाग

(40) 2501-06-796-800-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-

7755-म.प्र.ग्रामीण आजीविका परियोजना-

मूल 30,80.00

पुनर्वि. -5,80.00

25,00.00

25,00.00

..

5,80.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

59-औद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(41) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-

5116-राष्ट्रीय उद्योगिकी मिशन-

मूल 1,55.70

पुनर्वि. -1,49.33

6.37

6.37

..

1,49.33 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	-------------------------------------	-------------------

10-वन विभाग

(1) 2406-01-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-

7882-कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन-

मूल 84,11.00

पुनर्वि. -6.60

84,04.40

88,64.94

+4,60.54

6.60 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

14-किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

(2) 2401-796-001-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-

4103-विश्व बैंक की सहायता से गहन विस्तार परियोजना-

मूल 10,30.80

पुनर्वि. 2,31.28

12,62.08

12,60.07

-2.01

2,31.28 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,49.46 लाख रुपये की वृद्धि तथा 18.18 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि समय-समय पर राज्य सरकार के आदेशानुसार वेतन एवं मंहगाई भत्तों में वृद्धि होने के कारण सूचित की गई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
20-स्कूल शिक्षा विभाग			
(3) 2202-02-796-106-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6813-साईकिलों का प्रदाय-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	4,02.30	7,02.30	-1,90.28

4,02.30 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अधिक छात्राओं का कक्षा-9 में प्रवेश देने के कारण किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

25-आदिम जाति कल्याण विभाग

(4) 2202-01-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2773-प्राथमिक शालाएं	50,92.25	58,07.70	+7,15.45
(5) 2202-01-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3496-माध्यमिक शालाएं	28,23.58	30,33.62	+2,10.04
(6) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां-			
मूल	9,55.00		
पुनर्वि.	5,03.15	14,58.15	-27.57
(7) 2225-02-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 7851-युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना	2,00.00	3,30.00	+1,30.00

उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 5,03.15 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन जिलों द्वारा छात्रवृत्तियों की अधिक मांग के कारण हुआ। उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (7) के अंतर्गत अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। क्रम संख्या (6) के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(8) 2225-02-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 9829-संदिग्ध दायित्व निवारण निधि- प्रशिक्षण योजना-			
मूल	10.00		
पुनर्वि.	6,47.85	6,57.85	-9.79

6,47.85 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधि का आवर्धन आदिवासी हितग्राहियों के ऋणों के पुनर्भुगतान के कारण होना सूचित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

52-ग्रामोद्योग विभाग

(9) 2851-796-107-0102-आदिवासी क्षेत्र उप योजना- 3777-रेशम उद्योग का विकास कार्य-			
मूल	2,56.14		
पुनर्वि.	1,59.62	4,15.76	-0.30

1,59.62 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,62.25 लाख रुपये की वृद्धि तथा 2.63 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि नये किसानों को पैकेज का प्रबंध करने के कारण हुई। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(10) 2851-796-107-0102-आदिवासी क्षेत्र उप योजना- 5146-टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम-			
मूल	3,22.03		
पुनर्वि.	1,53.47	4,75.50	4,80.31
			+4.81

1,53.47 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,58.32 लाख रुपये की वृद्धि तथा 4.85 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव था जिसके कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

59-औद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(11) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उप योजना-			
7910-माईक्रो इरीगेशन की केन्द्र प्रवर्तित योजना-			
मूल	1,40.94		
पूरक	2,24.35		
पुनर्वि.	1,49.33	5,14.62	5,14.62
			..

1,49.33 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन जिलों द्वारा निधियों की मांग के कारण किया गया।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) 1,03,69.38 लाख रुपये की बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 71,24.14 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि जनवरी 2009 एवं मार्च 2009 में प्राप्त किया गया क्रमशः 45,78.48 लाख रुपये एवं 13,01.40 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) 1,03,69.38 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 25 एवं 31 मार्च 2009 को केवल 62,03.33 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	-------------------------------------	-------------------

17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(1) 4210-02-796-104-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5056-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	18,15.23	11,40.94	-6,74.29
(2) 4210-02-796-104-1402-नाबाई (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 6882-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (नाबाई)	2,95.00	1,01.79	-1,93.21
(3) 4210-01-796-110-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण-			
मूल	3,40.00		
पूरक	सांकेतिक	3,40.00	1,05.42
			-2,34.58

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	-------------------------------------	-------------------

25-आदिम जाति कल्याण विभाग

- (4) 4225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-
7881-आदिवासी उप योजना क्षेत्र में विविध
विकास कार्य अनुच्छेद 275 (1)-

मूल	69,48.00		
पूरक	32,29.25		
पुनर्वि.	-24,36.74	77,40.51	76,06.69
			-1,33.82

24,36.74 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः कोषालय से आहरण पर प्रतिबंध होने, खुदाई कार्य की लागत में बचत, निर्माण कार्य एजेन्सी का मुख्यालय भोपाल में स्थित होने से राशि आहरित न होने के कारण हुई (25.38 लाख रुपये)। 24,11.36 लाख रुपये की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

- (5) 4225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-
8799-छात्रावास भवन निर्माण-

मूल	15,95.52		
पुनर्वि.	-6,85.64	9,09.88	9,04.32
			-5.56

6,85.64 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत छात्रावास भवन के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता न होने एवं जिलों द्वारा राशि अभ्यर्पित करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

- (6) 4225-02-796-277-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना
आदिवासी क्षेत्र उप योजना-
8799-छात्रावास भवन निर्माण-

मूल	15,00.00		
पुनर्वि.	-3,43.20	11,56.80	11,56.81
			+0.01

3,43.20 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति एवं निधि प्राप्त न होने के कारण हुई।

- (7) 4225-02-796-277-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना
आदिवासी क्षेत्र उप योजना-
8828-आश्रम/शाला भवन निर्माण-

मूल	8,00.00		
पूरक	2,00.00		
पुनर्वि.	-4,00.00	6,00.00	6,00.00
			..

4,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत 2008-09 के दौरान आश्रम भवन निर्माण हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण हुई।

- (8) 4225-02-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना
आदिवासी क्षेत्र उप योजना-
6521-आदिवासी संग्रहालय-भवन-

मूल	8,58.56		
पुनर्वि.	-2,36.12	6,22.44	6,22.44
			..

2,36.12 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा राशि अभ्यर्पित करने एवं क्रय पर प्रतिबंध होने के कारण हुई। 6,22.44 लाख रुपये का सम्पूर्ण व्यय इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा द्वारा अभिवृद्धित था, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सीमा तक बचत दर्शित नहीं हुई, जिसके कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(9) 4225-02-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उप योजना- 8849-आदिवासी क्षेत्रों की योजना के लिए एकमुश्त प्रावधान-			
मूल	44,00.00		
पुनर्वि.	-24,37.00	19,63.00	-86.37
(10) 4515-796-103-0102-आदिवासी क्षेत्र उप योजना- 5111-नवाचार को प्रोत्साहन-			
मूल	4,75.92		
पुनर्वि.	-4,75.00	0.92	-0.92
(11) 4702-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3829-लघु सिंचाई योजना [अनुच्छेद 275 (1)]-			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	-4,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (11) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 24,37.00 लाख रुपये, 4,75.00 लाख रुपये तथा 4,00.00 लाख रुपये (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

27-नर्मदा घाटी विकास विभाग

(12) 4700-45-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5177-परियोजना का हिस्सा एन.एच.डी.सी.को भुगतान-				
मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	-2,00.00
2,00.00 लाख रुपये (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत एन.एच.डी.सी. को भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई।				
(13) 4700-45-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 9091-औंकारेश्वर परियोजना-				
मूल	80.76			
पूरक	43,67.66			
पुनर्वि.	-21.50	44,26.92	36,07.41	-8,19.51
21.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।				
(14) 4700-65-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5090-अपर वेदा परियोजना-				
मूल	35,92.11			
पूरक	1,05.00			
पुनर्वि.	-1,87.04	35,10.07	32,46.63	-2,63.44
1,87.04 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।				

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(15) 4700-66-796-001-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5091-लोअर गोई परियोजना-			
मूल	2,39.32		
पुनर्वि.	-74.85	1,64.47	1,39.59
(16) 4701-12-796-001-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6715-जोबट परियोजना-			
मूल	1,87.19		
पुनर्वि.	-94.59	92.60	91.23

उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 74.85 लाख रुपये एवं 94.59 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान तथा क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

(17) 4701-45-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5152-हालोन परियोजना-			
मूल	2,01.45		
पुनर्वि.	-1,11.93	89.52	1,00.61

1,11.93 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः वांछित स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई (1,09.27 लाख रुपये)। शेष प्रत्याशित बचत (2.66 लाख रुपये) के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

31-जल संसाधन विभाग

(18) 4701-25-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	51,02.00		
पुनर्वि.	-21,00.00	30,02.00	24,11.43
(19) 4702-796-800-1402-नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 5189-लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)-			
मूल	24,21.00		
पुनर्वि.	1,42.51	25,63.51	13,52.19

21,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 25,00.00 लाख रुपये की कमी एवं 4,00.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि भू-अर्जन तथा निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

(20) 4702-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5708-ए.आई.बी.पी. योजनाएं-			
मूल	96,17.00		
पुनर्वि.	-25,47.17	70,69.83	56,95.37

1,42.51 लाख रुपये की पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि प्रावधान में 2,00.00 लाख रुपये की वृद्धि एवं 57.49 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान होने के कारण सूचित की गई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(20) 4702-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5708-ए.आई.बी.पी. योजनाएं-			
मूल	96,17.00		
पुनर्वि.	-25,47.17	70,69.83	56,95.37

25,47.17 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 40,47.17 लाख रुपये की कमी एवं 15,00.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत नई योजनाओं के लिए निधि की आवश्यकता होने के कारण सूचित की गई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
58-ग्रामीण विकास विभाग			
(21) 4515-796-800-1202-विदेशी सहायता परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 5853-डी.पी.आई.पी.योजनाएं-			
मूल	22,00.00		
पुनर्वि.	-12,64.00	9,36.00	9,36.00

12,64.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत डी.पी.आई.पी. से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
25-आदिम जाति कल्याण विभाग			
(1) 4225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 8828-आश्रम/शाला भवन निर्माण-			
मूल	6,00.00		
पुनर्वि.	9,54.74	15,54.74	15,54.80
			+0.06

(2) 4225-02-794-800-0602-आदिवासी क्षेत्र उप योजना के लिए भारत सरकार से अतिरिक्त राशियों से पोषित-
5211-एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम-

मूल	17,05.62		
पूरक	9,62.22	26,67.84	29,48.44
			+2,80.60

उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा 9,54.74 लाख रुपये की निधियों का आवर्धन प्रावधान में 21,55.00 लाख रुपये की वृद्धि तथा 12,00.26 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि छात्रावास/आश्रम के निर्माण एवं सुदृढीकरण होने एवं कमी कोषालय के सर्वर में प्रावधान समय पर दर्ज न होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

27-नर्मदा घाटी विकास विभाग

(3) 4700-66-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5091-लोअर गोई परियोजना-			
मूल	10,43.99		
पुनर्वि.	25,49.70	35,93.69	35,62.36
			-31.33

पुनर्विनियोजन द्वारा 25,49.70 लाख रुपये की निधि का आवर्धन प्रावधान में 25,52.00 लाख रुपये की वृद्धि तथा 2.30 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि लोअर गोई परियोजना में ठेकेदार को मोबलाईजेशन अग्रिम का भुगतान करने के कारण हुई। कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 41-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(4) 4701-11-796-800-1402-नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 5223-मान परियोजना (नाबार्ड)-			
मूल	2,54.22		
पुनर्वि.	31.00	2,85.22	4,40.93
			+1,55.71

पुनर्विनियोग द्वारा 31.00 लाख रुपये की निधि का आवर्धन प्रावधान में 35.15 लाख रुपये की वृद्धि तथा 4.15 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य हेतु अधिक निधि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(5) 4701-12-796-800-1402-नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 4647-जोवट परियोजना (नाबार्ड)-			
मूल	3,22.19		
पूरक	55.35		
पुनर्वि.	16.82	3,94.36	4,88.71
			+94.35

पुनर्विनियोग द्वारा 16.82 लाख रुपये की निधि का आवर्धन प्रावधान में 20.00 लाख रुपये की वृद्धि तथा 3.18 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

31-जल संसाधन विभाग

(6) 4702-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3828-लघु सिंचाई योजना-			
मूल	27,76.94		
पुनर्वि.	44,68.60	72,45.54	85,94.32
			+13,48.78

पुनर्विनियोग द्वारा 44,68.60 लाख रुपये की निधि का आवर्धन भू-अर्जन एवं निर्माण कार्य का भुगतान करने के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(ix) 9.57 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 4.57 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(X) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	----------------	-------------------------------------	-------------------

27-नर्मदा घाटी विकासविभाग

4700-80-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उप योजना- 1831-डिक्री धन का भुगतान	5,00	..	-5,00
--	------	----	-------

प्रभारित विनियोग के अंतर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 42 -आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
5054-सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत:			
मूल	3,93,27,37		
पूरक	सांकेतिक	3,93,27,37	3,43,86,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-49,41,37
टीका एवं टिप्पणियां			निरंक

पूंजीगत:

(i) 49,41.37 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	-------------------------------------	-------------------

19-लोक निर्माण विभाग

(1) 5054-03-796-101-1402- नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 5225-पुलों का निर्माण (नाबार्ड)	21,50.00	8,18.58	-13,31.42
(2) 5054-03-796-337-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 948-केन्द्रीय सड़क निधि	10,00.00	7,53.34	-2,46.66
(3) 5054-04-796-800-1402- नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 5226-ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)	92,79.36	60,07.73	-32,71.63

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

25-आदिम जाति कल्याण विभाग

(4) 5054-04-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 7654-आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों/पुलों का निर्माण [अनुच्छेद 275 (1)]	4,00.00	..	-4,00.00
---	---------	----	----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 42-समाप्त

गई:- (iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
19-लोक निर्माण विभाग			
(1) 5054-04-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	79,58.20	82,13.66	+2,55.46
(2) 5054-04-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3539-मुख्य जिला सड़कें	1,50.81	2,45.81	+95.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 43 - खेल और युवक कल्याण
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2204 -खेल तथा युवा सेवार्ये			
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	16,23,53		
पूरक	1,76,00	17,99,53	-69,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			64,40
पूंजीगत:			
मूल	8,17,30		
पूरक	15,77,13	23,94,43	+1,61,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			1,76

25,56.15 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 4202-01-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-5834-पायका (पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान) के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 11,53.13 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 69.35 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 1,76.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 69.35 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 64.40 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूंजीगत:

(iii) दत्तमत अनुदान में हुए 1,61,71,581 रुपये के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(iv) 1,61.72 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 (4,24.00 लाख रुपये) एवं मार्च 2009 (11,53.13 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 15,77.13 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ एवं 31 मार्च 2009 को 1.76 लाख रुपये का अभ्यर्पण अविवेकपूर्ण था।

(v) प्रावधान से आधिक्य मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
4202-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6703-स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण-			
मूल	4,36.00		
पुनर्वि.	-1.76	4,34.24	+1,60.30

1.76 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 44-उच्च शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
6202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	4,20,03,10		
पूरक	13,10,00	4,33,13,10	4,17,25,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-15,87,54 15,36,16

4,17,25.56 लाख रुपये के सम्पूर्ण व्यय में शीर्ष 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5650-प्रिमियम नेशनल इंस्टीट्यूट के समकक्ष उत्कृष्ट महाविद्यालयों की स्थापना के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 15,00.00 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित	20,00	19,68	-32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

पूंजीगत:

दत्तमत-			
मूल	31,04,50		
पूरक	7,00,00	38,04,50	28,44,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-9,59,63 3,19,59

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व:****दत्तमत-**

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (9,60.00 लाख रुपये), जनवरी 2009 (1,20.00 लाख रुपये) तथा मार्च 2009 (2,30.00 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 13,10.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 15,87.54 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 15,36.16 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-03-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 3753-राष्ट्रीय सेवा योजना-			
मूल	3,87.67		
पुनर्वि.	-82.82	3,04.85	2,98.92
			-5.93

82.82 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 44-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2202-03-102-1437-जबलपुर विश्वविद्यालय-			
मूल	6,88.00		
पुनर्वि.	-68.80	6,19.20	6,19.20
(3) 2202-03-102-1561-इंदौर विश्वविद्यालय-			
मूल	6,95.00		
पुनर्वि.	-69.50	6,25.50	6,25.50
(4) 2202-03-102-3939-विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन-			
मूल	7,00.00		
पुनर्वि.	-70.00	6,30.00	6,30.00
(5) 2202-03-102-4460-सागर विश्वविद्यालय-			
मूल	13,10.00		
पुनर्वि.	-1,31.00	11,79.00	11,79.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (5) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 68.80 लाख रुपये, 69.50 लाख रुपये, 70.00 लाख रुपये एवं 1,31.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं करने के कारण हुई।			
(6) 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5627-निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	-2,00.00
2,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने एवं विद्यार्थियों से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।			
(7) 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8518-राष्ट्रीय विधि संस्थान, भोपाल-			
मूल	2,20.25		
पुनर्वि.	-1,86.37	33.88	33.88
1,86.37 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं करने के कारण हुई।			
(8) 2202-03-103-798-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय-			
मूल	2,98,28.80		
पुनर्वि.	-12,25.97	2,86,02.83	2,83,55.23
-2,47.60			
12,25.97 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत संभावना के अनुरूप मांग में कमी एवं वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 2202-03-104-7043-जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान-			
मूल	8,00.00		
पूरक	2,00.00	10,00.00	9,01.40
-98.60			
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 44-समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5650-प्रिमियम नेशनल इंस्टीट्यूट के समकक्ष उत्कृष्ट महाविद्यालयों की स्थापना- पूरक	9,00.00	9,00.00	15,00.00 +6,00.00

15,00.00 लाख रुपये का व्यय समान राशि से इस शीर्ष को नामें तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणामस्वरूप 9,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के स्थान पर 6,00.00 लाख रुपये से व्यय में वृद्धि हुई, जिसके कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(2) 2202-03-104-3444-महाविद्यालयों को पोषण अनुदान-

मूल	19,93.00			
पुनर्वि.	8,63.36	28,56.36	27,58.70	-97.66

8,63.36 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 11,44.35 लाख रुपये की वृद्धि एवं 2,80.99 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि विश्वविद्यालय एवं गैर शासकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बकाया राशि पर ब्याज के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण होना बतलाई गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 7,00.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) 9,59.63 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 3,19.59 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
4202-03-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5552-पिछड़े जिलों में आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना- मूल	9,10.50		
पुनर्वि.	-3,10.50	6,00.00	.. -6,00.00

3,10.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। शेष प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2702-लघु सिंचाई			
4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय			
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	62,85,05	60,69,92	-2,15,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			60
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	3,42,72,74		
पूरक	14	3,42,72,88	2,82,31,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-60,41,39 14,94
प्रभारित	10,00	9,71	-29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			29

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 2,15.13 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 0.60 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2702-80-800-5422-बांध सुरक्षा कार्य-			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	-3,50.60	1,49.40	1,44.63
(2) 2702-80-800-6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था-			
मूल	5,70.00		
पुनर्वि.	-80.00	4,90.00	4,60.45

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 3,50.60 लाख रुपये एवं 80.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। क्रम संख्या (1) के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 तथा क्रम संख्या (2) के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 45-जारी

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2702-80-800-207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य-			
मूल	52,15.05		
पुनर्वि.	4,30.00	56,45.05	-1,80.21

4,30.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 6,40.05 लाख रुपये की वृद्धि एवं 2,10.05 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कार्यभारित/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन, मंहगाई भत्ता एवं अंतरिम राहत में वृद्धि के कारण होना बतलाई गई। 2,10.05 लाख रुपये की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

पूँजीगत:
दत्तमत-

(iv) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (0.09 लाख रुपये) एवं मार्च 2009 (0.05 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 0.14 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) 60,41.39 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 14.94 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4702-101-1401-नाबार्ड (सामान्य)- 2304-निदेशन एवं प्रशासन	17,00.00	..	-17,00.00
(2) 4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6708-ए.आई.बी.पी.योजनाएं-			
मूल	1,81,00.00		
पुनर्वि.	-68,00.00	1,13,00.00	-9,06.08
(3) 4702-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2304-निदेशन एवं प्रशासन	35,43.89	..	-35,43.89

उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 68,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही क्रम संख्या (1) से (3) के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने/अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 4702-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3803-लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं-			
मूल	80.00		
पुनर्वि.	-14.94	65.06	-30.77

14.94 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत स्टेट ट्यूबवैल योजना के अंतर्गत अनुमानित व्यय की तुलना में कम व्यय होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 45-समाप्त

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3803-लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं-			
मूल	68,19.85		
पूरक	0.14		
पुनर्वि.	59,00.00	1,27,19.99	1,28,50.24
			+1,30.25
(2) 4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9469-नाबार्ड से ऋण सहायता के अंतर्गत-			
मूल	35,79.00		
पुनर्वि.	9,00.00	44,79.00	45,08.36
			+29.36

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 59,00.00 लाख रुपये एवं 9,00.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन भूमि अधिग्रहण प्रभार एवं निर्माण कार्यों के भुगतान के कारण होना बतलाया गया। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(viii) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग में 'उचंत' के अंतर्गत 2008-09 के दौरान कोई व्यय दर्ज नहीं किया गया। 'उचंत' के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अंतर्गत टिप्पणी (iv) में की गई है।

वर्ष 2008-09 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप-शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अन्तशेष सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	01 अप्रैल 2008 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा -	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2009 को अंत शेष नामे + जमा -
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय- (लाख रुपये में)				
(1) क्रय	-1,31.77	-1,31.77
(2) भंडार	-27.12	-27.12
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+65.36	+65.36
(4) कार्यशाला उचंत	+0.10	+0.10
योग	-93.43	-93.43

अनुदान संख्या 46-विमान और टेकनालॉजी
(सभी वसति)

क्र. सं.	विवरण	अनुदान	कुल	व्यय	आवृत्त + बचत -
...	मुख्य शीर्ष- 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूर्वागत परिव्यय	9,58,50	9,58,50	9,58,50	(देखार रुपये में)
...	राजस्व वर्ष के दौरान अर्जित राशि	8,00,00	8,00,00	8,00,00	
...	पूर्वागत: मुल 5,00,00 भूक 3,00,00	8,00,00	8,00,00	8,00,00	
...	वर्ष के दौरान अर्जित राशि	8,00,00	8,00,00	8,00,00	

अनुदान संख्या 47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2203-तकनीकी शिक्षा			
2230-श्रम तथा रोजगार			
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	1,59,22,74		
पूरक	4,10,01	1,63,32,75	1,46,84,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-16,48,38 14,33,29

1,46,84.37 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 2203-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं के अंतर्गत आहरित तथा 30 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा -800-अन्य जमा में जमा की गई 35.00 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

पूंजीगत:

मूल	8,19,32			
पुनर्वि.	6,00,00	14,19,32	13,40,57	-78,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				78,12

13,40.57 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 4202-02-104-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा -800-अन्य जमा में जमा की गई 6,00.00 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 एवं मार्च 2009 में प्राप्त किया गया क्रमशः 10.01 लाख रुपये एवं 4,00.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 16,48.38 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 14,33.29 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2203-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9143-गैर सरकारी तकनीकी कालेज और संस्थाओं को सहायता-			
मूल	12,70.00		
पुनर्वि.	-1,76.50	10,93.50	10,93.50

1,76.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत सामुदायिक योजना प्रारम्भ नहीं होने एवं पन्द्रह प्रतिशत आर्थिक कटौती के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2203-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं-			
मूल	49,02.54		
पुनर्वि.	-7,82.50	41,20.04	44,35.05
			+3,15.01

7,82.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 9,32.50 लाख रुपये की कमी तथा 1,50.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी रिक्त पदों के नहीं भरे जाने की संभावना तथा नई संस्थाओं को आरम्भ नहीं किये जाने, आकस्मिक स्टाफ का वेतन आकस्मिकता शीर्ष से किये जाने, कम यात्रा, प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किये जाने, यात्रा देयक प्राप्त नहीं होने, पन्द्रह प्रतिशत आर्थिक कटौती एवं सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण कोषालय से राशि का आहरण नहीं होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि वास्तविक आवश्यकता से बजट में कम प्रावधान होने के कारण बतलाई गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2203-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-

2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं-

मूल	2,26.69			
पुनर्वि.	4,00.00	6,26.69	3,65.00	-2,61.69

3,65.00 लाख रुपये का व्यय 35.00 लाख रुपये से इस शीर्ष को नामे तथा वर्ष के दौरान शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सीमा तक बचत नहीं दर्शायी गई, जिसके कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2203-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

5627-निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां तथा वृत्तियां-

मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	-68.14	31.86	24.61	-7.25

68.14 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक अनुसार योग्य विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(5) 2203-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

503-इंजीनियरिंग महाविद्यालय-

मूल	12,78.09			
पुनर्वि.	-23.94	12,54.15	11,45.51	-1,08.64

23.94 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,23.94 लाख रुपये की कमी तथा 1,00.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पदों के नहीं भरे जाने, संविदा आधार पर अतिथि प्राध्यापक की नियुक्ति नहीं होने, मजदूरी का भुगतान नहीं होने तथा यात्रा में कमी होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि कम प्रावधान होने के कारण बतलाई गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 2203-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

5627-निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां तथा वृत्तियां-

मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	-1,90.00	10.00	17.49	+7.49

1,90.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा स्थापित मानक अनुसार योग्य विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(7) 2203-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

5627-निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां तथा वृत्तियां-

मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	-98.83	1.17	0.71	-0.46

अनुदान संख्या 47-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(8) 2230-03-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6951-शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उत्कृष्ट संस्थाओं में विकसित किया जाना	14,95.50	12,80.63	-2,14.87

उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 98.83 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के अंतर्गत बचत/अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2203-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5700-प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नॉलाजी की स्थापना-			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	1,04.75	1,04.75	..

1,04.75 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नॉलाजी की स्थापना के लिए राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।

पूँजीगत:

(v) 78.75 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2008 एवं जनवरी 2009 में प्राप्त किया गया सांकेतिक अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 6,00.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) 78.75 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 78.12 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4202-02-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6215-शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-			
मूल	90.12		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	-48.12	42.00	42.00

48.12 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 90.12 लाख रुपये की कमी एवं 42.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पांच पोलीटेक्निक प्रारम्भ करने के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं चालू कार्य पूर्ण होने तथा 2008-09 में नये मद शामिल नहीं करने के कारण हुई, जबकि वृद्धि आई.आई.टी.इन्दौर के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए राशि की आवश्यकता के कारण बतलाई गई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 4202-02-104-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं-			
मूल	30.00		
पूरक	6,00.00		
पुनर्वि.	-30.00	6,00.00	6,00.00

30.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पांच पोलीटेक्निक प्रारम्भ करने के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। 6,00.00 लाख रुपये का सम्पूर्ण व्यय इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत दर्शित नहीं हुई, जिसके कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48-नर्मदा घाटी विकास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2055-पुलिस			
2402-मृदा तथा जल संरक्षण			
2405-मछली पालन			
2801-बिजली			
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत	26,32,26	21,11,98	-5,20,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (25 एवं 31 मार्च 2009)			5,08,40

पूंजीगत:**दत्तमत-**

मूल	7,33,82,18			
पूरक	82,57,24	8,16,39,42	7,98,17,13	-18,22,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				12,95,05

7,98,17.13 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 4801-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3561-मुख्यालय स्थापना के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 0.05 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित	40,00	28,26	-11,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व:****दत्तमत-**

(i) 5,20.28 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 25 एवं 31 मार्च 2009 को केवल 5,08.40 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2405-109-1401-नाबार्ड (सामान्य) - 3313-मत्स्यपालन प्रसार-			
मूल	1,24.00		
पुनर्वि.	-1,24.00

1,24.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2405-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 3313-मत्स्यपालन प्रसार-			
मूल	60.00		
पुनर्वि.	-50.85	9.15	-2.00
(3) 2801-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6818-सरदार सरोवर परियोजना के परिचालन एवं संधारण व्यय-			
मूल	14,00.00		
पुनर्वि.	-3,58.00	10,42.00	-3.50

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 50.85 लाख रुपये तथा 3,58.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूजीगत:
दत्तमत-

(iii) 18,22.29 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 82,57.24 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(iv) 18,22.29 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 12,95.05 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(v) यद्यपि 18,22.29 लाख रुपये की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुए हैं :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	-------------------------------------	-------------------

[अ]-बचत:-

(1) 4700-43-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट-एक एवं यूनिट-दो)-			
मूल	15,19.52		
पुनर्वि.	-95.77	14,23.75	-1,75.12
(2) 4700-43-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3264-मण्डल स्थापना-			
मूल	2,45.22		
पुनर्वि.	-50.73	1,94.49	-40.77

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 95.77 लाख रुपये तथा 50.73 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 4700-43-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7444-गारलैंडिंग योजना-			
मूल	3,52.53		
पुनर्वि.	-2,62.68	89.85	-9.74

2,62.68 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण हुई (1,30.00 लाख रुपये)। 1,32.68 लाख रुपये की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(4) 4700-51-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8191-निष्पादन स्थापना (यूनिट-दो)- मूल 13,37.20 पुनर्वि. -29.76	13,07.44	12,75.40	-32.04
(5) 4700-51-800-1401-नाबार्ड (सामान्य)- 9000-रानी अवन्ती बाई सागर परियोजना जबलपुर (यूनिट-दो)- मूल 60,27.49 पुनर्वि. -10,95.42	49,32.07	49,75.67	+43.60
(6) 4700-51-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट-एक एवं यूनिट-दो)- मूल 19,41.50 पुनर्वि. -7,01.68	12,39.82	10,38.65	-2,01.17

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 29.76 लाख रुपये, 10,95.42 लाख रुपये तथा 7,01.68 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 तथा क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 4700-80-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7434-नर्मदा नदी के जलाशयों में जल मार्ग परिवहन व्यवस्था- मूल 2,50.00 पुनर्वि. -2,50.00
--	----	----	----

2,50.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना बन्द होने तथा भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) 4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5010-नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना- मूल 14,83.37 पुनर्वि. -14,83.37
---	----	----	----

14,83.37 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आवश्यक स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण हुई (14,00.00 लाख रुपये)। 83.37 लाख रुपये की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(9) 4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5011-शेयर मछेरेवा शक्कर परियोजना- मूल 1,20.00 पुनर्वि. 23.40	1,43.40	3.07	-1,40.33
--	---------	------	----------

23.40 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 91.40 लाख रुपये की वृद्धि तथा 68.00 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि निविदा कार्यों के विरुद्ध पन्द्रह प्रतिशत अग्रिम भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होने के कारण होना बतलाई गई। 68.00 लाख रुपये की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(10) 4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5012-दूधी परियोजना-			
मूल	1,20.00		
पुनर्वि.	-23.05	96.95	-96.95

23.05 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 73.05 लाख रुपये की कमी तथा 50.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। 73.05 लाख रुपये की कमी अंशतः आवश्यक स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण हुई (70.00 लाख रुपये), जबकि 50.00 लाख रुपये की वृद्धि निधिदा कार्यों के विरुद्ध पन्द्रह प्रतिशत अग्रिम भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होने के कारण होना बतलाई गई। 3.05 लाख रुपये की अवशिष्ट कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(11) 4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5013-मोरान्ड गंजाल परियोजना-			
मूल	1,50.00		
पुनर्वि.	-1,46.94	3.06	-0.69

1,46.94 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः आवश्यक स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण हुई (1,20.00 लाख रुपये)। 26.94 लाख रुपये की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(12) 4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5506-अटेरिया परियोजना-			
मूल	2,32.00		
पुनर्वि.	-1,32.00	1,00.00	1,00.00

1,32.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(13) 4700-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5709-नर्मदा नदी के परिक्रमा पथ का निर्माण-			
पूरक	2,00.00		
पुनर्वि.	-85.31	1,14.69	64.68

85.31 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(14) 4700-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6399-इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट-1)-			
मूल	25,00.00		
पुनर्वि.	-25,00.00

25,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत परियोजना का निष्पादन एन.एच.डी.सी.द्वारा किये जाने से निधियों की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई।

(15) 4801-01-203-1401-नाबार्ड (सामान्य)- 6401-इंदिरा सागर कैनाल बेडपावर हाउस-			
मूल	27,23.59		
पुनर्वि.	-8,00.00	19,23.59	19,21.62

8,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(16) 4801-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6403-इंदिरा सागर परियोजना यूनिट-1 का हिस्सा एन.एच.डी.सी. को भुगतान-			
मूल	27,00.00
पुनर्वि.	-27,00.00
27,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत एन.एच.डी.सी. द्वारा राशि की मांग एवं आवश्यकता न होने तथा परियोजना का निष्पादन, एन.एच.डी.सी. द्वारा किये जाने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 तथा 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(17) 4801-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6942-ओंकारेश्वर नहर शीर्ष विद्युत गृह-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	-1,36.00	1,64.00	1,62.21
			-1.79
(18) 4801-01-204-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2344-निर्माण कार्य-			
मूल	10,35.61		
पुनर्वि.	-2,03.40	8,32.21	7,34.64
			-97.57
उपरोक्त क्रम संख्या (17) एवं (18) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,36.00 लाख रुपये तथा 2,03.40 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(19) 4801-01-205-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9133-सरदार सरोवर परियोजना-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-50.00	50.00	..
			-50.00
50.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत गुजरात राज्य से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अवशिष्ट प्रावधान 50.00 लाख रुपये के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(20) 4801-01-206-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6797-कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट-			
मूल	14,77.80		
पुनर्वि.	-10,53.98	4,23.82	2,87.76
			-1,36.06
10,53.98 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (9,00.00 लाख रुपये)। 1,53.98 लाख रुपये की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(21) 4801-01-235-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4406-सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च-			
पूरक	4,95.25	4,95.25	..
			-4,95.25
सम्पूर्ण पूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

अनुदान संख्या 48-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(22) 4801-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4406-सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च-			
मूल	1,22,17.67		
पुनर्वि.	-57,97.94	64,19.73	78,05.89
			+13,86.16

57,97.94 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 57,98.41 लाख रुपये की कमी तथा 0.47 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः आवश्यक स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण हुई (23,58.42 लाख रुपये), जबकि वृद्धि प्रदेश से बाहर लिये गये उपचार हेतु लम्बित चिकित्सा देयकों के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होना बतलाया गया। 34,39.99 लाख रुपये की अवशिष्ट कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(23) 4801-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7445-जल विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण कार्य-				
मूल	1,55.00			
पुनर्वि.	-1,36.56	18.44	16.01	-2.43

1,36.56 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत परियोजनाओं का निष्पादन एन.एच.डी.सी.द्वारा किये जाने के कारण निधियों की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

[ब]-आधिक्य:-

(1) 4700-41-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2872-बरगी नहर प्रत्यावर्तन योजना-				
मूल	83,72.43			
पूरक	35,33.09			
पुनर्वि.	44,76.06	1,63,81.58	1,61,37.40	-2,44.18

44,76.06 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 47,68.00 लाख रुपये की वृद्धि तथा 2,91.94 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि दस प्रतिशत मोबालाईजेशन अग्रिम, मुख्य नहर के कट एवं कवर कार्य तथा मशीनरी अग्रिम एवं चालू कार्यों के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(2) 4700-43-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-				
मूल	1,14,81.40			
पूरक	16,38.90			
पुनर्वि.	35,94.57	1,67,14.87	1,61,08.13	-6,06.74

35,94.57 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 38,14.89 लाख रुपये की वृद्धि तथा 2,20.32 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि मोबालाईजेशन अग्रिम, भू-अधिग्रहण प्रभार, मशीनरी क्रय के चलित देयकों के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 48-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(3) 4700-45-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
9091-ओंकारेश्वर परियोजना-			
मूल	1,16,04.72		
पुनर्वि.	30,75.01	1,46,79.73	1,45,16.90
			-1,62.83
30,75.01 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 31,45.79 लाख रुपये की वृद्धि तथा 70.78 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि भू-अर्जन प्रभारों, चलित देयकों तथा मशीनरी क्रय हेतु निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(4) 4700-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6398-पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना-			
मूल	2,05.00		
पूरक	23,00.00		
पुनर्वि.	48,79.81	73,84.81	82,20.63
			+8,35.82
48,79.81 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 48,84.81 लाख रुपये की वृद्धि तथा 5.00 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि लंबित देयकों, मोबालाईजेशन तथा मशीनरी अग्रिम के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(5) 4801-01-203-1401-नाबार्ड (सामान्य)-			
6402-बरगी कैनाल बेड पावर हाउस-			
मूल	10.00		
पुनर्वि.	3,64.00	3,74.00	3,46.55
			-27.45
3,64.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि अंतिम देयकों के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

अनुदान संख्या 48-समाप्त

(vi) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के अन्तर्गत किये गये व्यय में 'उचंत' शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किये गये निरंक लाख रुपये सम्मिलित हैं। 'उचंत' के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे में टिप्पणी (iv) में की गई है।

वर्ष 2008-09 तक इस अनुदान में विभिन्न उचंत उप-शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतिम शेष सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2008 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा -	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2009 को अंत शेष नामे + जमा -
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-		(लाख रुपये में)		
(i) भण्डार	+13.47			+13.47
(ii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	-3.77			-3.77
योग	+9.70			+9.70
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(1) क्रय	-55.08	-55.08
(2) भण्डार	-21,11.65	-21,11.65
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	-1,02.80	-1,02.80
(4) कार्यशाला उचंत	-2,58.61	-2,58.61
योग	-25,28.14	-25,28.14
4801-विद्युत् परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
(1) भण्डार	+67.09	+67.09
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	-2,37.78	-2,37.78
योग	-1,70.69	-1,70.69

प्रभारित-

(vii) 11.74 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(viii) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
4801-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4641-स्थापना	20.00	8.26	-11.74

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49-अनुसूचित जाति कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
राजस्व:			
दत्तमत	57,72,88	54,62,09	-3,10,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			3,21,45
प्रभारित	93	..	-93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			93

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 31 मार्च 2009 को किया गया 3,21.45 लाख रुपये का अभ्यर्पण 3,10.79 लाख रुपये की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2225-01-001-1474-जिला तथा परियोजना प्रशासन-			
मूल	5,62.21		
पुनर्वि.	-19.34	5,42.87	-24.93
(2) 2225-01-277-1398-छात्रावास/आश्रमों का संचालन -			
मूल	26,91.25		
पुनर्वि.	-1,63.76	25,27.49	+1,04.72
(3) 2225-01-277-8050-विभिन्न छात्रवृत्तियां-			
मूल	20,08.25		
पुनर्वि.	-62.14	19,46.11	-66.39

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 19.34 लाख रुपये, 1,63.76 लाख रुपये एवं 62.14 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा बजट प्रावधान में कटौती किये जाने एवं मजदूरी मद, कार्यालयीन व्यय एवं छात्रवृत्तियों में राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 तथा क्रम संख्या (2) के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 50 - बीस सूत्र कार्यान्वयन
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2053-जिला प्रशासन			
राजस्व	2,81,03	2,61,82	-19,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 19.21 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2053-800-2987-बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन	2,72.59	2,55.19	-17.40

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2075-विविध सामान्य सेवाएं			
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	11,70,98		
पूरक	75,00	12,45,98	10,61,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-1,84,96 निरंक
प्रभारित		50	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-50 निरंक
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (50.00 लाख रुपये) तथा मार्च 2009 (25.00 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 75.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,84.96 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2250-800-6225-सेवादारों के मानदेय में वृद्धि एवं नेमनुक	5,92.00	4,95.75	-96.25

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2250-800-6292-शासकीय मंदिरों का जीर्णोद्धार-

मूल	4,40.00		
पूरक	50.00		
पुनर्वि.	-50.00	4,40.00	3,89.89
			-50.11

50.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत युक्तियुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2250-800-5739-मंदिर समिति भोपाल को अनुदान-			
मूल	46.10		
पुनर्वि.	50.00	96.10	91.60
			-4.50

2250-800-5739-मंदिर समिति भोपाल को अनुदान-

मूल	46.10		
पुनर्वि.	50.00	96.10	91.60
			-4.50

50.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु निधियों की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 52-आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय
पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
---------------	--------------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष-

- 2202-सामान्य शिक्षा
- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई
- 2216-आवास
- 2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां
तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2236-पोषण
- 2401-फसल कृषि कर्म
- 2403-पशु पालन
- 2405-मछली पालन
- 2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम
- 2505-ग्रामीण रोजगार
- 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- 2702-लघु सिंचाई
- 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग
- 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं
को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

राजस्व:

मूल	8,64,93,49			
पूरक	33,49,87	8,98,43,36	7,55,10,23	-1,43,33,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				94,35,36

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (2,30.81 लाख रुपये), जनवरी 2009 (18,35.14 लाख रुपये) तथा मार्च 2009 (12,83.92 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 33,49.87 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,43,33.13 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 94,35.36 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 52-जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
14-किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग			
(1) 2401-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उप योजना- 1918-दलहन फसलों का उत्पादन- मूल 2,54.07 पुनर्वि. -2,05.40	48.67	48.67	..
(2) 2401-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उप योजना- 5210-मक्का उत्पादन का विशेष कार्यक्रम- मूल 1,25.19 पुनर्वि. -76.46	48.73	48.73	..
(3) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उप योजना- 1896-तिलहन विकास योजना- मूल 3,83.99 पुनर्वि. -2,01.42	1,82.57	1,82.57	..
(4) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उप योजना- 4956-सघन कपास विकास कार्यक्रम- मूल 1,54.04 पुनर्वि. -55.01	99.03	99.03	..
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,05.40 लाख रुपये, 76.46 लाख रुपये, 2,01.42 लाख रुपये तथा 55.01 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से मांग अनुसार राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (1), (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2401-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उप योजना- 1580-मेक्रोमेनेजमेंट योजना- मूल 1,12.00 पुनर्वि. -1,05.44	6.56	6.55	-0.01
1,05.44 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
22-पंचायत			
(6) 2515-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2725-प्रशिक्षण	86.66	..	-86.66
(7) 2515-796-101-1302-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 1559-पंचायतों के लेखों के रखरखाव	2,29.47	1,14.73	-1,14.74

अनुदान संख्या 52-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(8) 2515-796-101-1302-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशांसा (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 6905-स्थानीय निकायों का वित्त पोषण	1,69.75	84.87	-84.88
(9) 2515-796-101-1302-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशांसा (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 6906-जल पूर्ति तथा स्वच्छता के संदर्भ में श्रोतों का सुधार	31,26.40	15,63.20	-15,63.20
(10) 2515-796-101-1302-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशांसा (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 6907-ग्राम पंचायतों को न्यूनतम मौलिक आवश्यकता हेतु	31,26.38	15,63.19	-15,63.19

उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

25-आदिम जाति कल्याण विभाग

(11) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 1392-छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ-				
मूल	30,09.31			
पुनर्वि.	-3,36.36	26,72.95	26,72.99	+0.04

3,36.36 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 तथा 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

(12) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2949-गणवेश का प्रदाय-				
मूल	9,53.93			
पुनर्वि.	-1,66.21	7,87.72	7,82.75	-4.97

1,66.21 लाख रुपये के एक भाग की प्रत्याशित बचत राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा बालिकाओं को गणवेश प्रदाय करने के कारण हुई (1,53.93 लाख रुपये)। 12.28 लाख रुपये की शेष प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

26-समाज कल्याण विभाग

(13) 2235-02-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 75-अंध, मूक एवं बधिरों को वृत्तियाँ-				
मूल	50.00			
पूरक	2,30.00	2,80.00	39.25	-2,40.75

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 52-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
(14) 2215-01-796-191-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 8415-ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु अनुदान-			
पूरक	6,57.54		
पुनर्वि.	-2,00.00	4,57.54	2,99.70
			-1,57.84
2,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

58-ग्रामीण विकास विभाग

(15) 2215-02-796-107-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5206-समग्र स्वच्छता अभियान-				
मूल	13,78.00			
पुनर्वि.	-1,39.35	12,38.65	11,57.88	-80.77
1,39.35 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।				
(16) 2501-02-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6027-एकीकृत पड़त भूमि विकास योजना-				
मूल	3,80.00			
पुनर्वि.	-1,49.04	2,30.96	2,32.82	+1.86
1,49.04 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(17) 2501-02-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 9465-जलग्रहण सामुदायिक संगठन-				
मूल	1,79.00			
पुनर्वि.	-32.97	1,46.03	1,36.14	-9.89
(18) 2501-06-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 8701-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना-				
मूल	11,60.00			
पुनर्वि.	-2,04.19	9,55.81	9,55.61	-0.20
(19) 2501-06-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 8775-प्रशासन योजना जिला स्तर-				
मूल	2,14.00			
पुनर्वि.	-48.79	1,65.21	1,69.08	+3.87

अनुदान संख्या 52-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(20) 2501-06-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 9249-बैंकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना-			
मूल	1,64,78.90		
पुनर्वि.	-74,76.01	90,02.89	89,95.90
			-6.99

उपरोक्त क्रम संख्या (17) से (20) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 32.97 लाख रुपये, 2,04.19 लाख रुपये, 48.79 लाख रुपये, तथा 74,76.01 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की कम राशि प्राप्त होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (17), (19) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(21) 2515-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-

6931-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम-

मूल 12,80.00

पुनर्वि. -1,79.79

11,00.21

11,00.21

..

1,79.79 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	-------------------------------------	-------------------

25-आदिम जाति कल्याण विभाग

(1) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-

4691-कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनायें

(कक्षा छठी)-

मूल 4,13.77

पुनर्वि. 1,36.03

5,49.80

5,37.99

-11.81

1,36.03 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,36.61 लाख रुपये की वृद्धि तथा 0.58 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि जिलों से मांग प्राप्त होने के कारण बतलाई गई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(2) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-

8844-कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं

(कक्षा नवमी एवं कक्षा ग्यारहवीं)-

मूल 4,00.00

पुनर्वि. 2,02.64

6,02.64

5,97.05

-5.59

2,02.64 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,03.39 लाख रुपये की वृद्धि एवं 0.75 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि जिलों से मांग होने तथा प्रोत्साहन राशि में वृद्धि होने के कारण बतलाई गई। 0.75 लाख रुपये की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 52-समाप्त

शीर्ष	कूल	अनुदान	वास्तविक	आशिक्ष्य + बचत -
			(लाख रुपये में)	

34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

(3) 2215-01-796-191-0702-कैम्प प्रवर्तित योजना-

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

1194-ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संयोजन-

मूल 11,63.90

पुनर्वि. 2,00.00

13,63.90

14,13.23

+49.33

2,00.00 लाख रुपये के पुनर्विनिवेश द्वारा निधियों का आवंटन प्रदेश के हैण्ड पम्पों के संयोजन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण होना बतलाया गया। अतिम आशिक्ष्य के कारण संचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 53-अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2217-शहरी विकास			
2236-पोषण			
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217-शहरी विकास के लिये कर्ज			
राजस्व	60,39,70	51,88,76	-8,50,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (06 फरवरी एवं 31 मार्च 2009)			8,50,94
पूंजीगत	61,94,00	37,34,62	-24,59,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (06 फरवरी एवं 31 मार्च 2009)			24,59,38
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	-------------------------------------	-------------------

18-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

(1) 2217-05-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-

5522-राज्य शहरी स्वच्छता मिशन-

मूल 1,00.00

पुनर्वि. -1,00.00

1,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मिशन विलम्ब से प्रारम्भ होने के कारण हुई।

(2) 2217-05-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-

6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास

कार्यक्रम -

मूल 6,00.00

पुनर्वि. -3,25.22

2,74.78

2,74.78

3,25.22 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से परियोजनाएं स्वीकृत नहीं होने तथा राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2217-05-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-

7321-गरीबों के लिये शहरी सेवा कार्यक्रम-

मूल 6,00.00

पुनर्वि. -3,86.00

2,14.00

2,14.00

3,86.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अनुबंध नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 53-समाप्त

पूँजीगत:

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 6217-01-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7986-राजधानी में मूलभूत सुविधाओं का विकास-			
मूल	4,61.00		
पुनर्वि.	-2,38.84	2,22.16	2,22.16
(2) 6217-60-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7905-नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास-			
मूल	52,93.00		
पुनर्वि.	-22,01.14	30,91.86	30,91.86

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,38.84 लाख रुपये एवं 22,01.14 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत स्वीकृत कार्ययोजना पर टेंडर प्रक्रिया निर्णयाधीन रहने एवं कार्य की प्रगति अनुसार भुगतान करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2401-फसल कृषि कर्म			
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा			
राजस्व	51,69,64	51,69,64	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

यद्यपि समग्र बचत निरंक थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुये है:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	-------------------------------------	-------------------

[अ]-बचत:-

2415-01-120-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

1455-जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर
व कृषि विश्वविद्यालय खण्डवा, मन्दसौर के लिये
सहायक अनुदान-

मूल	46,14.64			
पुनर्वि.	-4,07.32	42,07.32	42,07.32	..

4,07.32 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

[ब]-आधिक्य:-

2415-01-120-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

5664-ग्वालियर में नवीन कृषि विश्वविद्यालय
की स्थापना-

पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	4,07.32	4,07.32	4,07.32	..

4,07.32 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि ग्वालियर में नवीन कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

अनुदान संख्या 55 - महिला एवं बाल विकास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236-पोषण			
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	5,95,43,89		
पूरक	1,03,57,59	6,99,01,48	5,86,32,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-1,12,68,90 64,54,48
प्रभारित		20,00	5,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-14,25 14,75
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	22,30,00		
पूरक	5,70,00	28,00,00	27,76,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-23,65 10,45
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (81,93.50 लाख रुपये), जनवरी 2009 (10,16.32 लाख रुपये) तथा मार्च 2009 (11,47.77 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 1,03,57.59 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 1,12,68.90 लाख रुपये की उपलब्ध प्रचुर बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 64,54.48 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2059-01-053-5508-महिला बाल विकास के भवनों का रख-रखाव-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	-1,20.20	79.80	1,03.41
(2) 2210-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5094-मंगल दिवस-			
मूल	8,86.66		
पुनर्वि.	-47.00	8,39.66	7,78.03
			-61.63

अनुदान संख्या 55-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2210-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5447-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य सेवाओं हेतु प्रोत्साहन-			
मूल	24,50.65		
पुनर्वि.	-80.20		
	23,70.45	18,03.95	-5,66.50
(4) 2210-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6955-बाल संजीवनी अभियान योजना-			
मूल	4,02.00		
पुनर्वि.	-90.42		
	3,11.58	3,42.73	+31.15
(5) 2235-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5060-बाल भवन की स्थापना-			
मूल	2,29.77		
पुनर्वि.	-23.49		
	2,06.28	55.66	-1,50.62
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,20.20 लाख रुपये, 47.00 लाख रुपये, 80.20 लाख रुपये, 90.42 लाख रुपये तथा 23.49 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (2), (3) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत तथा क्रम संख्या (1) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2235-02-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना-			
मूल	2,53,06.17		
पूरक	10,61.34		
पुनर्वि.	-27,51.66		
	2,36,15.85	2,14,35.95	-21,79.90
27,51.66 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 32,51.66 लाख रुपये की कमी तथा 5,00.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2235-02-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 9130-एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण-			
मूल	6,97.80		
पूरक	46.13		
पुनर्वि.	-2,18.46		
	5,25.47	4,57.15	-68.32
(8) 2235-02-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 9131-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण-			
मूल	7,23.86		
पूरक	10.98		
पुनर्वि.	-2,58.41		
	4,76.43	5,09.10	+32.67

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,18.46 लाख रुपये तथा 2,58.41 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(9) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5063-घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र-			
मूल	2,04.40		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	-1,33.82	70.58	82.29
			+11.71
(10) 2236-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना-			
मूल	2,28,00.38		
पुनर्वि.	-20,08.70	2,07,91.68	1,91,26.38
			-16,65.30
(11) 2236-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7098-राष्ट्रीय पूरक पोषण आहार मिशन-			
मूल	5,89.00		
पुनर्वि.	-4,47.68	1,41.32	1,41.32
			..

1,33.82 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,83.82 लाख रुपये की कमी तथा 1,50.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी, जिसके विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 20,08.70 लाख रुपये तथा 4,47.68 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

प्रभारित-

(iv) 31 मार्च 2009 को किया गया 14.75 लाख रुपये का अभ्यर्पण 14.25 लाख रुपये की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2235-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9041-महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय-			
मूल	20.00		
पुनर्वि.	-14.75	5.25	5.75
			+0.50

14.75 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) 23.65 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 5,70.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vii) 23.65 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 10.45 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 56-ग्रामोद्योग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2851-ग्राम तथा लघु उद्योग			
4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6851-ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये कर्ज			
राजस्व:			
मूल	47,15,63		
पूरक	6,40,22	53,55,85	42,92,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			10,02,91

42,92.17 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 2851-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-5729-औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना-न्तर्गत चंदेरी परियोजना हेतु सहायता (राज्यांश) के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 1,96.00 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

पूंजीगत	1,14,14	1,14,04	-10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			8

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (4,30.16 लाख रुपये), जनवरी 2009 (2,00.06 लाख रुपये) एवं मार्च 2009 (10.00 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 6,40.22 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 10,63.68 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 10,02.91 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2851-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6328-उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम-			
मूल	14,09.76		
पुनर्वि.	-9,68.06	4,41.70	4,35.43
			-6.27

9,68.06 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा केन्द्रांश कम किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2851-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9536-खादी बोर्ड को परिवार मूलक इकाईयो की स्थापना हेतु सहायता-			
मूल	1,89.87		
पुनर्वि.	50.00	2,39.87	2,39.87
			..

50.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधि के आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 57 - जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें
(सभी वत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत	3,50,24,06	2,39,06,25	-1,11,17,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			81,00,00
(05 सितम्बर 2008 एवं 16 मार्च 2009)			

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत:

(i) 1,11,17.81 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 05 सितम्बर 2008 एवं 16 मार्च 2009 को केवल 81,00.00 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6822-जल संसाधन प्रबंधन संस्थान एवं साधन -स्वारा- मूल 4,58.81 पुनर्वि. -2,46.84	2,09.97	94.54	-1,15.43
2,46.84 लाख रुपये के एक भाग की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण हुई (22.89 लाख रुपये)। 2,23.95 लाख रुपये की शेष प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6823-जल संसाधन प्रबंधन संस्थान एवं साधन स्वारडैक- मूल 85.71 पुनर्वि. -33.50	52.21	14.04	-38.17
(3) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6824-जल संसाधन प्रबंधन- संस्थान एवं साधन स्वारडैक- मूल 1,65.87 पुनर्वि. -1,23.44	42.43	0.09	-42.34

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 33.50 लाख रुपये एवं 1,23.44 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 57-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(4) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6825-सेवा प्रदान करने संबंधी-सिंचाई एवं जल निकास संस्थाएं-जल संसाधन विभाग-			
मूल	12,02.45		
पुनर्वि.	-5,51.65	6,50.80	4,63.49
			-1,87.31
5,51.65 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6826-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार- कृषि विभाग-			
मूल	8,94.67		
पुनर्वि.	-2,21.75	6,72.92	35.69
			-6,37.23
2,21.75 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के निश्चित कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6827-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार- मत्स्य पालन विभाग-			
मूल	6,86.46		
पुनर्वि.	-2,50.95	4,35.51	91.75
			-3,43.76
2,50.95 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,43.00 लाख रुपये की कमी तथा 92.05 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः मांग नगण्य होने के कारण (92.05 लाख रुपये), जबकि वृद्धि हेट्टीचरी सुविधा से संबंधित कार्य हेतु अतिरिक्त निधि की मांग होने के कारण हुई। 2,50.95 लाख रुपये की शेष कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6828-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार-उद्यानिकी विभाग-			
मूल	2,56.51		
पुनर्वि.	-14.21	2,42.30	1,43.36
			-98.94
(8) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6829-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार- जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय-			
मूल	2,67.31		
पुनर्वि.	-2,01.31	66.00	66.00
			..

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत 14.21 लाख रुपये तथा 2,01.31 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के निश्चित कारणों के साथ क्रम संख्या (7) के शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 57-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(9) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6830-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार-पशुपालन विभाग-			
मूल	6,23.84		
पुनर्वि.	-1,81.71	4,42.13	68.00
			-3,74.13
1,81.71 लाख रुपये के एक भाग की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मितव्ययी उपायों के कारण हुई (1,74.93 लाख रुपये)। 6.78 लाख रुपये की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(10) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6831-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार-जल संसाधन विभाग-			
मूल	21,11.55		
पुनर्वि.	-10,34.30	10,77.25	7,49.98
			-3,27.27
10,34.30 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों, प्रशिक्षण कार्यक्रम की कम प्रगति तथा निधियों की कम मांग होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(11) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6833-परियोजना क्रियान्वयन समन्वयक इकाई-पाईकू-			
मूल	6,30.12		
पुनर्वि.	-2,70.00	3,60.12	2,38.12
			-1,22.00
2,70.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,89.80 लाख रुपये की कमी तथा 19.80 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। एक भाग की कमी मुख्यतः सलाहकारों के अनुबंध में पर्याप्त प्रगति न होने के कारण (2,83.54 लाख रुपये), जबकि वृद्धि 09 विशेषज्ञों की अनुबंध के आधार पर विश्व बैंक से अनुमोदित योजना में पदस्थापना, सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित लंबित देयकों के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की मांग एवं संबंधित विभाग द्वारा वार्षिक अनुमान में परिवर्तन होने के कारण थी। 6.26 लाख रुपये की शेष कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(12) 4700-64-052-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6822-जल संसाधन प्रबंधन- संस्थान एवं साधन-स्वारा-			
मूल	1,54.75		
पुनर्वि.	-1,50.75	4.00	..
			-4.00
1,50.75 लाख रुपये के एक भाग की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मितव्ययी उपायों के कारण हुई (1,48.75 लाख रुपये)। 2.00 लाख रुपये की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के साथ ही शेष प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(13) 4700-64-052-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6823-जल संसाधन प्रबंधन- संस्थान एवं साधन-स्वारडैक-			
मूल	71.61		
पुनर्वि.	-71.61
			..
71.61 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 57-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(14) 4700-64-052-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6825-सेवा प्रदान करने संबंधी सिंचाई एवं जल निकास संस्थाएं-जल संसाधन विभाग-			
मूल	1,38.00		
पुनर्वि.	-83.00	55.00	25.22
			-29.78
83.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(15) 4700-64-052-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6826-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार- कृषि विभाग-			
मूल	1,57.85		
पुनर्वि.	-1,57.85
			..
(16) 4700-64-052-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6830-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार- पशुपालन विभाग-			
मूल	1,70.50		
पुनर्वि.	-40.87	1,29.63	11.40
			-1,18.23
(17) 4700-64-052-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6831-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार- जल संसाधन विभाग-			
मूल	7,74.95		
पुनर्वि.	-7,74.95
			..
उपरोक्त सरल क्रमांक (15) से (17) के अंतर्गत क्रमशः 1,57.85 लाख रुपये (सम्पूर्ण प्रावधान), 40.87 लाख रुपये एवं 7,74.95 लाख रुपये (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के वास्तविक कारणों के साथ ही सरल क्रमांक (16) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(18) 4700-64-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6822-जल संसाधन प्रबंधन संस्थान एवं साधन-स्वारा-			
मूल	4,94.15		
पुनर्वि.	-74.00	4,20.15	3,87.87
			-32.28
74.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों एवं निधियों की कम मांग होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 57-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(19) 4700-64-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6831-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार- जल संसाधन विभाग-			
मूल	2,53,22.70		
पुनर्वि.	-36,53.89	2,16,68.81	2,11,97.20
			-4,71.61

36,53.89 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 80,00.00 लाख रुपये की कमी तथा 43,46.11 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी सिविल कार्यों की धीमी प्रगति के कारण हुई, जबकि वृद्धि निर्माण कार्यों हेतु निधि की अतिरिक्त मांग होने के कारण बतलाई गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
4700-64-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6833-परियोजना क्रियान्वयन समन्वयक इकाई-पाईकू-			
मूल	30.00		
पुनर्वि.	57.60	87.60	71.05
			-16.55

57.60 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि भवन के जीर्णोद्धार हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)

(iv) उचंत लेन-देन-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में "उचंत" शीर्ष के अधीन लेखांकित निरंक व्यय सम्मिलित है। "उचंत" के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (iv) में की गई है।

2008-09 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप-शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक और अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2008 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा -	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2009 को अंत शेष नामे + जमा -
1	2	3	4	5
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(लाख रुपये में)				
(1) भंडार	-0.27	-0.27
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+2.21			+2.21
योग	+1.94			+1.94
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(1) क्रय	-1,94.83	-1,94.83
(2) भंडार	+11,80.11	+11,80.11
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+8,01.70	+8,01.70
(4) कार्यशाला उचंत	+49.66	+49.66
योग	+18,36.64	+18,36.64

अनुदान संख्या 58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
(सभी वत्समत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2215-जलपूर्ति तथा सफाई			
2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी			
6245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज			
राजस्व:			
मूल	6,19,41,06		
पूरक	5,28,01,75	11,47,42,81	-2,81,36,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			2,81,39,17
पूंजीगत	2,50,00	..	-2,50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			2,50,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 2,81,36.19 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 1,00,21.25 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 4,27,80.50 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 31 मार्च 2009 को किया गया 2,81,39.17 लाख रुपये का अभ्यर्पण 2,81,36.19 लाख रुपये की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2245-01-101-8874-सूखा राहत एवं रोजगार के लिये अतिरिक्त प्रावधान-			
मूल	77,00.00		
पूरक	50,00.00		
पुनर्वि.	-22,91.41	1,04,08.59	1,04,08.59

22,91.41 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 45,91.41 लाख रुपये की कमी तथा 23,00.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी आपदाओं का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण हुई। 23,00.00 लाख रुपये की वृद्धि के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2245-01-101-96-अग्नि पीड़ितों को राहत -

मूल	26,00.00		
पुनर्वि.	-14,55.01	11,44.99	11,44.91
			-0.08

14,55.01 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत आपदाओं का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2245-01-102-2661-पेयजल की पूर्ति-			
मूल	40,00.00		
पूरक	50,00.00		
पुनर्वि.	-51,23.28	38,76.72	38,76.30
			-0.42
51,23.28 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 66,23.28 लाख रुपये की कमी तथा 15,00.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी आपदाओं का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2245-02-101-747-ओला पीड़ितों को राहत-			
मूल	50,00.00		
पुनर्वि.	-20,42.36	29,57.64	29,57.64
			..
(5) 2245-02-122-989-क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों की मरम्मत और उनकी पुनःस्थापना-			
मूल	3,50.00		
पुनर्वि.	-3,50.00
			..
(6) 2245-02-193-5498-बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में स्थानीय निकायों एवं अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को अनुदान-			
मूल	18,00.00		
पुनर्वि.	-18,00.00	..	0.31
			+0.31
उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 20,42.36 लाख रुपये, क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 3,50.00 लाख रुपये तथा 18,00.00 लाख रुपये (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत आपदाओं का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2245-05-101-475-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण- प्राकृतिक आपदा अखर्चित मार्जिन धन निधि अकाल राहत निधि -			
मूल	2,77,39.00		
पूरक	2,77,80.50		
पुनर्वि.	-2,77,39.00	2,77,80.50	2,77,80.50
			..
2,77,39.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(8) 2245-80-102-5503 -आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तात्कालिक कार्य एवं आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	-10,00.00
			..
(9) 2245-80-103-7024-राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा राहत निधि से प्राप्त राशि-			
मूल	1.01		
पूरक	71,11.00		
पुनर्वि.	-71,12.01
			..

अनुदान संख्या 58-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(10) 2245-80-800-5504-राजस्व पुस्तक 6-4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	-10,00.00	4.43	+4.43

उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 10,00.00 लाख रुपये, 71,12.01 लाख रुपये तथा 10,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत आपदाओं का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2245-01-101-7102-तहसीलदारों के माध्यम से राहत कार्यों का क्रियान्वयन-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	44,17.06	54,17.06	..
(2) 2245-02-101-2018-नगद दान-			
मूल	25,00.00		
पूरक	30,00.00		
पुनर्वि.	17,85.77	72,85.77	..
(3) 2245-80-800-8030-पुनःस्थापना के लिये सहायता अन्य कार्य हेतु-			
मूल	60,00.00		
पूरक	48,89.00		
पुनर्वि.	1,66,54.48	2,75,43.48	..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 44,17.06 लाख रुपये, 17,85.77 लाख रुपये तथा 1,66,54.48 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 45,00.00 लाख रुपये, 22,00.00 लाख रुपये तथा 1,72,39.00 लाख रुपये की वृद्धि तथा 82.94 लाख रुपये, 4,14.23 लाख रुपये एवं 5,84.52 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। कमी आपदाओं के पूर्वानुमान नहीं होने के कारण हुई। इन शीर्षान्तर्गत वृद्धि के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(v) अकाल राहत निधि:-

यह निधि बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई है। निधि में किये गये निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।

वर्ष के दौरान 10.00 लाख रुपये की राशि मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-आपदा राहत निधि-101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-अकाल राहत निधि को नामे कर मुख्य शीर्ष 8223-अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि के अंतर्गत निधि लेखा में जमा की गई। 1,88.62 लाख रुपये के निवेश के विरुद्ध 2008-09 में 1,61.16 लाख रुपये की प्राप्ति हुई। इस राशि के विरुद्ध 1,54.13 लाख रुपये निवेश लेखे (लागत रुपये) तथा 17.04 लाख रुपये ब्याज प्राप्ति को निधि लेखा में जमा किया गया। वर्ष की समाप्ति के समय शासकीय प्रतिभूति में 34.49 लाख रुपये का निवेश था।

अनुदान संख्या 58-जारी

31 मार्च 2009 को शेषों की स्थिति निम्नानुसार थी:-

विवरण	1 अप्रैल 2008 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान संवितरण	31 मार्च 2009 को अंत शेष
	(लाख रुपये में)			
(1) 101-निधि लेखा	जमा 4,73.65	27.04	..	जमा 5,00.69
(2) 102-निवेश लेखा	नाम 1,88.62	1,54.13	..	नाम 34.49
कुल	जमा 2,85.03	1,81.17	..	जमा 4,66.20

निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2008-09 के विवरण संख्या-16 में मुख्य शीर्ष 8223-अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि तथा 102-अकाल राहत निधि निवेश लेखा के अंतर्गत सम्मिलित है।

(vi) आपदा राहत निधि:-

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित यह निधि (पुनरीक्षित प्रशासकीय निर्देशों सहित) "आपदा राहत निधि" जो कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अंत तक प्रवर्तनशील थी, के स्थिरीकरण में 1 अप्रैल 2000 से प्रभाव में आई। सभी प्राकृतिक आपदायें जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, ओलावृष्टि और अग्नि आदि इस योजना के अंतर्गत राहत के लिए विशेषित हैं और वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंत तक यह योजना प्रवर्तनशील रहेगी। भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिए वर्ष 2008-09 हेतु निधि का अंशदान 2,77,80.50 लाख रुपये निश्चित किया गया, जिसका 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा (2,08,35.37 लाख रुपये) आयोजनेत्तर अनुदान के रूप में दिया गया। अंशदान लेखा शीर्ष "1601-केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान-01-आयोजनेत्तर अनुदान-109-आपदा राहत निधि को अंशदान हेतु अनुदान" के अंतर्गत प्रथमतः जमा किया गया और शेष 25 प्रतिशत का अंशदान (69,45.13 लाख रुपये) राज्य सरकार द्वारा दिया गया। कुल अंशदान इस अनुदान के मुख्य शीर्ष "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-आपदा राहत निधि-101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-आपदा राहत निधि" के अंतर्गत इस उद्देश्य हेतु प्रावधान निर्मित करने के पश्चात् लेखा शीर्ष "8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-111-आपदा राहत निधि" के अंतर्गत अथवा यदि निधि का निवेश करना संभव न हो तो लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-115-प्राकृतिक विपत्ति अव्ययित मार्जिनल मुद्रा निधि" के अंतर्गत इस शीर्ष को अंतरित कर किया जाता है। सहायता या राहत पर व्यय प्रथमतः इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामे किया जाता है और समान राशि वर्ष का लेखा बंद करने से पूर्व निधि को अंतरित की जाती है। 1 नवम्बर 2000 से मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् मुख्य शीर्ष "8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-111-आपदा राहत निधि" के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2000 को 1,02,46.44 लाख रुपये का अंतिम शेष भारत सरकार से निर्णय की प्रतीक्षा में व्यपगत नहीं किया गया एवं अनंतिम रूप से मध्य प्रदेश में ही रखा गया। यह राशि वित्त लेखे 2008-09 के विवरण संख्या-16 में मोटे अक्षरों में दर्शायी गई है। इसके अलावा उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश से संबंधित शीर्ष के अंतर्गत 1,53,52.23 लाख रुपये की राशि शेष थी। 1 अप्रैल 2008 को मुख्य शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-115-प्राकृतिक विपत्ति अव्ययित मार्जिनल मुद्रा निधि के अंतर्गत 3,18,55.08 लाख रुपये का जमा शेष था। वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष "2245-05-101-475-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-प्राकृतिक आपदा अनखर्चित मार्जिन मुद्रा निधि-अकाल राहत निधि" को (2,77,80.50 लाख रुपये) नामे कर तथा मुख्य शीर्ष 8121-115-प्राकृतिक विपत्ति और अव्ययित मार्जिनल मुद्रा से 1,56,00.00 लाख रुपये हस्तांतरण द्वारा शीर्ष 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों में 4,33,80.50 लाख रुपये जमा की गई तथा वर्ष के लेखे बंद होने से पूर्व प्राकृतिक आपदाओं पर किया गया 5,87,03.54 लाख रुपये का व्यय इस निधि के नामे किया गया। 31 मार्च 2009 को निधि लेखा में मुख्य शीर्ष 8121-115-प्राकृतिक विपत्ति अव्ययित मार्जिनल मुद्रा निधि के अंतर्गत 1,62,55.08 लाख रुपये तथा मुख्य शीर्ष 8235-111-आपदा राहत निधि के अंतर्गत 29.19 लाख रुपये का जमा शेष था।

जब निधि मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-111-आपदा राहत निधि-के अंतर्गत वर्गीकृत हो तो निधि में जमा राशि को कोषालय बिल, भारत सरकार की प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण-पत्रों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों एवं सहकारी बैंकों में निवेशित करना चाहिये था। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो उसे मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-115-प्राकृतिक विपत्ति अव्ययित मार्जिनल मुद्रा निधि को वर्गीकृत किया जाना चाहिए जिस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनियमन योजना के अंतर्गत लागू ब्याज दर/प्रयोज्य दर के डेढ़ गुना दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध-वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049-ब्याज अदायगी-05-आरक्षित निधियों पर ब्याज-105-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज" को नामे किया जाता है। वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया और निधि में ब्याज की कोई राशि भी जमा नहीं की गई।

निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2008-09 के विवरण संख्या-16 में सम्मिलित किया गया है।

अनुदान संख्या 58-समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
6245-01-800-2750-प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न जलकष्ट के निवारण हेतु ऋण-			
मूल	2,50.00
पुनर्वि.	-2,50.00

2,50.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत आपदाओं के पूर्वानुमान नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 59-ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम			
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	44,80,00	30,50,00	-14,30,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			14,30,00
पूंजीगत	56,00,00	23,82,00	-32,18,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			32,18,00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
(i) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2501-06-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-			
7755-म.प्र.ग्रामीण आजीविका परियोजना-			
मूल	44,30.00		
पुनर्वि.	-14,30.00	30,00.00	..
	14,30.00		
14,30.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।			
पूंजीगत:			
(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
4515-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-			
5853-डी.पी.आई.पी.योजनायें-			
मूल	56,00.00		
पुनर्वि.	-32,18.00	23,82.00	..
	32,18.00		
32,18.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत डी.पी.आई.पी. से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 60-जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
(सभी वतमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	6,93,00	6,76,66	-16,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
पूंजीगत	1,70,41,94	1,59,82,74	-10,59,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			10,27,74
(31 मार्च 2009)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 16.34 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूंजीगत:

(ii) 10,59.20 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 10,27.74 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4515-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5111-नवाचार को प्रोत्साहन-			
मूल	7,62.56		
पुनर्वि.	-7,56.26	6.30	6.30

7,56.26 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत उचित प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 4515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

6378-जनभागीदारी से क्रियान्वित जिला
योजनाओं में शासन का अंशदान-

मूल	41,23.12		
पुनर्वि.	-2,71.48	38,51.64	38,17.41

2,71.48 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
4515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8284-म.प्र.विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1,20,12.00	1,20,14.78	+2.78

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 61 - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सभी दलगत)

क्र.सं.	वर्ष	अनुदान	वास्तविक	अनुदान (हजार रुपये में)	निर्णय
1

मुख्य शीर्ष-
2210-विक्रम तथा लोक स्वास्थ्य
राजस्व
वर्ष के दौरान अर्जित राशि

अनुदान संख्या 62-पंचायत

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
राजस्व:			
दत्तमत	55,68,56	59,36,10	+3,67,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
प्रभारित	2,00	..	-2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

दत्तमत-

(i) राजस्व अनुदान में 3,67,54,192 रुपये के आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।

(ii) प्रावधान में आधिक्य निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2515-101-2474-पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	49,85.30	57,55.67	+7,70.37

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(iii) उपरोक्त क्रम संख्या (ii) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अंतर्गत बचत से अंशतः प्रति-संतुलित किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2515-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2467-पंचायत संचालनालय	5,13.55	1,30.40	-3,83.15

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

प्रभारित-

(iv) सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 63 - अल्प संख्यक कल्याण
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
राजस्व:			
मूल	11,37,08		
पूरक	3,16,18	14,53,26	7,41,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-7,11,46 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (3,06.97 लाख रुपये) तथा जनवरी 2009 (9.21 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 3,16.18 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 7,11.46 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2225-03-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 5557-मेरिट -कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना-			
मूल	1,17.00		
पूरक	1,05.00	2,22.00	1,20.79
			-1,01.21
(2) 2225-03-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 5617-अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम-			
मूल	3,00.00		
पूरक	2,00.00	5,00.00	..
			-5,00.00
(3) 2225-03-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5619-म.प्र.पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का सुदृढीकरण	40.00	4.00	-36.00
(4) 2225-03-800-8244-अल्प संख्यक आयोग	94.85	57.40	-37.45

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64-अनुसूचित जाति उपयोजना
(सभी दत्तमत)

मुख्य शीर्ष-

- 2029-भू-राजस्व
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं
2055-पुलिस
2056-जेल
2202-सामान्य शिक्षा
2203-तकनीकी शिक्षा
2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं
2205-कला एवं संस्कृति
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2215-जल पूर्ति तथा सफाई
2217-शहरी विकास
2220-सूचना तथा प्रचार
2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा
अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
2230-श्रम तथा रोजगार
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
2236-पोषण
2401-फसल कृषि-कर्म
2403-पशु पालन
2405-मछली पालन
2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी
2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
2425-सहकारिता
2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
2801-बिजली
2810-अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत
2851-ग्राम तथा लघु उद्योग
3053-नागर विमानन
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
4225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, तथा
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय
4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 64-जारी

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
5054-सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6425-सहकारिता के लिये कर्ज			
राजस्व:			
मूल	7,57,27,22		
पूरक	65,75,72	8,23,02,94	6,57,51,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-1,65,51,41
(21 अगस्त 2008, 21 जनवरी एवं 31 मार्च 2009)			1,21,49,55

6,57,51.53 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 2225-01-793-800-0603-अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित परियोजनाएं-4986-विमुक्त घुमक्कड़ जातियों हेतु विशेष प्राधिकरण को अनुदान (3,43.10 लाख रुपये), 2225-01-793-102-0603-अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित परियोजनाएं-4675-स्वरोजगार योजना (7,00.00 लाख रुपये) तथा 2801-06-793-800-0603-अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित परियोजनाएं-5084-अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाइन का विकास (3,00.00 लाख रुपये) के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 13,43.10 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

पूंजीगत:

मूल	8,53,99,66			
पूरक	38,00,56	8,92,00,22	7,81,33,22	-1,10,67,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				67,35,71
(27 जनवरी एवं 31 मार्च 2009)				

7,81,33.22 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 4202-02-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-5663-हायर सेकेण्डरी स्कूलों की प्रयोगशाला का सुदृढीकरण (5,00.00 लाख रुपये), 4215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना-9207-खारे पानी से प्रभावित ग्रामों के लिये पेयजल व्यवस्था (42.00 लाख रुपये) तथा 4235-02-789-102-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना -5360-आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण (0.40 लाख रुपये) के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2008 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 5,42.40 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (27,33.78 लाख रुपये), जनवरी 2009 (20,35.14 लाख रुपये) तथा मार्च 2009 (18,06.80 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 65,75.72 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,65,51.41 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 21 अगस्त 2008, 21 जनवरी एवं 31 मार्च 2009 को केवल 1,21,49.55 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 64-जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
04-वित्त विभाग			
(1) 2052-789-091-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5247-आम आदमी बीमा योजना- मूल 10,00.00 पुनर्वि. -10,00.00
10,00.00 लाख रुपये की सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जनश्री बीमा योजना को निधियां उपलब्ध कराने के कारण हुई क्योंकि 2008-09 तक के प्रीमियम का भुगतान 2007-08 के प्रावधान से किया गया।			
(2) 2052-789-091-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5629-उच्च शिक्षा ऋण गारंटी कोष की स्थापना	75.00	..	-75.00
(3) 2052-789-091-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5630-अल्प आय वर्ग को अंशदायी पेंशन योजना हेतु प्रोत्साहन	75.00	..	-75.00
(4) 2052-789-091-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5631-वित्तीय समावेशन हेतु अधोसंरचना विकास	75.00	..	-75.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

07-राजस्व विभाग

(5) 2029-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5045-केडेस्ट्रल सर्वेनक्शों का डिजिटलईजेशन- मूल 85.00 पुनर्वि. -85.00
(6) 2029-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5162-नगरीय क्षेत्रों में भूमि का अभिलेखीकरण- मूल 2,46.00 पुनर्वि. -2,46.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 85.00 लाख रुपये एवं 2,46.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से एल एल आर एम पी योजना में केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजनान्तर्गत निधियों के प्राप्त होने से राज्यांश को प्रयुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई।			

14-किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

(7) 2401-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जाति उपयोजना- 1918-दलहन फसलों का उत्पादन- मूल 1,50.49 पुनर्वि. -59.57	90.92	87.92	-3.00
---	-------	-------	-------

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(8) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जाति उपयोजना- 1107-गहन तिलहन विकास कार्यक्रम- मूल 4,56.27 पुनर्वि. -74.82	3,81.45	3,74.50	-6.95
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 59.57 लाख रुपये तथा 74.82 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः केन्द्र सरकार से मांग अनुसार निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। उपरोक्त शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 2401-789-113-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना- 1580-मेक्रोमेनेजमेण्ट योजना- मूल 76.00 पुनर्वि. -63.90	12.10	13.19	+1.09
(10) 2401-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5442-मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 2007	3,00.00	..	-3,00.00
उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत 63.90 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत 3,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(11) 2401-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- मूल 60,00.00 पुनर्वि. -51,00.00	9,00.00	9,00.00	..
51,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः कम राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के कारण हुई (21,00.00 लाख रुपये)। अवशिष्ट प्रत्याशित बचत (30,00.00 लाख रुपये) के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
(12) 2210-03-789-103-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 7317-ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन- मूल 7,31.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. -3,89.64	3,41.36	3,17.75	-23.61
(13) 2210-06-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना- 4245-शीत ज्वर- मूल 4,75.00 पुनर्वि. -78.03	3,96.97	3,58.16	-38.81

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(14) 2210-80-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जाति उपयोजना- 5613-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना- मूल 9,00.00 पुनर्वि. -2,25.00	6,75.00	..	-6,75.00

उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (14) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 3,89.64 लाख रुपये, 78.03 लाख रुपये तथा 2,25.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

20-स्कूल शिक्षा विभाग

(15) 2202-01-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जाति उपयोजना- 8810-सर्व शिक्षा अभियान- मूल 1,16,79.90 पुनर्वि. -29,20.00	87,59.90	87,59.90	..
--	----------	----------	----

29,20.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(16) 2202-01-789-108-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6813-साइकिलों का प्रदाय- मूल 13,58.04 पुनर्वि. -5,32.34	8,25.70	4,46.31	-3,79.39
---	---------	---------	----------

5,32.34 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत छात्राओं की संख्या कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

26-समाज कल्याण विभाग

(17) 2235-60-789-102-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 7084-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	4,65.29	3,99.77	-65.52
(18) 2235-60-789-102-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 8786-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	14,11.69	12,33.74	-1,77.95

इन शीर्षों के अंतर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

38-उच्च शिक्षा विभाग

(19) 2202-03-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना- 5552-पिछड़े जिलों में आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना- मूल 2,50.50 पुनर्वि. -2,27.68	22.82	22.08	-0.74
--	-------	-------	-------

2,27.68 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
42-जनशक्ति नियोजन विभाग			
(20) 2203-789-105-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 9238-डॉ.बाबा साहेब अंबेडकर पोलीटेक्निक संस्थाएं	7,64.00	3,82.65	-3,81.35
(21) 2203-789-105-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना- 2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	1,10.00	..	-1,10.00

उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

50-महिला एवं बाल विकास विभाग

(22) 2210-80-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5094-मंगल दिवस-			
मूल	2,87.05		
पुनर्वि.	-15.01	2,72.04	2,06.78
(23) 2236-02-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना-			
मूल	26,25.68		
पुनर्वि.	-4,38.53	21,87.15	20,90.18

उपरोक्त क्रम संख्या (22) एवं (23) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 15.01 लाख रुपये तथा 4,38.53 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। क्रम संख्या (22) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

(24) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 4717-अनुसूचित जाति छात्रावास-			
मूल	21,66.58		
पुनर्वि.	-3,30.12	18,36.46	18,00.48

3,30.12 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,30.12 लाख रुपये की कमी तथा 1,00.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः जिलों के आवंटन केन्द्रीय सर्वर में दर्ज नहीं किये जाने तथा जिलों द्वारा आवंटित राशि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण हुई (2,30.12 लाख रुपये), जबकि वृद्धि आकस्मिक श्रमिकों को कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होना बतलाई गई। 2,00.00 लाख रुपये की अवशिष्ट कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(25) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 7562-उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना-			
मूल	11,50.00		
पुनर्वि.	-3,80.28	7,69.72	7,92.06

3,80.28 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः जिलों द्वारा राशि समर्पित किये जाने के कारण हुई (1,35.03 लाख रुपये)। 2,45.25 लाख रुपये की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(26) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना - 8801-सैनिक स्कूल/निजी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विधार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति-			
मूल	3,50.00		
पुनर्वि.	-1,20.00	2,30.00	+1.24
1,20.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(27) 2225-01-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना - 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना-			
मूल	9,50.00		
पूरक	73.77		
पुनर्वि.	-3,83.13	6,40.64	+1,00.58
3,83.13 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत विशेष न्यायालयों में पीठासीन न्यायाधीशों तथा अमले के पद रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(28) 2225-01-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जाति उपयोजना- 5191-अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत सहायता/पुनर्वास सहायता-			
मूल	8,00.00		
पूरक	5.96		
पुनर्वि.	-1,77.96	6,28.00	+3.48
1,77.96 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,24.96 लाख रुपये की कमी तथा 47.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः जिलों द्वारा राशि समर्पित करने तथा आवंटन की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (1,27.96 लाख रुपये), जबकि वृद्धि जिला अधिकारियों द्वारा आवंटन की अतिरिक्त मांग के कारण होना बतलाई गई। 97.00 लाख रुपये की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
58-ग्रामीण विकास विभाग			
(29) 2501-06-789-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7775-म.प्र.ग्रामीण आजीविका परियोजना-			
मूल	17,72.00		
पुनर्वि.	-6,72.00	11,00.00	..
6,72.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
59-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग			
(30) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जाति उपयोजना- 5116-राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन-			
मूल	3,11.60		
पुनर्वि.	-2,98.60	13.00	+1,71.00

2,98.60 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
20-स्कूल शिक्षा विभाग			
(1) 2202-02-789-106-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6813-साइकिलों का प्रदाय-			
मूल	2,80.00		
पुनर्वि.	5,32.34	8,12.34	+1,88.25

5,32.34 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 9 वीं कक्षा में छात्राओं का अधिक संख्या में प्रवेश होने से निधियों की आवश्यकता होना बतलाई गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

(2) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 671-एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान-			
मूल	5,06.52		
पुनर्वि.	1,00.00	6,06.52	-0.01

1,00.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि जिला अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण होना बतलाई गई। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(3) 2225-01-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6702-बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक निर्माण-			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	2,38.94	2,38.94	..

2,38.94 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक निर्माण तृतीय एवं अंतिम चरण में होने के कारण निधियों की आवश्यकता होना बतलाया गया। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
59-औद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग			
(4) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- अनुसूचित जाति उप योजना- 7910-माईक्रोइरीगेशन की केन्द्र प्रवर्तित योजना-			
मूल	2,83.00		
पूरक	4,48.70		
पुनर्वि.	2,98.60	10,30.30	8,28.98
			-2,01.32

2,98.60 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि जिलों द्वारा मांग किये जाने के कारण होना बतलाया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

पूँजीगत:

(v) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (21,21.29 लाख रुपये), जनवरी 2009 (16,22.27 लाख रुपये) तथा मार्च 2009 (57.00 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 38,00.56 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) 1,10,67.00 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 67,35.71 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	-------------------------------------	-------------------

05-जेल विभाग

(1) 4059-80-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जाति उपयोजना- 9227-जेल सुधारों की योजना-			
पूरक	1,20.00	1,20.00	48.09
			-71.91

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(2) 4210-01-789-110-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण-			
मूल	10,06.00		
पूरक	सांकेतिक	10,06.00	5,89.36
			-4,16.64
(3) 4210-02-789-104-1403-नाबार्ड (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6882-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (नाबार्ड)			
	4,25.00	2,54.54	-1,70.46

इन शीर्षों के अंतर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
19-लोक निर्माण विभाग			
(4) 5054-03-789-101-1403-नाबार्ड (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5225-पुलों का निर्माण (नाबार्ड)	7,00.00	1,01.72	-5,98.28
(5) 5054-03-789-337-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 948-केन्द्रीय सड़क निधि	5,00.00	2,73.87	-2,26.13
इन शीर्षों के अंतर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 5054-04-789-800-1403-नाबार्ड (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5226-ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)-			
मूल.	58,53.25		
पुनर्वि.	-10,00.00	48,53.25	32,13.37
			-16,39.88
10,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 तथा 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।			

27-नर्मदा घाटी विकास विभाग

(7) 4701-45-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5152-हालोन परियोजना	1,00.00	..	-1,00.00
(8) 4801-01-789-205-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 9133-सरदार सरोवर परियोजना	1,16.00	..	-1,16.00
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			

31-जल संसाधन विभाग

(9) 4700-13-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	9,00.00		
पुनर्वि.	-3,35.00	5,65.00	4,64.71
			-1,00.29
3,35.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(10) 4702-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 3828-लघु सिंचाई योजना-			
मूल	16,93.25		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	-4,14.96	12,78.29	10,98.21
			-1,80.08
4,14.96 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः सर्वेक्षणाधीन एवं अन्य कुछ योजनाओं में प्रत्याशित व्यय नहीं होने के कारण हुई (14.96 लाख रुपये)। 4,00.00 लाख रुपये की अवशिष्ट बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(11) 4702-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6708-ए.आई.बी.पी.योजनाएं.-			
मूल	96.00		
पुनर्वि.	-96.00
96.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अंशतः मांग संख्या -45 के अंतर्गत व्यय किये जाने के कारण हुई (61.00 लाख रुपये)। 35.00 लाख रुपये की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(12) 4702-789-800-1403-नाबार्ड (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5189-लघु सिंचाई योजना- निर्माण कार्य (नाबार्ड)-			
मूल	14,70.00		
पुनर्वि.	35.00	15,05.00	9,88.45 -5,16.55

35.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता के कारण होना बतलाया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

(13) 4215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जाति उपयोजना- 9207-खारे पानी से प्रभावित ग्रामों के लिये पेयजल व्यवस्था-				
मूल	12,00.00			
पुनर्वि.	-4,00.00	8,00.00	7,21.99	-78.01

7,21.99 लाख रुपये का व्यय 42.00 लाख रुपये से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके कारण तथा 4,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 तथा 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

42-जन शक्ति नियोजन विभाग

(14) 4202-02-789-105-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जाति उपयोजना- 4945-तकनीकी शिक्षा हेतु भवन निर्माण		50.00	..	-50.00
50.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।				

53-चिकित्सा शिक्षा विभाग

(15) 4210-03-789-105-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6974-सागर चिकित्सा महाविद्यालय-				
मूल	52,98.65			
पुनर्वि.	-52,98.65
52,98.65 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।				

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग			
(16) 4225-01-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जाति उपयोजना- 1400-आश्रम तथा छात्रावास भवन-			
मूल	6,52.00		
पुनर्वि.	-1,15.33	5,36.67	4,99.24

1,15.33 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा राशि अभ्यर्पित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(17) 4515-789-103-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5111-नवाचार को प्रोत्साहन-			
मूल	2,68.20		
पुनर्वि.	-2,68.20

2,68.20 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

58-ग्रामीण विकास विभाग

(18) 4515-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5853-डी.पी.आई.पी.योजनाएं-			
मूल	16,00.00		
पुनर्वि.	-9,18.00	6,82.00	6,82.00

9,18.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत डी.पी.आई.पी. से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	-------------------------------------	-------------------

19- लोक निर्माण विभाग

(1) 5054-04-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 4416-सर्वेक्षण	2,00.00	4,46.10	+2,46.10
---	---------	---------	----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(2) 5054-04-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 9002-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण-			
मूल	53,12.02		
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि.	10,00.00	63,12.02	66,64.51

10,00.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि निर्माण कार्यों की निरन्तरता बनाए रखने के कारण होना बतलाई गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 64-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
27-नर्मदा घाटी विकास विभाग			
(3) 4700-45-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 9091-ओंकारेश्वर परियोजना	2,63.50	4,78.60	+2,15.10
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

31-जल संसाधन विभाग

(4) 4700-21-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	7,96.00	10,96.00	10,95.72
			-0.28
7,96.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होना बतलाई गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

(5) 4215-01-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना- 9938-भूजल स्रोतों का रिचार्जिंग-			
मूल	14,94.12		
पुनर्वि.	4,00.00	18,94.12	17,14.39
			-1,79.73
4,00.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि भूजल संवर्धन के कार्यों के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता होना बतलाई गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

अनुदान संख्या 65-विमानन
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
3053-नागर विमानन			
5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	12,27,09		
पूरक	2,78,76	15,05,85	-63,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			63,65
पूंजीगत:	10,00	..	-10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			10,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 63.65 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2009 को प्राप्त किया गया 50.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 2,28.76 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

पूंजीगत:

(ii) वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया तथा सम्पूर्ण प्रावधान 31 मार्च 2009 को अभ्यर्पित किया गया। शीर्ष 5053-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5527-हेलीकाप्टर का क्रय के अंतर्गत बचत हुई। 10.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 66- पिछड़ा वर्ग कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
4225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	1,86,60,71		
पूरक	28,92,00	2,15,52,71	2,03,14,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-12,37,80 निरंक
प्रभारित		10	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-10 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत		7,90,10	6,08,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-1,81,94 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 12,37.80 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 6,63.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 22,29.00 लाख रुपये का अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 12,37.80 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2225-03-277-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	10,00.00	4,88.48	-5,11.52
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2225-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 496-आश्रम और छात्रावास-			
मूल	1,64.91		
पुनर्वि.	-37.29	1,27.62	44.02
			-83.60

37.29 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 66-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2225-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5517-म.प्र.पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को ब्याज अनुदान-			
मूल	7.00		
पूरक	6,60.00		
पुनर्वि.	-6,67.00		
6,67.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			

(4) 2225-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6890-जिलास्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना-			
मूल	7,21.94		
पुनर्वि.	-2,18.58	5,03.36	2,75.10
2,18.58 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009) । इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी ।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2225-03-277-0101-राज्य आयोजना(सामान्य)- 2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां-			
मूल	91,99.50		
पूरक	20,00.00		
पुनर्वि.	10,53.60	1,22,53.10	1,20,25.04
10,53.60 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि जिला कार्यालयों से निधियों की अतिरिक्त मांग किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009) ।			

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) 1,81.94 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई ।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4225-03-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6889-जिला स्तरीय कन्या छात्रावास भवनों का निर्माण	5,80.00	4,98.81	-81.19
(2) 4225-03-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8707-छात्रावास भवनों का निर्माण	1,60.00	59.35	-1,00.65

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009) । उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी ।

अनुदान संख्या 67-लोक निर्माण कार्य-भवन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2216-आवास			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4211-परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय			
4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	2,44,30,93	2,24,81,23	-19,49,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			28
प्रभारित	1,00,00	66,89	-33,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	56,60,01		
पूरक	31,97,30	88,57,31	-20,66,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			43,65
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) 19,49.70 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 0.28 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2059-01-053-1024-खजाना और लेखा प्रशासन-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	-40.00	10.00	-6.37
40.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(2) 2059-01-053-1481-जिला प्रशासन			
	7,00.00	5,02.52	-1,97.48

अनुदान संख्या 67-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2059-01-053-3383-विशेष मरम्मत भवन	5,00.00	4,31.32	-68.68
(4) 2059-01-053-3645-शासकीय उच्चतर विद्यालय भवनों के रख रखाव	10,00.00	7,98.41	-2,01.59
(5) 2059-01-053-4177-शहरी (क्षेत्रों) औषधालयों के भवनों का रख-रखाव	5,00.00	3,42.45	-1,57.55
(6) 2059-01-053-4220-शिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय	5,00.00	4,15.95	-84.05
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 तथा क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2059-01-053-5002-परिवहन अपीलीय अधिकरण - मूल 1,00.00 पुनर्वि. -67.00	33.00	1.87	-31.13
67.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(8) 2059-01-053-5009-शासकीय महाविद्यालय भवनों का रख रखाव	7,50.00	5,49.45	-2,00.55
(9) 2059-01-053-5459-अधीनस्थ न्यायालयों के अनुरक्षण कार्य हेतु	2,00.00	1,39.84	-60.16
उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(10) 2059-01-053-5460-पुरातत्व संग्रहालयों का रख रखाव- मूल 50.00 पुनर्वि. -32.50	17.50	..	-17.50
(11) 2059-01-053-8167-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का रख रखाव- मूल 50.00 पुनर्वि. -42.50	7.50	..	-7.50
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 32.50 लाख रुपये तथा 42.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही इन शीर्षों के अंतर्गत शेष समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(12) 2059-80-001-2418-निष्पादन	84,82.23	70,56.19	-14,26.04
(13) 2216-05-053-5466-अधीनस्थ न्यायालयों के आवास गृहों का रख रखाव हेतु	1,50.00	1,02.10	-47.90
उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(14) 2216-05-053-5472-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास भवनों का रखरखाव- मूल 50.00 पुनर्वि. -40.71	9.29	..	-9.29
40.71 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही शेष सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

अनुदान संख्या 67-जारी

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2059-01-053-183-अन्य अनुरक्षण कार्य-			
मूल	1,10.00		
पुनर्वि.	2,50.33	2,73.50	-86.83
2,50.33 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन कार्य की निरन्तरता हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(2) 2059-01-053-2553-पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य सेवाएं कार्यक्रम	0.50	47.75	+47.25
(3) 2059-01-053-3387-मरम्मत-विश्राम गृह	2,00.00	2,67.76	+67.76
(4) 2059-80-799-1051-स्टॉक	50.00	4,76.91	+4,26.91
(5) 2059-80-799-4056-विविध-लोक निर्माण कार्य पेशगियां	50.00	8,08.45	+7,58.45

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (5) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के अंतर्गत शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य-'उचंत' में दर्शाये गए व्यय में 12,85.36 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है। 'उचंत' के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या-20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) की टीप (iv) में की गई है।

वर्ष 2008-09 के दौरान इस अनुदान में लेखांकित 'उचंत' लेन-देनों का विश्लेषण विभिन्न 'उचंत' उपशीर्षों के अंतर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2008 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा -	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2009 को अंत शेष नामे + जमा -
2059-लोक निर्माण कार्य (लाख रुपये में)				
(i) क्रय	-62,89.91	-62,89.91
(ii) भण्डार	+27,61.44	4,76.91	6,33.80	+26,04.55
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+1,12,27.46	8,08.45	5,10.93	+1,15,24.98
योग	+76,98.99	12,85.36	11,44.73	+78,39.62

प्रभारित-

(V) 33.11 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 67-जारी

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2059-80-800-1833-डिक्री धन का भुगतान (भारत)	1,00.00	66.89	-33.11

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:
वत्तमत-

(vii) 20,66.75 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 26,72.30 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि जनवरी एवं मार्च 2009 में प्राप्त किया गया क्रमशः 1,50.00 लाख रुपये तथा 3,75.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(viii) 20,66.75 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 43.65 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4059-01-051-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2450-न्याय प्रशासन-			
मूल	20,00.00		
पूरक	75.00	20,75.00	18,11.35
			-2,63.65

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4485-सामान्य प्रशासन विभाग- भवन-			
मूल	82.00		
पुनर्वि.	-68.88	13.12	..
			-13.12

68.88 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही शेष सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6405-जेल भवनों का निर्माण	69.70	12.18	-57.52
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			

(4) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8069-वाणिज्यिक कर-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-44.97	55.03	..
			-55.03

44.97 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही शेष सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 67-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(5) 4059-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) - 7094-जेल सुधारों की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य- मूल 8,68.46 पूरक 26,72.30	35,40.76	31,29.14	-4,11.62
(6) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4220-शिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय	7,06.85	4,31.40	-2,75.45
(7) 4211-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 1171-ग्रामीण (क्षेत्रों) परिवार कल्याण केन्द्रों का विस्तार	4,00.00	9.52	-3,90.48
(8) 4216-01-106-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6222-न्याय प्रशासन (स्टाफ के आवास गृहों का निर्माण)	12,00.00	7,43.87	-4,56.13
(9) 4408-01-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7316-राज्य उपभोक्ता आयोग एवं फोरमों का अधोसंरचना विकास- पूरक 1,50.00	1,50.00	..	-1,50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (8) के शीर्षान्तर्गत बचत तथा क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 तथा क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(X) उपरोक्त टिप्पणी (ix) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) - 1481-जिला प्रशासन- मूल 60.00 पूरक 3,00.00	3,60.00	4,57.35	+97.35
(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) - 8041-लोक निर्माण विभाग के संभागीय/ उपसंभागीय कार्यालय भवनों का निर्माण- मूल 50.00 पुनर्वि. 1,25.00	1,75.00	1,66.15	-8.85

1,25.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन कार्य की निरन्तरता हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 68-आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत नगरीय
निकायों को वित्तीय सहायता
(सभी वत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2217-शहरी विकास			
2236-पोषण			
6217-शहरी विकास के लिए कर्ज			
राजस्व	15,93,95	11,17,34	-4,76,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्षित राशि (31 मार्च 2009)			4,76,61

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	-------------------------------------	-------------------

18-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

(1) 2217-05-796-191-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-
6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास
कार्यक्रम-

मूल	4,50.00		
पुनर्वि.	-4,50.00

4,50.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत आदिवासी क्षेत्र में स्थित निकायों की परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2236-02-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-
5169-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम-

मूल	92.77		
पुनर्वि.	-26.61	66.16	66.16

26.61 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत निकायों से पात्रतानुसार मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 69- सूचना प्रौद्योगिकी
(सभी वत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
राजस्व:			
मूल	43,15,00		
पूरक	25,00	43,40,00	30,32,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-13,07,38 13,04,98

30,32.62 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 3425-60-600-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6873-राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स प्लान के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 7,48.00 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2009 में प्राप्त किया गया 25.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 13,07.38 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 13,04.98 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 3425-60-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5125-मैप-आई.टी.में जी.आई.एस. लैब की स्थापना-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-1,00.00		
(2) 3425-60-600-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6873-राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स प्लान-			
मूल	24,15.00		
पुनर्वि.	-11,89.20	12,25.80	12,25.80

1,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

12,25.80 लाख रुपये का व्यय 7,48.00 लाख रुपये से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके कारणों के साथ ही 11,89.20 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 70-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित
विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2203-तकनीकी शिक्षा			
6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज			
राजस्व	4,00,00	86,74	-3,13,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			3,12,43

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 3,13.26 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 3,12.43 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2203-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 5423-विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-स्टेट प्रोग्राम-			
मूल	61.34		
पुनर्वि.	-42.17	19.17	-0.82
42.17 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, यात्रा नहीं होने, प्रशिक्षण सामग्री प्राप्त नहीं होने, सेमिनार आयोजित नहीं होने एवं उपकरण तथा वाहन की मरम्मत नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2203-105-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7869-विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-पोलीटेक्निक महाविद्यालय को अनुदान-			
मूल	60.00		
पुनर्वि.	-32.53	27.47	..
(3) 2203-112-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7870-विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-इंजीनियरिंग महाविद्यालय को अनुदान-			
मूल	2,78.66		
पुनर्वि.	-2,37.73	40.93	..

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 32.53 लाख रुपये तथा 2,37.73 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 71-जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
राजस्व	4,07,40	3,09,03	-98,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2009)			98,37

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 3425-60-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7672-जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं का पोषण-			
मूल	1,00.40		
पुनर्वि.	-50.37	50.03	50.03
50.37 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत परियोजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
(2) 3425-60-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7856-जैव विविधता बोर्ड संबंधी व्यय-			
मूल	1,86.99		
पुनर्वि.	-47.99	1,39.00	1,39.00
47.99 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक कारणों से हुई ।			

अनुदान संख्या 72-भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	40,05,33		
पूरक	2,50,00	42,55,33	34,59,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-7,95,61 निरंक

34,59.72 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 3425-60-200-1587-यूनियन कार्बाइड परिसर में स्थित अवशिष्ट पदार्थों के विनिष्ठीकरण के लिये अध्ययन कार्य के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 1,60.00 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

पूंजीगत	4,94,00	2,26,64	-2,67,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 2,50.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 7,95.61 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-01-800-5740-सिलाई केन्द्रों का चालू करना	2,00.00	1,24.55	-75.45
(2) 2210-01-001-2304-निवेशन और प्रशासन	5,20.45	4,40.07	-80.38
(3) 2210-01-001-5069-गैस राहत औषधालय	2,28.22	1,62.04	-66.18
(4) 2210-01-001-6016-जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय	6,04.13	5,00.29	-1,03.84
(5) 2210-01-001-6954-शाकिर अली खान अस्पताल	2,88.34	2,32.84	-55.50

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 तथा क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 72-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(6) 2210-01-001-775-कमला नेहरु अस्पताल-			
मूल	6,24.20		
पुनर्वि.	-1.50	6,22.70	5,04.96
			-1,17.74

1.50 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 2210-01-001-8873-इंदिरा गांधी अस्पताल	6,57.67	5,37.91	-1,19.76
(8) 3425-60-001-5857-आई.सी.एम.आर.(रिसर्च)	83.43	36.99	-46.44

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

(iv) 2,67.36 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
4210-01-110-775-कमला नेहरु अस्पताल-			
मूल	2,70.00		
पुनर्वि.	-2.89	2,67.11	..
			-2,67.11

2.89 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रस्तावित प्रावधान की स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण हुई। शेष समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।

(vi) उपरोक्त टिप्पणी (v) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
4210-01-110-8873-इंदिरा गांधी अस्पताल-			
मूल	24.00		
पुनर्वि.	2.89	26.89	26.64
			-0.25

2.89 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि वृहद निर्माण कार्यों के अंतिम देयक के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता के कारण होना सूचित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 73 - त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

मुख्य शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2801-बिजली			
राजस्व	48,40,00	..	-48,40,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			48,40,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2801-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8729-त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के तहत म.प्र.राज्य विद्युत मंडल को सहायता-			
मूल	48,40.00
पुनर्वि.	-48,40.00

48,40.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 74-वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
राजस्व	1	..	-1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			1

अनुदान संख्या 75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2215-जल पूर्ति तथा सफाई			
2217-शहरी विकास			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	18,67,44,99		
पूरक	1,88,92,25	20,56,37,24	19,57,67,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-98,69,60 63,07,53
प्रभारित		65,74,30	64,00,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-1,73,93 1,73,93
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	6,25,00		
पूरक	11,56,25	17,81,25	17,81,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			.. निरंक
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			

(i) 98,69.60 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2008 एवं जनवरी 2009 में प्राप्त किया गया क्रमशः 50,00.00 लाख रुपये तथा सांकेतिक राशि का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 1,38,92.25 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 98,69.60 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 63,07.53 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 75-जारी

(iii) यद्यपि 98,69.60 लाख रुपये की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुए:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
[अ]-बचत:-			
(1) 2202-01-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2669-स्थानीय निकायों को पोषण अनुदान ग्रामीण एवं शहरी-			
मूल	55,49.16		
पुनर्वि.	-10,00.00	45,49.16	47,99.50
			+2,50.34
10,00.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत संविदा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2202-02-191-2669-स्थानीय निकायों को पोषण अनुदान ग्रामीण एवं शहरी-			
पूरक	62,15.27	62,15.27	30,16.06
			-31,99.21
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(3) 2202-02-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2669-स्थानीय निकायों को पोषण अनुदान ग्रामीण एवं शहरी-			
मूल	61,99.97		
पुनर्वि.	-39,92.03	22,07.94	35,45.58
			+13,37.64
39,92.03 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत संविदा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(4) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम-			
मूल	20,91.00		
पुनर्वि.	-11,33.61	9,57.39	9,57.39
			..
11,33.61 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत नई एवं चलित परियोजनाओं की भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2235-60-102-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
	1,02,95.00	84,40.29	-18,54.71
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

अनुदान संख्या 75-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
[ब]-आधिक्य:-			
2217-04-191-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
5126-स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना-			
मूल	11,97.34		
पुनर्वि.	3,45.99	15,43.33	15,43.33

3,45.99 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि वर्ष 2008-09 में भारत सरकार से अधिक राशि प्राप्त होने के कारण राज्यांश के आहरण हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई।

प्रभारित-

(iv) यद्यपि 1,73.93 लाख रुपये की समग्र बचत कुल विनियोग के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुए:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
बचत:-			
3604-200-4035-विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थानीय निकायों को समर्पित शुल्क, अर्थदण्ड तथा अन्य प्राप्तियां-			
मूल	65,74.30		
पुनर्वि.	-1,73.93	64,00.37	64,00.37
1,73.93 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत स्थानीय निकायों से दावे प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 76-लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परिव्ययानाएँ

(सभी वतमान)

आशिक्ष्य + बचत -	वस्तुविक व्यय	अनुदान केल	अनुदान व्यय	निर्क ..
	(देवार रूपसे में)			
			2,57,27,00	
			2,57,27,00	

मुख्य शीर्ष-

5054-सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत

वर्ष के दौरान अत्युत्पन्न राशि

अनुदान संख्या 77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2204- खेल तथा युवा सेवार्थें			
2205-कला एवं संस्कृति			
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	5,47,42,74		
पूरक	34,64,85	5,82,07,59	5,63,34,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-18,73,34 29,76,15
<i>प्रभारित</i>		90,00	4,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-85,10 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	54,18,00		
पूरक	1,10,00,00	1,64,18,00	74,18,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-90,00,00 90,00,00

74,18.00 लाख रुपये के कुल व्यय में शीर्ष 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5706-हायर सेकेण्डरी स्कूलों की प्रयोगशाला का सुदृढीकरण के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2009 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 20,00.00 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 18,73.34 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 17,22.85 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था जबकि जनवरी 2009 में प्राप्त किया गया 17,42.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 31 मार्च 2009 को किया गया 29,76.15 लाख रुपये का अभ्यर्पण 18,73.34 लाख रुपये की उपलब्ध बचत से अधिक था।

अनुदान संख्या 77-जारी

(iii) यद्यपि 18,73.34 लाख रुपये की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुए:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
[अ]-बचत:-			
(1) 2202-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
5541-शिक्षक अभ्युत्थान-			
मूल	3,39.50		
पुनर्वि.	-69.47	2,70.03	-30.70
69.47 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः योजना के लागू नहीं होने एवं क्रय पर प्रतिबंध के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(2) 2202-02-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-			
7036-संस्कृत विकास योजना-			
मूल	8,00.00		
पुनर्वि.	-7,85.89	14.11	-9.42
7,85.89 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
5693-अल्प संख्यक समितियों को प्री मेट्रिक छात्रवृत्तियां-			
पूरक	5,12.82		
पुनर्वि.	-5,12.82
5,12.82 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना प्रारम्भ नहीं होने के कारण हुई।			
(4) 2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय-			
मूल	13,20.00		
पुनर्वि.	-13,20.00
13,20.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की राशि विमुक्त नहीं करने/प्राप्त नहीं होने से राज्यांश की राशि व्यय नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
5103-सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षा एवं साक्षरता योजना (आई.टी.ई.एल.एस.)-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	-1,00.00
1,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना लागू नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6717-छात्राओं को निशुल्क साईकल का प्रदाय-			
पूरक	5,00.00	5,00.00	-2,28.53
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			

अनुदान संख्या 77-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(7) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6968-हाई स्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन-			
मूल	30,00.00		
पूरक	0.01		
पुनर्वि.	-16,08.57	13,91.44	9,27.95
			-4,63.49

16,08.57 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः पदों की स्वीकृति विमुक्त नहीं होने एवं क्रय पर प्रतिबंध के कारण हुई (10,20.57 लाख रुपये)। 5,88.00 लाख रुपये की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) 2202-80-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5663-निर्धन वर्ग की कक्षा 6वीं, 7वीं एवं 8वीं में छात्रवृत्ति योजना-			
पूरक	1,00.00		
पुनर्वि.	-10.00	90.00	..
			-90.00

(9) 2204-102-3754-राष्ट्रीय सैन्य दल- कनिष्ठ संभाग	7,22.44	5,52.44	-1,70.00
---	---------	---------	----------

(10) 2204-102-3755-राष्ट्रीय सैन्य दल- वरिष्ठ संभाग	10,19.89	9,10.45	-1,09.44
--	----------	---------	----------

उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 10.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत एवं क्रम संख्या (8) से (10) तक के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के अंतर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

[ब]-आधिक्य:-

(1) 2202-02-109-581-उच्चतर माध्यमिक शालाएं	3,89,99.95	4,21,68.97	+31,69.02
--	------------	------------	-----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(2) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2267-निशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय-			
मूल	9,00.00		
पुनर्वि.	11,51.70	20,51.70	20,46.35
			-5.35

11,51.70 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम को पाठ्य सामग्री के लम्बित देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

प्रशासन

(IV) 85.10 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विकल्प वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्तित नहीं की गई।

(V) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	व्यय	(लाख रुपये में)
विनियोग	90.00		4.90	
आधिक्य +				-85.10
बचत -				

बचत के कारण संचित नहीं किये गए हैं (आस्त 2009)।

पूर्वगत:

दत्तगत-

(VI) 90,00,00,00 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिपूरण में जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 1,10,00,00,00 लाख रुपये का

अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

(VII) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल	अनुदान	व्यय	(लाख रुपये में)
आधिक्य +				
बचत -				

4202-01-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-

5703-सर्वसेवा योजना अंतर्गत नये हार्डवेयर

शर्तों का निर्माण-

पूरक 90,00,00

-90,00,00

पुनर्व.

90,00,00,00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण

हुई।

अनुदान संख्या 78-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-				
2401-फसल कृषि कर्म				
राजस्व				
दत्तमत-				
मूल	79,79,42			
पूरक	1,58,00	81,37,42	78,10,93	-3,26,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक
प्रभारित-				
मूल	3,00			
पूरक	7,21	10,21	6,04	-4,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2009 में प्राप्त किया गया 1,58.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 3,26.49 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -	
(1) 2401-119-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 5730-जैविक खेती की राष्ट्रीय परियोजना- पूरक	1,58.00	1,58.00	79.00	-79.00
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।				

(2) 2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-
5116-राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन-

मूल	24,52.42			
पुनर्वि.	-18,27.00	6,25.42	6,24.63	-0.79

18,27.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2401-119-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
5153-उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य
प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना-

मूल	47.00			
पुनर्वि.	-47.00

अनुदान संख्या 78-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(4) 2401-119-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5596-उद्यानिकी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण	76.75	..	-76.75

उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 47.00 लाख रुपये (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7910-माइक्रो इरीगेशन की केन्द्र प्रवर्तित योजना-			
मूल	10,10.00		
पुनर्वि.	18,27.00	28,37.00	-35.99

18,27.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन जिलों द्वारा अधिक मांग होना बतलाया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(2) 2401-119-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2202-नये उद्यानों तथा पौधशालाओं का संचालन-			
मूल	6,05.40		
पुनर्वि.	47.00	6,52.40	+3.07

47.00 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

प्रभारित-

(v) 4.17 लाख रुपये की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 7.21 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) 4.17 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 79-चिकित्सा शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	2,77,91,64		
पूरक	50,00	2,78,41,64	2,44,17,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (26, 30 एवं 31 मार्च 2009)			-34,24,19 33,82,39
प्रभारित	/	..	-/
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत	5,50,00	4,05,04	-1,44,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2009)			1,02,45

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 50.00 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 34,24.19 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 26, 30 एवं 31 मार्च 2009 को केवल 33,82.39 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-01-110-1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय -			
मूल	72,49.56		
पुनर्वि.	-12,67.09	59,82.47	61,40.97
			+1,58.50

12,67.09 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 12,77.09 लाख रुपये की कमी तथा 10.00 लाख रुपये की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (3,22.64 लाख रुपये), जबकि वृद्धि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण होना बतलाई गई। 9,54.45 लाख रुपये की अवशिष्ट कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(2) 2210-01-110-3506-मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर-

मूल	3,20.00		
पुनर्वि.	-48.00	2,72.00	2,72.00
			..

अनुदान संख्या 79-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2210-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6974-सागर चिकित्सा महाविद्यालय-			
मूल	2,93.15		
पुनर्वि.	-1,17.10	1,76.05	1,61.89
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 48.00 लाख रुपये एवं 1,17.10 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (3) के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			-14.16
(4) 2210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4286-संचालक, आयुर्वेद एवं प्रशासन-			
मूल	2,78.87		
पुनर्वि.	-45.92	2,32.95	2,15.77
45.92 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (24.84 लाख रुपये)। 21.08 लाख रुपये की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			-17.18
(5) 2210-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8564-भोपाल यूनानी महाविद्यालय-			
मूल	2,06.06		
पुनर्वि.	-94.16	1,11.90	85.40
(6) 2210-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 465-आयुर्वेदिक एवं अन्य औषधालय-			
मूल	2,10.84		
पुनर्वि.	-36.34	1,74.50	1,70.12
(7) 2210-05-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 469-आयुर्वेदिक महाविद्यालय-			
मूल	17,09.37		
पुनर्वि.	-5,49.36	11,60.01	10,92.94
(8) 2210-05-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8068-शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय-			
मूल	2,55.17		
पुनर्वि.	-72.72	1,82.45	1,78.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (8) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 94.16 लाख रुपये, 36.34 लाख रुपये, 5,49.36 लाख रुपये एवं 72.72 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत अंशतः पद नहीं भरे जाने के कारण हुई (88.50 लाख रुपये, 32.92 लाख रुपये, 3,71.28 लाख रुपये एवं 67.99 लाख रुपये)। उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अवशिष्ट प्रत्याशित बचत (5.66 लाख रुपये, 3.42 लाख रुपये, 1,78.08 लाख रुपये एवं 4.73 लाख रुपये) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के अंतर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 तथा क्रम संख्या (5) एवं (8) के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			-26.50
(9) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5627-निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	-2,00.00
2,00.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अंशतः व्यय के दिशा निर्देश नहीं होने के कारण हुई (1,00.00 लाख रुपये)। अवशिष्ट प्रत्याशित बचत (1,00.00 लाख रुपये) के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			-4.38
			-67.07
			-4.45
			..
			..
			..

अनुदान संख्य 79-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(10) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6988-चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध चिकित्सालयों में आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं का उन्नयन-ट्रामा यूनिट			
मूल	53.35		
पुनर्वि.	-53.35		

53.35 लाख रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की

गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2210-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय-			
मूल	2,75.00		
पुनर्वि.	4,01.57	5,81.26	-95.31

4,01.57 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 4,52.39 लाख रुपये की वृद्धि तथा 50.82 लाख रुपये की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि स्टाफ नर्सों को वेतन भत्तों के भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता के कारण हुई। 50.82 लाख रुपये की कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) 1,44.96 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2009 को केवल 1,02.45 लाख रुपये की राशि समर्पित की

गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय-			
मूल	3,50.00		
पुनर्वि.	-1,02.45	2,05.04	-42.51

1,02.45 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या 80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	आधिक्य + बचत-
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2215-जलपूर्ति तथा सफाई			
2216-आवास			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236-पोषण			
2401-फसल कृषि कर्म			
2403-पशु पालन			
2405-मछली उद्योग			
2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505-ग्रामीण रोजगार			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2851-ग्राम तथा लघु उद्योग			
2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
6405-मछली पालन के लिये कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	20,79,69,12		
पूरक	2,83,06,53	23,62,75,65	17,53,52,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-6,09,22,92
			3,20,98,66
प्रभारित		78,27	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-78,27 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	2,03,94	3,29	-2,00,65 निरंक
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2008 (1,92,41.16 लाख रुपये) एवं मार्च 2009 (90,65.37 लाख रुपये) में प्राप्त किया गया 2,83,06.53 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 6,09,22.92 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को केवल 3,20,98.66 लाख रुपये की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 80-जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-01-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान- मूल 5,15,93.45 पुनर्वि. -11,25.25	5,04,68.20	4,48,99.63	-55,68.57
(2) 2202-01-800-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान- पूरक 2,05,38.65 पुनर्वि. -1,61,58.11	43,80.54	9,70.83	-34,09.71
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 11,25.25 लाख रुपये एवं 1,61,58.11 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(3) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6967-माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूलों में उन्नयन- मूल 17,23.90 पुनर्वि. -6,12.43	11,11.47	10,55.39	-56.08
(4) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6968-हाईस्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन- मूल 24,39.90 पुनर्वि. -8,81.65	15,58.25	15,30.82	-27.43
(5) 2202-02-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5276-अध्यापक/संविदाशाला शिक्षक के वेतन के लिए अनुदान- मूल 18,99.57 पुनर्वि. -6,97.90	12,01.67	11,58.89	-42.78
उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 6,12.43 लाख रुपये, 8,81.65 लाख रुपये एवं 6,97.90 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत नये पदों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 तथा क्रम संख्या (5) के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2202-02-191-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान	96,40.82	69,15.18	-27,25.64
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।			
(7) 2235-60-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3923-विकलांगों तथा अंपंगों की सहायता के लिये योजना- मूल 1,93.92 पूरक 85.00	2,78.92	1,42.65	-1,36.27

अनुदान संख्या 80-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(8) 2235-60-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7084-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	29,35.21	26,10.78	-3,24.43
(9) 2235-60-102-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,69,55.00	1,47,43.21	-22,11.79
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) तक के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(10) 2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 921-केन्द्र प्रवर्तित योजना-दलहन फसलों का उत्पादन-			
मूल	9,25.58		
पुनर्वि.	-6,28.91	2,96.67	2,96.77
(11) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 927-राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना-			
मूल	15,64.89		
पुनर्वि.	-6,89.36	8,75.53	9,53.55
(12) 2401-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1580-मेक्रो मेनेजमेन्ट योजना-			
मूल	2,66.93		
पुनर्वि.	-2,44.15	22.78	22.89
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 6,28.91 लाख रुपये एवं 6,89.36 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से मांग के अनुरूप राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत 2,44.15 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही इस शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 एवं क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(13) 2405-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 4970-मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों को अनुदान	3,57.32	2,21.55	-1,35.77
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(14) 2501-03-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6027-एकीकृत पड़त भूमि विकास योजना-			
मूल	6,20.00		
पुनर्वि.	-2,48.38	3,71.62	3,73.05
(15) 2501-06-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8775-प्रशासन योजना जिला स्तर-			
मूल	4,89.02		
पुनर्वि.	-1,10.88	3,78.14	3,72.95
(16) 2501-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5130-गोकुल ग्राम-गोदान योजना-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	-1,90.75	9.25	9.25

अनुदान संख्या 80-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
(17) 2501-06-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8701-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-			
मूल	30,00.00		
पुनर्वि.	-5,28.81	24,71.19	-43.16
(18) 2501-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9249-बेकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना-			
मूल	2,02,58.80		
पुनर्वि.	-91,94.98	1,10,63.82	+32.24
उपरोक्त क्रम संख्या (14) से (18) तक के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,48.38 लाख रुपये, 1,10.88 लाख रुपये, 1,90.75 लाख रुपये, 5,28.81 लाख रुपये एवं 91,94.98 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने तथा मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत (क्रम संख्या 16 को छोड़कर) अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 तथा क्रम संख्या (16) के अंतर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(19) 2515-101-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 1559-पंचायतों के लेखों के रखरखाव	3,82.45	1,91.22	-1,91.23
(20) 2515-101-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 6905-स्थानीय निकायों का वित्त पोषण	3,83.85	1,91.92	-1,91.93
(21) 2515-101-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 6906-जलपूर्ति तथा स्वच्छता के संदर्भ में स्त्रोतों का सुधार	1,03,44.00	51,72.00	-51,72.00
(22) 2515-101-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 6907-ग्राम पंचायतों को न्यूनतम मौलिक आवश्यकता हेतु	1,01,76.10	50,88.05	-50,88.05
(23) 2515-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7100-पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	2,64.57	..	-2,64.57
(24) 2515-101-8209-पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधायें	13,80.00	12,14.64	-1,65.36
(25) 2515-101-8214-सचिवीय व्यवस्था	44,16.00	37,57.59	-6,58.41

उपरोक्त क्रम संख्या (19) से (25) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत 2007-08, 2006-07 एवं 2005-06 तथा क्रम संख्या (24) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 तथा 2006-07 एवं क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 के दौरान भी बचत हुई थी।

(26) 2851-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 726-औद्योगिक सहकारी समितियों को संरचना उत्पादन व प्रक्रिया के लिये सहायता-			
मूल	1,70.80		
पुनर्वि.	-1,70.80

1,70.80 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत वर्ष 2008-09 से योजना बंद होने के कारण हुई।

(27) 2853-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	1,08,00.00	94,68.81	-13,31.19
(28) 3604-102-4610-स्टाम्प शूल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	15,00.00	13,20.73	-1,79.27

उपरोक्त क्रम संख्या (27) एवं (28) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)। उपरोक्त क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत 2007-08 एवं 2006-07 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 80-समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2851-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5639-कुटीर उद्योग विकास योजना- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 1,70.80	1,70.80	1,50.57	-20.23

1,70.80 लाख रुपये के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन वर्ष 2008-09 के लिए नई योजना स्वीकृत होने के कारण होना बतलाया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

प्रभारित-

(v) 78.27 लाख रुपये के सम्पूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 927-राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना	78.27	..	-78.27

सम्पूर्ण विनियोग के बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।

पूँजीगत:


दत्तमत-

(vii) 2,00.65 लाख रुपये की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	आधिक्य + बचत -
4515-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5166-राष्ट्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	2,00.00	..	-2,00.00

सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2009)।



परिशिष्ट



परिशिष्ट-I

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 14 पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
			अधिक +	कमी -
1	2	3	4	
(लाख रुपये में)				
03. पुलिस- राजस्व- दत्तमत	6,83.20	..	-6,83.20	
10-वन राजस्व- दत्तमत	5,00.10	..	-5,00.10	
12. ऊर्जा - राजस्व- दत्तमत	9,48.25	..	-9,48.25	
पूंजीगत- दत्तमत	2,68,35.00	..	-2,68,35.00	
18. श्रम- राजस्व- दत्तमत	1,28.93	..	-1,28.93	
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण- राजस्व- दत्तमत	35,93.17	..	-35,93.17	
23. जल संसाधन- राजस्व- दत्तमत	1,43,90.61	13,21.56	-1,30,69.05	
पूंजीगत- दत्तमत	23,57.47	28,43.50	+4,86.03	
29. विधि और विधायी कार्य- राजस्व- दत्तमत	28,06.72	37,12.80	+9,06.08	
30. ग्रामीण विकास- राजस्व- दत्तमत	2,83.00	..	-2,83.00	
38. रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय- राजस्व- दत्तमत	0.17	..	-0.17	
39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण- पूंजीगत- दत्तमत	21,00.00	6,22.05	-14,77.95	

परिशिष्ट-I-समाप्त

1	2	3	4
		(लाख रुपये में)	
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- राजस्व-			
दत्तमत	4,51.50	..	-4,51.50
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य- पूंजीगत-			
दत्तमत	1,50.00	..	-1,50.00
48. नर्मदा घाटी विकास- राजस्व-			
दत्तमत	3,07.73	..	-3,07.73
पूंजीगत-			
दत्तमत	2,06,58.20	7,42.86	-1,99,15.34
58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय- राजस्व-			
दत्तमत	2,77,50.00	5,87,03.54	+3,09,53.54
64. अनुसूचित जाति उपयोजना- राजस्व-			
दत्तमत	54.50	..	-54.50
67. लोक निर्माण कार्य-भवन- राजस्व-			
दत्तमत	98,57.81	44,38.24	-54,19.57
75. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता राजस्व-			
प्रभारित	65,74.30	..	-65,74.30
पूंजीगत-			
दत्तमत	..	13.16	+13.16
80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता- राजस्व-			
दत्तमत	15,00.00	..	-15,00.00
योग-			
राजस्व-			
दत्तमत	6,32,55.69	6,81,76.14	+49,20.45
प्रभारित	65,74.30	..	-65,74.30
पूंजीगत-			
दत्तमत	5,21,00.67	42,21.57	-4,78,79.10
प्रभारित
महायोग			
राजस्व	6,98,29.99	6,81,76.14	-16,53.85
पूंजीगत	5,21,00.67	42,21.57	-4,78,79.10

परिशिष्ट - II
(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 14 पर संदर्भित)

शीर्ष 8443-सिविल जमा-800 -अन्य जमा में अंतरण द्वारा जमा राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण

अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखाओं का शीर्ष	कुल बजट प्रावधान मूल + पूरक	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(लाख रुपये में)	
06-वित्त	7075-01-800-0101-5632-जन निजी भागीदारी अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु अग्रिम	20,00.00	18,84.00	18,84.00
08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0801-5917-भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार	8,83.48	3,64.13	3,00.13
19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-1473-जिला चिकित्सालय	1,59,54.75	1,58,14.29	13,00.00
19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2,12,85.43	2,04,72.87	11,82.00
19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-06-102-0801-5451-खाद्य प्रयोगशाला का उन्नयन एवं चलित खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना	27.34	27.34	27.34
20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701-2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	1,22,65.58	1,18,13.09	6,16.00
20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701-4867-प्रदेश में खारे पानी से प्रभावित ग्रामों के लिये पेयजल व्यवस्था	7,60.00	7,41.50	1,37.00
21-आवास एवं पर्यावरण	2217-01-001-0101-6706-लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना हेतु म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ को अनुदान	54,00.00	46,16.16	12,51.68
21-आवास एवं पर्यावरण	2217-01-001-0701-6706-लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना हेतु म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ को अनुदान	94,56.77	94,56.77	94,56.77
27-स्कूल शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा)	2202-01-102-0801-6344-मदरसों का आधुनिकीकरण	11,49.55	11,48.18	4,99.55
30-ग्रामीण विकास	4515-800-0801-5727-स्वजल धारा	28,66.00	28,66.00	28,66.00
39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-001-0801-7314-उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का सुदृढीकरण	18.00	18.00	18.00
39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	4408-01-800-0801-7316-राज्य उपभोक्ता आयोग एवं फोरमों का अधोसंरचना विकास	2,02.52	70.76	70.76
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2215-01-796-102-0702-1201-ग्रामीण पाइप जलपूर्ति योजना	36,05.50	36,27.61	77.00
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4215-01-796-102-0702-9207-खारे पानी से प्रभावित ग्रामों के लिये पेयजल व्यवस्था	5,40.00	5,40.90	3,40.00
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4225-02-796-800-0702-6521-आदिवासी संग्रहालय -भवन	8,58.56	6,22.44	6,22.44

परिशिष्ट-II-समाप्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(लाख रुपये में)	
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4235-02-796-102-0102-5360-आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	16,00.00	15,77.20	32.80
43-खेल और युवक कल्याण	4202-01-800-0701-5834-पायका (पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान)	11,53.13	11,53.13	11,53.13
44-उच्च शिक्षा	2202-03-103-0101-5650-प्रिमियम नेशनल इस्टीट्यूट के समकक्ष उत्कृष्ट महाविद्यालयों की स्थापना	9,00.00	15,00.00	15,00.00
47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2203-105-0701-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	6,26.69	3,65.00	35.00
47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	4202-02-104-0701-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	6,30.00	6,00.00	6,00.00
48-नर्मदा घाटी विकास	4801-80-800-0101-3561-मुख्यालय स्थापना	9,39.07	8,73.66	0.05
56-ग्रामोद्योग	2851-103-0701-5729-औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजनान्तर्गत चंदेरी परियोजना हेतु सहायता	1,96.00	1,96.00	1,96.00
64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2225-01-793-102-0603-4675-स्वरोजगार योजना	19,50.00	19,50.00	7,00.00
64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2225-01-793-800-0603-4986-विमुक्त घुमक्कड़ जातियों हेतु विशेष प्राधिकरण को अनुदान	8,43.10	8,39.13	3,43.10
64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2801-06-793-800-0603-5084-अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाइन का विकास	10,29.18	9,80.25	3,00.00
64-अनुसूचित जाति उपयोजना	4202-02-789-800-0103-5663-हायर सेकेण्डरी स्कूलों की प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	5,00.00	5,00.00	5,00.00
64-अनुसूचित जाति उपयोजना	4215-01-789-102-0703-9207-खारे पानी से प्रभावित ग्रामों के लिये पेयजल व्यवस्था	12,00.00	7,21.99	42.00
64-अनुसूचित जाति उपयोजना	4235-02-789-102-0103-5360-आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	10,00.00	9,47.20	0.40
69-सूचना प्रौद्योगिकी	3425-60-600-0701-6873-राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स प्लान	24,15.00	12,25.80	7,48.00
72-भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	3425-60-200-1587-यूनियन कार्बाइड परिसर में स्थित अवशिष्ट पदार्थों के विनिष्टीकरण के लिये अध्ययन कार्य	2,60.00	2,60.00	1,60.00
77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारम्भिक शिक्षा को छोड़कर)	4202-01-202-0101-5706-हायर सेकेण्डरी स्कूलों की प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	20,00.00	20,00.00	20,00.00
	योग	9,45,15.65	8,97,73.40	2,89,59.15